प्रस्तावना

प्रधानमंत्री

हमारी सरकार द्वारा हर साल प्रकाशित जन रिपोर्ट ने प्रशासन में जवाबदेही के नए आयाम तय किए हैं। इस व्यापक रिपोर्ट में, अपनाई गई सभी नीतियों, शुरू की गई परियोजनाओं और क्रियान्वित कार्यक्रमों को समाहित किया गया है तथा यह जवाबदेह होने की हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट उदाहरण है। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का अधिकार होता है कि सरकार अपना जनादेश पूरा करने के लिए क्या कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रिपोर्ट की सामग्री का व्यापक प्रसार होगा और हमारी जनता इस पर चर्चा करेगी।

इस वर्ष की जन रिपोर्ट में हमारी सरकार द्वारा मई 2004 में सत्ता संभालने के बाद से किए गए प्रयासों को शामिल किया गया है और यह दर्शाती है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटकों, मित्र तथा सहयोगी दलों के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा तय किए गए नीतिगत एजेंडे पर काफी हद तक अमल हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि जब सरकार में हमारा कार्यकाल समाप्त होगा, तब हम जनता को किये वायदों से भी अधिक काम कर चुके होंगे।

पिछले तीन सालों में हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की उच्च दरों को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करना रहा है कि अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन से रोजगार के अवसर पैदा हों, गरीबी कम हो तथा मानव विकास में तेजी आए। अपनी स्वतंत्रता के 60वें वर्ष में देश को इस बात से संतोष होना चाहिए कि लगातार पांचवें साल आर्थिक विकास की दर 8.5 प्रतिशत से अधिक रही है। हाल ही में विकास दर का बढ़कर 9 प्रतिशत हो जाना, निवेश की दर में अभूतपूर्व वृद्धि से संभव हो पाया है और निवेश की यह दर राष्ट्रीय आय के करीब 35 प्रतिशत के अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है। निवेश और विकास की उच्च दरों से रोजगार पैदा करने और गरीबी कम करने में मदद मिली है।

लेकिन हमारी सरकार मानती है कि राष्ट्रीय आय में उच्च वृद्धि से ही रोजगार बढ़ाने, गरीबी कम करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास की चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकेगा। और, न ही केवल विकास से मानव विकास में बेहतरी आ पाएगी। आर्थिक विकास का समावेशी तथा क्षेत्रीय स्तर पर संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है और यही राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम का आधार है। पिछले तीन सालों में हमारी सरकार का यही मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है।

कुल मिलाकर कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और शहरी विकास, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा तथा जीवन के हर पहलू से जुड़े हमारी सरकार के सभी प्रमुख कार्यक्रमों का लक्ष्य ''समावेशी विकास'' को बढ़ावा देना रहा है।

''समावेशी विकास'' की हमारी रणनीति के प्रमुख अंगों में (क) ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं और कृषि निवेश को बढ़ावा देना; (ख) किसानों के लिए ऋणों की उपलब्धता बढ़ाना और उन्हें उनकी पैदावार की अच्छी कीमत देना;

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी कार्यक्रम के रूप में एक अनूठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करके ग्रामीण रोजगार बढ़ावा देना; (घ) शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकारी खर्च को बढ़ाना, जिसमें दोपहर का भोजन योजना को मजबूत करना तथा जरूरतमंदों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना शामिल है; (च) शहरी गरीबों के जीवन स्तर को सुधार के जरिए शहरों को संवारने के काम में निवेश करना; अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा बच्चों को सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से सशक्त बनाना; और (छ) सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक निवेश के माध्यम से विकास प्रक्रिया पिछड़े क्षेत्रों और जिलों तक भी पहुंचे।

हमारी सरकार ने पिछले तीन सालों में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि करने पर जोर दिया है, लेकिन इसके साथ ही हमने यह भी ध्यान रखा है कि राजकोषीय अनुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के प्रति पूरी–पूरी ईमानदारी बरती जाए। भारत निर्माण के माध्यम से, हम ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेय जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण संचार पर 1,74,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। हमने तीन सालों में शिक्षा के आबंटन को लगभग तिगुना कर दिया है। 2003–04 में यह 12,000 करोड़ रुपए था जो 2007–08 में 32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। भारत में शिक्षा पर सरकारी खर्च में यह वृद्धि अभूतपूर्व है। इन तीन सालों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए आबंटन भी दोगुने से अधिक हो गया है। यह 2003–04 के 7,620 करोड़ रुपए से बढ़कर 2007–08 में 17,560 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश को 2003–04 के 20,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर दिया गया है।

हमारी सरकार ने भारत निर्माण के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के अलावा दो वर्षों के भीतर कृषि ऋण को दोगुना करने और कृषि में निवेश को बनाए रखकर, कृषि क्षेत्र की मदद की है। हमने एक बार फिर गेहूं और चावल के वसूली मूल्यों को बढ़ाकर व्यापार की शर्तें कृषि के पक्ष में रखने में मदद की है और यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी सभी फसलों के अच्छे दाम मिलें। हमारे किसानों को उनकी पैदावार के बेहतर मूल्यों से निश्चित ही फायदा हुआ है। यह भी विकास को अधिक समावेशी बनाने का एक पहलू है।

पिछले साल, हमने विकास की जिन प्रक्रियाओं को लागू किया था, उनसे कीमतों पर कुछ दबाव बना है। हम, कई उत्पादों के लिए तेजी से बढ़ती मांग का सामना कर रहे हैं और इसकी वजह से जो मुद्रास्फीति हुई है वह चिंता का विषय बन रही है। खास तौर से आवश्यक वस्तुओं के मामले में तो इससे और भी चिंता पैदा हो रही है। इन वस्तुओं के उत्पादन में कमी ने यह चिंता और भी बढ़ा दी है। हमने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई भरोसेमंद कदम उठाए हैं और इस मोर्चे पर हम सतर्कता बरतते रहेंगे ताकि गरीबों और समाज के कमजोर वर्गों को अनावश्यक रूप से परेशानी न उठानी पड़े। हमने जहां भी संभव हुआ है आपूर्ति बढ़ाने के उपाय किए हैं और हमें उम्मीद है कि कीमतों पर अंकुश लग पाएगा। खेतिहर पैदावार बढ़ाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के सभी उचित उपाय किए जाएंगे।

देखा जाए तो सामाजिक क्षेत्रों और ग्रामीण विकास पर किए जाने वाले खर्च में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। राजकोषीय और राजस्व के घाटे को कम करने तथा सार्वजनिक वित्त में सुधार के बावजूद हमने ऐसे भारी राजकोषीय समर्थन के बूते पर विकास के फायदों का दायरा बढ़ाया है। समावेशी विकास की हमारी रणनीति का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन यह अकेला ही पहलू नहीं है।

समावेशी विकास का मतलब वंचित वर्गों को सशक्त बनाना भी होता है। हमने यह काम कई विधायी उपायों से किया है। हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है, जनजानियों और दलितों को सशक्त बनाया है, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाया है। हमने छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों को बढ़ाया है तथा दोपहर का भोजन योजना को व्यापक बनाया है। बारह करोड़ से भी अधिक बच्चों को प्रतिदिन पौष्टिक आहार मिल रहा है और इससे भी कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक नया 15–सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके फायदे आने वाले वर्षों में नज़र आने लगेंगे। यह ज़रूरी है कि जब देश विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा हो तब आबादी

के इस महत्वपूर्ण वर्ग को पीछे न छोड़ा जाए। वन क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जो युगों से जनजातियों के अधिकार में ही रहे हैं, उन्हें ज़मीन के मालिकाना अधिकार देने का एक ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है। यह कानून उन्हें सुरक्षा की भावना प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समावेशी विकास की हमारी रणनीति का एक प्रमुख अंग है। गरीबों को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिहाज से यह एक अनूठा कार्यक्रम है। इसे देश भर में 330 जिलों में चलाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश जिले पिछड़े इलाकों में हैं। जैसे–जैसे आर्थिक विकास नए–नए क्षेत्रों में विशेषकर उत्तरी, मध्य और उत्तर–पूर्वी भारत में पहुंचेगा, विकास प्रक्रिया से देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों में गरीबी कम करने में मदद मिलेगी। 250 पिछड़े जिलों के लिए 5,800 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन वाली पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना है।

देश के उत्तर–पूर्वी इलाके में आर्थिक विकास की रफ्तार में तेजी लाने और वहां सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे को सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। संयोजकता को बेहतर बनाना ही इसकी कुंजी है। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, इस क्षेत्र में संयोजकता में सुधार करने और इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर–पूर्व के लिए एक नई व्यापक औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है। उम्मीद है कि इससे उस क्षेत्र में निवेश में तेजी आएगी और क्षेत्र की अछूती क्षमताओं का उपयोग हो पाएगा।

जम्मू–कश्मीर एक और ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। कई सालों से यह राज्य आतंकवाद से पीड़ित है और पिछले कुछ सालों से इसे राहत मिली है। बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन सुविधाओं और शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधारों के जरिए विकास में तेजी लाने के मकसद से काम करने के साथ–साथ हम अधिक से अधिक राजनीतिक तथा अन्य समूहों से कारगर ढंग से बातचीत में लगे हैं ताकि असंतोष के कारणों को जाना जा सके। गोल मेज सम्मेलनों के सिलसिले से कुछ मुद्दों पर प्रकाश पड़ा है और हम राज्य की समस्याओं के स्थायी समाधान खोजने के लिए सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं।

''समावेशी विकास'' की रणनीति में सशक्तीकरण के साथ–साथ हक और निवेश भी शामिल होते हैं। शिक्षा सशक्त करती है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से सशक्तता आती है, रोजगार गारंटी से हक मिलता है, कोटे के दायित्वों को पूरा करने से हक प्राप्त होता है। कई तरह की पात्रता प्रदान करने, सशक्तीकरण सुनिश्चित करने और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने से हमारी सरकार विकास प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की कोशिश कर रही है।

सरकार ने भारत के आर्थिक विकास के लिए एक अधिक अनुकूल बाहरी परिवेश बनाने के लिए भी काम किया है। हमने सभी महाशक्तियों और अपने सभी पड़ौसी देशों के साथ अपने सम्बंधों को सुधारा है। हाल ही में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग की एक नई भावना देखने में आई। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से सार्क को एक नई गतिशीलता मिली, जो सहयोग के एक व्यापक एजेंडे पर आधारित थी। अफगानिस्तान को सार्क की सदस्यता और प्रेक्षकों के तौर पर महाशक्तियों की उपस्थिति ने इस शिखर सम्मेलन को सही मायनों में ऐतिहासिक बना दिया। हम इस पूरे क्षेत्र के शांति और समृद्धि के लिए पाकिस्तान के साथ सार्थक और रचनात्मक वार्ता कर रहे हैं।

हमारी सरकार ने अपने सभी पड़ौसियों के साथ सहयोग के साथ काम करने के प्रति प्रतिबद्धता और इच्छा प्रकट की है। पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में हमारी भागीदारी और आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के हमारे फैसले से हमारी ''पूर्वोन्मुख नीति'' के माध्यम से पूर्व और दक्षिण–पूर्व एशिया के प्रति हमारी वचनबद्धता झलकती है। जब हमारे इलाके में सुनामी आया तो हम न केवल अपने बूते पर इस चुनौती का सामना करने में कामयाब रहे, बल्कि हमने पड़ौस के देशों को तत्काल सहायता भी दी। हम खाड़ी के देशों के साथ भी आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा अरब देशों के साथ

अपने पारम्परिक अच्छे सम्बंधों को मजबूत करने में भी कामयाब रहे हैं। अफ्रीका के साथ हमारे ऐतिहासिक सम्बंधों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित हुआ है तथा इन दोनों महत्वपूर्ण देशों के साथ, अब नियमित रूप से भारत–ब्राज़ील–दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। चीन, जापान, रूस और यूरोपीय संघ के साथ हमारे सम्बंधों में मजबूती आई है। चीन के साथ सीमा विवाद के निपटारे के लिए हम मार्गदर्शी सिद्धांत तय करने में कामयाब रहे हैं। हम जापान से बहुमूल्य आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफल रहे हैं। इस सहायता से, अन्य कामों के अलावा, दिल्ली के रास्ते मुम्बई से कोलकाता तक एक समर्पित रेल यातायात कारीडोर का निर्माण किया जाएगा और साथ ही मुम्बई और दिल्ली के बीच एक औद्योगिक कारीडोर का विकास भी किया जाएगा। हमने भारत–अमरीका सम्बंधों के दायरे को विस्तृत किया है और इनमें गहराई भी आई है। अमरीका के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता और परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के समूह के साथ जारी बातचीत, हमारे विकासीय इतिहास में एक नया मोड़ साबित होगा। इस समझौते से उच्च टेक्नोलाजी और परमाणु ऊर्जा तक हमारी पहुंच से विकास की हमारी संभावनाओं में और भी तेजी आएगी।

ये हमारी विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इन सबने मिलकर विश्व परिवेश को हमारे लिए अधिक सुरक्षित बना दिया है। पहले कभी भी विदेशी राजनीतिक और आर्थिक परिवेश हमारी विकास आकांक्षाओं के लिए इतना अच्छा और अनुकूल नहीं रहा है। विश्व, भारत को प्रगति करते देखना चाहता है और यह हम पर है कि हम इस चुनौती और अवसर को किस प्रकार से लेते हैं।

विकास का अर्थ मात्रात्मक प्रगति ही नहीं होता है, इसमें सोच और आकांक्षाओं में गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होता है। इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक जुड़ाव की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ऐसा वातावरण आवश्यक होता है जिसमें हमारे लोगों की रचनात्मक शक्ति को मुक्त अभिव्यक्ति मिल सके। हमारी सरकार समावेशी और त्वरित प्रगति तथा एक धर्मनिरपेक्ष तथा उदार लोकतंत्र के ढांचे में सामाजिक प्रगति के लिए ऐसा वातावरण बनाने के लिए वचनबद्ध है।

मुझे आशा है कि यह रिपोर्ट हमारी जनता को और बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित करेगी। इन तीन सालों में हमने काफी कुछ किया है, लेकिन अभी भी हमें गरीबी, अज्ञानता और बीमारियों के खिलाफ जंग जीतने तथा उग्रवाद, साम्प्रदायिकता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए काफी कुछ करना है। हमारे सामने शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की प्रणालियों की गुणवत्ता सुधारने का एक लम्बा और अपूर्ण एजेंडा मौजूद है। इसके साथ ही, प्रत्येक नागरिक को अधिक परिश्रम करना होगा, अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ काम करना होगा तथा हमें मिलकर, एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर काम करना होगा। **मैं प्रत्येक नागरिक से इस रिपोर्ट को पढ़ने का आग्रह करता हूं और चाहता हूं कि उसे अच्छी तरह से जानकारी हो कि देश को उसकी नियति के साथ मुलाकात की दिशा में आगे ले जाने में यूपीए सरकार ने क्या किया है।** आइए, अपनी स्वतंत्रता के इस 60वें वर्ष में हम एक नए और सहानुभूतिपूर्ण भारत के निर्माण का प्रण करें।

नई दिल्ली 22 मई 2007

मनमोहन सिंह

2. जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरा करना

2.1 स्वास्थ्य

2.1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम): इस मिशन की शुरूआत के बाद से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की लोगों तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, महिलाओं और बच्चों की पहुंच में कारगर ढंग से सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इस मिशन के अंतर्गत 2005–12 की अवधि में शिशु मृत्यु दर 60 प्रति एक हजार से कम करके 30 पर लाने, समग्र जनन दर 3 से घटाकर 2.1 पर लाने, प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर, जो फिलहाल 300 प्रति एक लाख है, में शत प्रतिशत कमी लाने, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर की गयी बीमारियों के प्रसार में कमी लाने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप बनाने, और प्रथम रेफरल इकाइयों में रेफर किए गए मामलों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता, जो फिलहाल 20 प्रतिशत से भी कम है, को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। मिशन के फ्रेमवर्क के अंतर्गत अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। फ्रेमवर्क के अंतर्गत समुदाय आधारित निगरानी, बाहरी सर्वेक्षणों और कड़ी विभागीय निगरानी के रूप में तीन स्तरीय प्रक्रिया के जरिए प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व तय करने का प्रस्ताव है। नागरिक घोषणा पत्र से लोगों को प्रत्येक सुविधा के बारे में अपने अधिकारों और पात्रताओं को जानने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के प्रत्येक स्तर के लिए आईपीएचएस की स्थापना की जाएगी और उसमें सभी स्तरों पर न्यूनतम सेवा गारंटी का प्रावधान होगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रमुख उपायों के रचनात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। प्रमुख उपायों के अंतर्गत जन सांख्यिकीय दृष्टि से कमजोर 18 राज्यों में प्रत्येक गांव में स्वैच्छिक प्रशिक्षित समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी 'आशा कार्यकर्त्ताओं' (4.35 लाख आशा कार्यकर्त्ताओं का पहले ही चयन किया जा चुका है और 2 लाख को प्रशिक्षित किया जा चुका है) की नियुक्ति, 90 हजार से अधिक संपर्क कार्यकर्त्ताओं का चयन, सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों में एक अतिरिक्त एएनएम (अनुषंगी नर्स मिडवाइफ) का प्रावधान (करीब आधे उप केंद्रों में एएनएम की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है), प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तीन स्टाफ नर्सो और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अतिरिक्त विशेषज्ञ तथा अर्ध चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित करने, रोगी कल्याण समितियों की स्थापना और अनुबंध के आधार पर एएनएम और अन्य महत्वपूर्ण कार्मिकों की नियुक्तियों जैसे उपायों से स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने, स्वास्थ्य केंद्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने में मदद मिली है। इस मिशन के अंतर्गत आशा कार्यकर्त्ताओं, स्वास्थ्य केंद्रों में परिष्कृत सुविधाओं, सामान्य बीमारियों के लिए औषधियों की उपलब्धता, रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण तक पहुंच, अस्पताल में प्रसव कराने को बढ़ावा देने, ग्राम स्तर पर पोषण और चिकित्सा देखभाल जैसे उपायों के माध्यम से गांवों में उपेक्षित निर्धनों को दी जा रही स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत पोषण, स्वच्छता, सफाई और सुरक्षित पेयजल

से संबंधित उपायों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए ऐलोपेथी के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मिशन के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर अधिकारिता सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त परिव्यय का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण और धन के सुचारू प्रवाह के माध्यम से यह मिशन स्वास्थ्य के जिला प्रबंधन की पुख्ता व्यवस्था कर रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार केवल उपकेंद्रों के निर्माण/उन्नयन में सहायता पहुंचाती थी, परिणामस्वरूप समुदाय/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल आदि की हालत खस्ता बनी रहती थी। मिशन के जरिए इस स्थिति में अपेक्षित सुधार लाने में सफलता मिली है। सुधारों तथा मानव संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र और राज्यों के स्तर पर भी ऐसे ही केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में 10 लाख से अधिक मासिक स्वास्थ्य दिवस आयोजित किए गए हैं, जिनसे गर्भावस्था और शिशु जन्म के बाद देखभाल सुविधाएं प्रदान करने, बच्चों और गर्भवती माताओं को रोगों से बचाव के टीके लगाने, बुनियादी औषधियों के वितरण और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सफाई आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करने में सहायता मिली है। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना के दूसरे वर्ष 21 लाख से अधिक रोगियों को लाभ पहुंचाया गया है। यह ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अंतर्गत बिना किसी लाल फीताशाही के नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। अनेक राज्यों में अस्पतालों में कराए गए प्रसवों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। बीमा योजना का एक प्रारूप तैयार किया गया है और इस अनुरोध के साथ राज्यों को भेजा गया है कि वे गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमे की आवश्यकता की जांच करें। प्रत्येक जिले में सेवायुक्त और सेवारहित क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से संपर्क गतिविधियों में सुधार करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को केंद्र के स्तर पर एकीकृत किया गया है, जबकि राज्यों ने राज्य और जिला स्तर पर एकल स्वास्थ्य समितियों का निर्माण किया है। इस प्रकार शीर्ष स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए वितरण व्यवस्था के सह क्रियाशील प्रशासनिक एकीकरण को अंजाम दिया गया है। देश भर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर प्रथम रेफरल यूनिटों का रूप दिया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चौबीसों घंटे परिचालित किया जा रहा है। पहली बार देशभर में 1.42 लाख उपकेंद्रों को मुक्त रूप से धन प्रदान किया गया है, ताकि वे अपनी कुछ स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 'कुष्ठ रोग' निवारण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, और अब कुछ ही राज्य ऐसे हैं, जिनमें 10,000 की आबादी पर एक कुष्ठ रोगी पाया जाता है। ऐसे राज्यों को लक्ष्य बनाकर इस बीमारी के उन्मूलन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार पोलियो के वायरस को समाप्त करने के प्रति वचनबद्ध है, इसके लिए 2007 में संकेन्द्रित रणनीति और लक्ष्य के अनुरूप प्रयास किए जा रहे हैं। मिशन के अंतर्गत 2006–07 के दौरान राज्यों को कुल 7,000 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी।

मिशन के अंतर्गत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गयी है। 2008 तक निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रत्येक बस्ती के लिए पूर्ण प्रशिक्षित आशा कार्यकर्ता तैनात कर दिए जाने की उम्मीद है। 2008 तक स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए समुदाय निगरानी एवं ग्राम स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति प्रणाली कायम करने और मुक्त रूप से अनुदान प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। 2010 तक दो एएनएम की व्यवस्था वाले 1.75 लाख उप–स्वास्थ्य केंद्रो, तीन स्टाफ नर्सो की व्यवस्था वाले 30,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सात विशेषज्ञों तथा 9 स्टाफ नर्सो की व्यवस्था वाले 6,500 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाया जाएगा/की स्थापना की जाएगी। आईपीएचएस के अनुसार सेवा गारंटी देने के लिए शुरू में 2007 तक 30 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाएगा। यही समयबद्धता 1,800 तालुक/सब डिविजनल अस्पतालों और 600 जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने पर भी लागू होती है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सब डिविजनल अस्पतालों और जिला अस्पतालों में 2009 तक रोगी कल्याण समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। शुरू में 2007 के अंत तक 50 प्रतिशत केंद्रों/अस्पतालों में इन समितियों की स्थापना की जाएगी। 2012 तक की अवधि के लिए जिला स्वास्थ्य कार्य योजना सभी जिलों द्वारा 2008 तक तैयार की जानी है। स्वास्थ्य केंद्रों को सभी स्तरों पर मुक्त अनुदान के साथ–साथ वार्षिक रखरखाव अनुदान भी प्रदान किया

जाएगा। शुरू में 2007 तक तत्संबंधी कवरेज का आधा लक्ष्य हासिल किया जाएगा और 2008 तक पूर्ण कवरेज प्रदान की जाएगी। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों को भलीभांति सुसज्जित किया जाएगा, ताकि 2010 तक परिवार कल्याण, रोग–वाहक से फैलने वाली बीमारियों, क्षय रोग, एचआईवी/एड्स आदि के लिए सेवा गारंटी प्रदान की जा सके। इस संदर्भ में 30 प्रतिशत लक्ष्य 2007 के अंत तक हासिल करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक जिले को मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत 30 प्रतिशत कवरेज 2007 में कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पक्की सेवा गारंटी के संदर्भ में कार्य निष्पादन का संस्थानवार मूल्यांकन किया जाएगा और 2010 तक राज्यों तथा जिलों के लिए जन स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जायेंगी। शुरू में 2008 तक 30 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

2.1.2 एचआईवी/एड्स : एड्स पर नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रीय एड्स परिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। परिषद ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण–3 (एनएसीपी–3) को निर्देश दिया है कि एड्स नियंत्रण को प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार बनाया जाए और 2011 तक एड्स महामारी पर नियंत्रण और उसकी रोकथाम के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने के वास्ते संबद्ध मंत्रालयों के कार्यक्रमों और योजनाओं में एचआईवी/एड्स संबंधी मुद्दों को मुख्य स्थान दिया जाए। विश्व स्तर पर यह लक्ष्य 2015 तक हासिल करना तय किया गया है। इसके लिए निवारक सेवाओं तक पहुंच कायम करना, सामान्य आबादी में अधिक जिम्मेदारीपूर्ण जीवन शैली को बढ़ावा देना और व्यवहार में बदलाव के लिए परामर्श एवं परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने जैसे उपाय करने की सिफारिश की गयी है। एनएसीपी–3 की शुरुआत 2007–08 के दौरान की गयी है। इसमें सभी राज्यों में उच्च जोखिम समूह को लक्ष्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार कंडोम तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने और सभी को रक्त की जांच की सुविधाएं और सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। मां से शिशु को होने वाले एचआईवी संक्रमण की रोकथाम के लिए बाल चिकित्सा खुराक संबंधी कार्यक्रम पर जोर दिया जाएगा। पिछले दो वर्षो में इस क्षेत्र का परिव्यय बढ़ाकर दुगुना किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2008–09 तक 6 उच्च प्रसार वाले राज्यों में माता–पिता से शिशु को होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए एड्स, क्षय रोग और मलेरिया के खिलाफ संघर्ष के वास्ते एड्स ग्लोबल फंड से 300 करोड़ रुपये से ज्यादा के वित्तीय अनुदान हासिल करने की मंजूरी दे दी है।

2.1.3 जनसंख्या स्थिरीकरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के माध्यम से परिवार नियोजन को आधार बनाते हुए व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि इससे जनसंख्या स्थिरीकरण में मदद मिलेगी। अब 'जनसंख्या नियंत्रण' शब्द का प्रयोग हटा दिया गया है। राज्य से प्राप्त निर्देशों के माध्यम से लक्ष्योन्मुखी विचारधारा पर बल देने की बजाय जनता में स्वेच्छा से जागरूकता पैदा करके तथा बेहतर पहुंच कायम करके अपनी मर्जी से इसे अपनाने पर बल दिया गया है। इस मिशन के अंतर्गत परिवार नियोजन के क्षेत्र में काम करने वाले 'आशा कार्यकर्ताओं' को प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में जननी सुरक्षा योजना शुरू की गयी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रमों में निवेश करके जनसंख्या स्थिरीकरण में सहयोग दें। दक्षिणी राज्यों से प्राप्त अनुभवों को, जनसांख्यिकीय मानकों को पूरा करने की दृष्टि से कमजोर राज्यों में, उनकी विशिष्ट स्थिति का अध्ययन करने के बाद, उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग को ज्यादा सुसंबद्ध बनाने के लिए उसका पुनर्गठन किया गया, जिसकी बैठक भी बुलाई गई।

2.1.4 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना : अल्प सुविधा प्राप्त राज्यों में तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं के अंतर्गत कमी पूरी करने और साथ ही बेहतर चिकित्सा, शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल में 6 नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने और ऐसे ही कई अन्य संस्थानों का उन्नयन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अनुमोदित की गयी है। प्रत्येक संस्थान में 850 बिस्तर वाला अस्पताल होगा, जिसमें 39 विशिष्ट/अतिविशिष्ट विषयों में कारगर रेफरल प्रणाली के जरिए

अद्यतन चिकित्सा उपचार सुविधाएं प्रदान की जायेंगी और इसमें प्रति वर्ष 100 पूर्व स्नातक विद्यार्थियों को दाखिला देकर चिकित्सा शिक्षा दी जाएगी। साथ ही विशिष्ट/अति विशिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर तथा डाक्टोरल पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था होगी।

2.1.5 रियायती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराना : राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति के मसौदे पर मंत्रियों के एक समूह द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसमें फार्मास्यूटिकल उद्योग की विकास संबंधी अपेक्षाओं के साथ कीमत नियंत्रण संबंधी मुद्दों में सामंजस्य स्थापित करने और कीमत निर्धारण एवं कीमत निगरानी संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के के उपाय सुझाए गए हैं। सभी तीनों केन्द्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां घाटे में चल रही हैं, और पिछले 10 से 20 वर्षों से वे बीआईएफआर के हवाले हैं। यूपीए सरकार ने एक मिशन भावना के साथ इन कंपनियों को संकट से उबारने के उपाय शुरू किए हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए पुनरुत्थान पैकेज मंजूर किए गए हैं। इनके अंतर्गत इन कंपनियों में धन निवेश किया जाएगा और करोड़ों रुपये के बकाया ऋण माफ किए जायेंगे। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के लिए पुनरुत्थान पैकेज विचाराधीन हैं। केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण ब्यूरो को भारतीय केन्द्रीय औषधि प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया जा रहा है, जिससे बेहतर नियामक संगठन की व्यवस्था हो सकेगी।

2.1.6 पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया : सरकारी–निजी भागीदारी के नये मॉडल के रूप में पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य शिक्षा महत्वपूर्ण प्रभाव डालना है। इसके लिए विश्व स्तर के जन स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना और मौजूदा संस्थानों को सुदृढ़ बनाने, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च कोटि के शिक्षक तैयार करने, जन स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में मानक तय करने, भारत के लिए प्रासंगिक अनुसंधान का संचालन करने और जन स्वास्थ्य व्यवसायियों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर जुटाने के वास्ते उचित नीति तय करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

2.1.7 आईसीडीएस का सर्वव्यापीकरण : यूपीए सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के वास्ते 1,000 (जनजातीय/पर्वतीय/मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए 700) की आबादी के मौजूदा मापदंड के अनुसार प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने का वायदा पूरा करने के लिए दो चरणों में 2.95 लाख आंगनवाड़ी केंद्र और 25,961 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में मात्र 2 वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और यह 10 लाख को पार कर जायेगी। अक्टूबर 2004 से पूरक पोषाहार की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता दुगुनी करते हुए प्रति लाभार्थी एक रुपया प्रतिदिन से बढ़ाकर 2 रुपया प्रतिदिन की गयी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को पोषक भोजन अपेक्षित मात्रा में मिल सकें। राज्य सरकारें बिना किसी समस्या के अनुपूरक पोषक आहार उपलब्ध कराने में समर्थ हो सके, इस संबंध में यूपीए सरकार ने राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए व्यय के 50 प्रतिशत भाग तक सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए आबादी संबंधी नये मानक तैयार किए जा रहे हैं। पोषक खाद्य पदार्थ अब सभी गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं, तथा बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार यह सुविधा अब केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर कर रहे परिवारों से संबंधित हों। इसका उद्देश्य यह है कि कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में हर वर्ष एक प्रतिशत की कमी लायी जाये। सरकार सलाह–मशविरे के आधार पर आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) में सरकारी–निजी भागीदारी के लिए मॉडल विकसित करने पर विचार कर रही है।

2.1.8 आयुष : यूपीए सरकार ने निम्न–स्तरीय कालेजों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए संबद्ध कानूनों में संशोधन के वास्ते संसद में विधेयक पेश किए हैं। इनमें प्रावधान किया गया है कि नये कालेजों की स्थापना, नये और उच्च पाठ्यक्रमों की शुरूआत करने और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इन संशोधनों का उद्देश्य संबद्ध परिषदों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं जवाबदेह

बनाना भी है। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय फार्मेसी परिषद स्थापित करने के वास्ते भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विधेयक, 2005 भी संसद में पेश किया गया है, ताकि फार्मेसी शिक्षा को नियमित एवं मानक रूप दिया जा सके। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी दवाओं में भारी धातुओं की मौजूदगी से संबंधित वैश्विक चिंताओं का निराकरण करने के लिए निर्यात से संबद्ध सभी विशुद्ध जड़ीबूटी आधारित आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों की जांच अनिवार्य बनाने का प्रावधान है ताकि उनमें आर्सेनिक, सीसा, पारा, और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी/मान्यता प्राप्त आयुष उत्कृष्टता केन्द्र विकसित करने, आयुष औद्योगिक परिसरों के लिए सामान्य सुविधाएं जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने और आयुष अस्पतालों में विशेषज्ञता क्लिनिकों की स्थापना के लिए सरकारी/निजी भागीदारी प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा के अंतर्गत आयुष पद्धति को मुख्य धारा में लाने के लिए नए कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं।

2.2 शिक्षा

2.2.1 वित्त व्यवस्था : शिक्षा के लिए कुल आवंटन 2007–08 में बढ़ाकर 32,352 करोड़ रुपये किया गया। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी। सबके लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संसाधन जुटाने के वास्ते शिक्षा उप–कर (सभी प्रमुख केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत की दर से) शुरू किया गया है। शिक्षा उपकर की राशि के प्रबंधन के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष नाम का कभी समाप्त न होने वाला एक कोष स्थापित किया गया है, ताकि सर्व शिक्षा अभियान और स्कूलों में पका हुआ दोपहर का भोजन देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित प्राथमिक शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था की जा सके। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के लिए धन जुटाने के वास्ते 2007–08 में केन्द्रीय करों पर 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शिक्षा उपकर शुरू किया गया है।

2.2.2 स्कूली शिक्षा : 2007–08 में स्कूली शिक्षा के लिए आवंटन में करीब 35 प्रतिशत बढ़ोतरी की गयी और 23,142 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 2007 तक प्राथमिक शिक्षा और 2010 तक अनिवार्य शिक्षा के स्तर पर लिंग एवं सामाजिक श्रेणी संबंधी सभी अंतराल दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2010 तक स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाना भी सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। नवंबर 2006 तक 1.81 लाख नये स्कूल खोले गए, 7.38 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए, 1.5 लाख स्कूल भवन बनाए गए और 5.8 लाख अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया, 1.5 लाख स्थानों पर पेयजल सुविधाएं प्रदान की गयीं, और करीब 2 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया। हर वर्ष 5.78 लाख करोड़ बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जा रही हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के प्रावधान में 2007–08 के दौरान 178 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी। 2007–08 में 2,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति और 5,00,000 अतिरिक्त क्लासरूमों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए 2007–08 में प्रावधान दुगुना कर दिया गया और 3,794 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। सर्व शिक्षा अभियान की बदौलत स्कूलों में दाखिलों की स्थिति में 96 प्रतिशत सुधार हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों की दर अभी ऊंची बनी हुई है। इस प्रवृत्ति पर काबू पाने और विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा से आगे शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सरकार ने राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति प्रारंभ की है। 9वीं और 10वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों में से हर साल एक लाख विद्यार्थियों को 6000 रुपये सालाना दिए जायेंगे। केन्द्रीय विद्यालय प्रणाली को दुगुना करने का प्रस्ताव है। फिलहाल केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 919 है, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1,000 नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रणाली का भी विस्तार किया जाएगा। इन स्कूलों की संख्या भी दोगुनी से अधिक की जाएगी। फिलहाल 539 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे 700 और स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

यूपीए सरकार ने आदर्श शिक्षा अधिकार विधेयक तैयार किया है, ताकि शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य उसे अपना सकें। इस मामले में केन्द्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर तत्परता से काम कर रही है।

2.2.3 कुक्ड मिड–डे मील : विद्यालय जाने की आयु प्राप्त कर सके बच्चों के दाखिले, उनकी उपस्थिति और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार ने समूचे देश में सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के लिए नेशनल कुक्ड मिड–डे मील (पका हुआ दोपहर का भोजन) प्रोग्राम शुरू किया है। स्कूल में आहार देने का यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत साढ़े नौ लाख से अधिक स्कूलों में करीब 12 करोड़ बच्चों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंच रहा है। इससे पहले राज्य केवल बिना पका हुआ भोजन यानी निःशुल्क अनाज दोपहर के भोजन के रूप में देते थे। राज्यों को 2004–05 से प्रति स्कूल दिवस प्रति बालक एक रुपये की दर से खाना पकाने की लागत अदा की जा रही है। 2004–05 से राज्यों को परिवहन सब्सिडी की दरों में विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में शतप्रतिशत और अन्य राज्यों के मामले में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की गयी है। बेहतर देखरेख और निगरानी के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म काल के दौरान दोपहर का भोजन देने का भी प्रावधान किया गया है। उच्च प्राथमिक स्तरों पर भी इस कार्यक्रम का विस्तार करने की कवायद शुरू की गयी है। जून 2006 में इस कार्यक्रम में और संशोधन किया गया, और इसके अंतर्गत दोपहर के भोजन में न्यूनतम पोषक तत्वों की गुणवत्ता 450 कैलोरीज और 12 ग्राम प्रोटीन तक बढ़ाई गयी। इससे पहले 300 कैलोरी और 8–12 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान था। इस दिशा में राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे कम से कम 100 ग्राम गेहूं/चावल, 20 ग्राम दाल, 5 ग्राम तेल और वसा, तथा आयोडीन युक्त नमक, मसाले, और पूरक सूक्ष्मपोषक तत्त्व भोजन में शामिल करें। इसके लिए खाना पकाने की न्यूनतम लागत प्रति स्कूल दिवस/प्रति विद्यार्थी 2 रुपये तय की गयी है। इसमें से केन्द्रीय सहायता 1.50 रुपये प्रति स्कूल दिवस/प्रति विद्यार्थी की दर से दी जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह दर 1.80 रुपये प्रति स्कूल दिवस/प्रति विद्यार्थी है। इसके अतिरिक्त राज्यों को करीब 6 लाख प्राथमिक स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से रसोई एवं भंडारण कक्ष के निर्माण के लिए सहायता का प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत खाना पकाने/रसोई के बर्तन खरीदने के लिए सहायता देने का भी प्रावधान है। दोपहर के भोजन की योजना का परिव्यय 2007–08 में 5 गुणा बढ़ाया गया, और इस मद में 7,324 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों के 3,427 उच्च प्राथमिक स्कूलों में इस कार्यक्रम का विस्तार करने की कवायद शुरू की गयी है।

2.2.4 उच्च और तकनीकी शिक्षा को कम खर्चीली बनाना

विद्यार्थी ऋण : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित शैक्षिक ऋणों की बकाया राशि 2003–04 में 4,550 करोड़ रुपये थी, जो 2005–06 के दौरान 10,005 करोड़ रुपये हो गयी। ऋण खातों की संख्या 2003–04 के दौरान 3.19 लाख थी, जो 2005–06 में बढ़कर 6.84 लाख पर पहुंच गयी। बैंकों ने विद्यार्थी द्वारा संतोषजनक गारंटी दिए जाने पर विद्यार्थियों को दिए जाने वाले शिक्षा ऋण की कुल अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी है और इसके लिए ऋणाधार की शर्त समाप्त कर दी है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कटौती की 40,000 रुपये की पूर्व सीमा की तुलना में अब विद्यार्थी विशेष द्वारा पिछले वर्ष के दौरान उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के प्रयोजन से लिए गए ऋण पर मूल धन की अदायगी अथवा ऋण पर ब्याज की संपूर्ण राशि पर बिना किसी निर्धारित सीमा के कटौती की अनुमति दी गयी है।

छात्रवृत्तियां/फैलोशिप : ए आई पी एम टी तथा ए आई ई ई ई में भाग लेने वाले सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नामांकित चिकित्सा एवं इंजीनियरी के विद्यार्थियों के लिए योग्यता (मेरिट) आधारित 4 छात्रवृत्ति योजनायें प्रारंभ की गयी हैं। इनमें इंजीनियरी विषय के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 350 छात्रवृत्तियां और एमबीबीएस के लिए प्रतिवर्ष 150 छात्रवृत्तियां शामिल हैं। एक व्यापक तथा इंटरएक्टिव पोर्टल (www.education support.nic.in) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में प्रदान की गयी सभी छात्रवृत्तियों, फेलोशिप और शिक्षा ऋण संबंधी सुविधाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अकादमिक पदों पर चयन तथा डाक्टरेट अध्ययन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम प्रारंभ की गयी है, जिसमें प्रति वर्ष 2,000 फेलोशिप देने के लिए धन का प्रावधान किया गया है। आईआईएम के सभी विद्यार्थियों, जिनके परिवार की सकल

वार्षिक आय 2 लाख रुपये तक है, को शिक्षा शुल्क में पूर्ण छूट देने की व्यवस्था की गयी है। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की संतानों को हर वर्ष 5,000 छात्रवृत्तियां देने के लिए प्रधानमंत्री की योग्यता छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी है।

विस्तार योजना : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो से संबद्ध विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुंच सुगम बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। इस संशोधन से सरकार इन श्रेणियों से संबद्ध विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संस्थानों में दाखिले में आरक्षण और फीस के नियमन के बारे में कानून बना सकेगी। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गो से संबद्ध विद्यार्थियों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संसद ने केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित किया।

2.2.5 उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना : श्री मोइली की अध्यक्षता वाली ओवरसाइट समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से उच्चतर शिक्षा की क्षमता, सीटों की संख्या और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। केंद्र द्वारा वित्त पोषित उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों की सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गयी है। सरकार उच्चतर शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय आयोग के गठन संबंधी विधेयक को अंतिम रूप दे रही है। सरकार ने विदेशी शिक्षा संस्थान (प्रवेश एवं परिचालन नियमन, गुणवत्ता रखरखाव और व्यावसायीकरण रोकथाम) विधेयक, 2007 संसद में पेश करने की अनुमति दे दी है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करने और सिक्किम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने से मौजूदा विश्वविद्यालयों के विकास में तेजी लाने और पूर्वोत्तर में शिक्षा सुविधाओं में असंतुलन दूर करने में मदद मिलेगी। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी सुनिश्चित की गयी है। यूपीए सरकार ने हैदराबाद स्थित सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्विजिज को भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में रूपांतरित किया है। मद्रास, बंबई और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की 150वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान मंजूर किया गया, ताकि इन विश्वविद्यालयों में नैनोसाइंस और नैनोटैक्नोलॉजी/बायोमेडिकल नैनोटेक्नोलॉजी केंद्र खोले जा सकें। यह कार्य 2010–11 तक समयबद्ध रूप में पूरा किया जाना है।

2.2.6 तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना : यूपीए सरकार शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने और शैक्षिक स्तर 2007–08 से उसमें कक्षाएं प्रारंभ करने पर विचार कर रही है। सरकार ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का फैसला किया है। यह फैसला भी किया गया है कि आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो नए आयोजना एवं वास्तुशिल्प स्कूल खोले जायें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को उत्कृष्टता केन्द्रों में तब्दील करने में मदद पहुंचाने, उनमें स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने, और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने के लिए यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2006 संसद में पेश किया। कोलकाता और पुणे में पहले स्थापित किए गए 2,055 विद्यार्थियों की क्षमता वाले दो भारतीय विज्ञान एवं शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों के अतिरिक्त मोहाली, भोपाल और तिरूवनंतपुरम में तीन और भारतीय विज्ञान एवं शैक्षिक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारतीय विज्ञान एवं शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, मोहाली में शैक्षिक सत्र जुलाई 2007 से प्रारंभ होने की संभावना है। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान प्रदान किया गया है। कई नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

2.2.7 शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता : यूपीए सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं कि उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के सभी संस्थान अपनी स्वायत्तता कायम रख सकें। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) आईआईएम को अपनी शुल्क संरचना पर निर्णय लेने के अधिकार को बनाए रखना।

(ii) अब भारत शिक्षा कोष के जरिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं रह गयी।

(iii) देशभर में विश्वविद्यालयों के सुशासन के मानकीकरण के लिए मसौदा मॉडल विश्वविद्यालय अधिनियम वापस लेना।

(iv) इससे संबद्ध उपायों पर सीएबीई की समिति द्वारा एक रिपोर्ट तैयार करना ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता में वृद्धि करने के लिए सहमति आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके।

(v) विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसंधान क्षेत्रों में विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने से संबद्ध अपेक्षित आदेशों को वापस लेना।

(vi) वित्तीय स्वायत्तता की पुनः बहाली के लिए संस्थानों के ब्लाक अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था को पुनः लागू करना।

(vii) ए आई ई ई ई वैकल्पिक में विश्वविद्यालयों को भागीदार बनाना।

2.2.8 प्रत्यायन निकाय : शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने या उनका दर्जा बढ़ाने वाले सीबीएसई, यूजीसी और एनएएसी जैसे निकायों द्वारा मान्यता प्रदान करने आदि से संबद्ध नियम एवं प्रक्रियाओं को संशोधित और अधिसूचित किया गया है ताकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने और उन पर कार्रवाई करने तथा आवेदनों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था की जा सके।

2.2.9 कौशल विकास : यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय कौशल मिशन शुरू करने के लक्ष्य की घोषणा की है। इस मिशन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें सरकारी–निजी भागीदारी का प्रावधान होगा। 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करते हुए उन्हें उत्कृष्टता केन्द्रों में तब्दील करने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की है कि सरकारी–निजी भागदारी से कुल 1,396 आईटीआई संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और उन्हें उत्कृष्टता केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे विश्व स्तर के बहु प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

2.3 बाल अधिकार सुनिश्चित करना

2.3.1 संस्थागत फोकस : संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास नाम से स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की गयी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2006 में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसमें बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों और बच्चों के अधिकारों के हनन संबंधी मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए बाल अदालतों के गठन का भी प्रावधान है। ये आयोग बच्चों के अधिकारों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन करेंगे और उन पर निगरानी रखेंगे, कानूनी प्रावधानों की पड़ताल और समीक्षा करेंगे, कानून को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के उपाय सुझायेंगे, मौजूदा कानूनों की समीक्षा करेंगे और उनमें संशोधन के सुझाव देंगे, बच्चों के अधिकारों के हनन संबंधी मामलों की देखरेख करेंगे, और बच्चों से संबंधित कानूनों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेंगे। राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना कर दी गयी है।

2.3.2 बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई : किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में संशोधन किया गया है, ताकि उसे बच्चों के अधिक अनुकूल बनाया जा सके। इसके जरिए कई सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं, जिनमें किशोर अपराधियों को पुलिस लॉक–अप या कारागार में रखने पर पाबंदी लगाना, उन्हें संप्रेक्षण गृहों में बंदी बनाने के बजाय अन्य विकल्प अपनाना, विशेष गृहों में बंदी बनाए रखने की अवधि की सीमा तय करना, समयबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल विकास समितियों की स्थापना अनिवार्य बनाना, ऐसे अपराधियों को 24 घंटे के भीतर बोर्ड या समिति के समक्ष पेश करना अनिवार्य बनाना, जांच प्रकिया के दौरान पुलिस के साथ रहने पर

रोक लगाना, राज्य और जिला स्तरों पर बाल संरक्षण इकाइयों का गठन, समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का समयबद्ध पंजीकरण अनिवार्य बनाना, बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में मदद पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले में एक या अधिक संस्थानों को दत्तक ग्रहण एजेंसियां घोषित करना, न्यायालयों को दत्तक ग्रहण आदेश देने में सक्षम बनाना, अंतर–देश दत्तक ग्रहण का विकल्प खोलना, बच्चों को उनके मूल परिवारों को पुन सौंपने के काम में समन्वय करना, दत्तक ग्रहण सहित पुनर्वास उपायों को प्रोत्साहित करना और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न बाल गृहों में देखभाल के न्यूनतम मानक तय करना और इस अधिनियम के अंतर्गत मॉडल नियम बनाना शामिल है।

2.3.3 बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण : असहाय कामकाजी बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकर या सड़क किनारे चलने वाले ढाबों, रेस्तरांओं, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रिजार्ट्स, स्पास या अन्य मनोरंजन केन्द्रों में नौकर रखने पर रोक लगा दी है। बच्चों के खिलाफ अपराध (निवारण) विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें यौन अतिक्रमण, अवैध यौन संबंध, ऐसे यौन अपराध जो संपर्क पर आधारित न हों, तस्करी से संबद्ध अपराध, क्रूरता, शारीरिक दंड, रैगिंग, उन्मादन, अपहरण और अनुचित रूप में बंदी बनाने, अश्लीलता के लिए इस्तेमाल करने और सशस्त्र संघर्ष में शामिल करने सहित बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने की व्यवस्था की गयी है। सरकार ने व्यापक एवं समेकित बाल संरक्षण योजना तैयार करने के उपाय शुरू किए हैं, ताकि देशभर में संपूर्ण बाल संरक्षण फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके। इसका उददेश्य कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण के तात्कालिक उपाय करने और साथ ही उनके दीर्घावधि पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए संस्थागत और गैर–संस्थागत सहायता पहुंचाना हैं। इसका उददेश्य शिक्षा और जागरूकता पैदा करने के अलावा बच्चों से संबद्ध सभी श्रेणियों के पदाधिकारियों में क्षमता पैदा करने और उनकी प्रशिक्षण जरूरतें पूरी करना भी है।

2.3.4 बाल विवाह : बाल विवाह अवरोध अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। इसमें उस बालक के विकल्प पर बाल विवाह को समाप्त घोषित करने की व्यवस्था की गयी है, जिसका ऐसा विवाह कर दिया गया हो। इसमें यह व्यवस्था भी की गयी है कि ऐसी नाबालिग लड़की जिसका बाल विवाह कर दिया गया हो, उसका पुनर्विवाह होने तक उसका पति या उसके नाबालिग पति का अभिभावक उसके भरण पोषण का प्रबंध करेगा। इसमें बाल विवाह के बाद पैदा होने वाली संतान के संरक्षण व भरण–पोषण के लिए भी व्यवस्था की गयी है और यह उपबंध किया गया है कि ऐसे विवाह संबंधों के अकृत्य हो जाने पर भी यह संतान धर्मज संतान मानी जाएगी। प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए अपराधों को संज्ञेय बनाने और बाल विवाह अवरोध अधिकारियों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा गया है।

2.3.5 बच्चों का विकास : व्यापक एवं समग्र राष्ट्रीय बाल विकास कार्ययोजना, 2005 के अंतर्गत शिशु व बाल मृत्यु दर और बच्चों में एचआईवी के मामलों में कमी लाने, सभी को पीने का पानी उपलब्ध कराने और बुनियादी सफाई व्यवस्था करने, तथा बाल विवाह को समाप्त करने के साथ साथ पोलियो के कारण होने वाली अपंगता की घटनाओं को समाप्त करने के लिए समयबद्ध तरीके से लक्ष्य पूरे करने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। शिशु सदनों एवं दिन में देखभाल करने वाले केन्द्रों के लिए बनायी गयी स्कीम के लिए लागत व्यय बढ़ाकर उसमें संशोधन किया गया है, ताकि बच्चों और कामकाजी माताओं को बेहतर शिशुसदन सेवाएं मिल सकें और सेवा प्रदाताओं को भी प्रशिक्षण दिया जा सके। बच्चों और कामकाजी माताओं के लिए राजीव गांधी शिशु सदन नाम की एक नई स्कीम भी प्रारंभ की गयी है। आईसीडीएस की सर्वव्यापकता के लिए इसका चरणबद्ध विस्तार, सर्वव्यापी नेशनल कुक्ड मिड–डे मील प्रोग्राम, और सर्वव्यापी किशोर शक्ति योजना, ऐसे प्रमुख उपाय हैं, जो सरकार ने बच्चों के अधिकारों को यथार्थ स्वरूप प्रदान करने के लिए किए हैं। आईसीडीएस में बालकों व किशोरियों के विकास की नींव रखने के लिए तथा बच्चों की स्वास्थ्य व पोषण आवश्यकताओं की देखभाल करने में

माताओं को अधिक सक्षम बनाने के लिए स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा सेवाओं का एक समेकित पैकेज उपलब्ध कराया गया है। किशोरी शक्ति योजना 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के पोषण व स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने, उनके कौशल को विकसित करने, उन्हें जागरूक बनाने, बालिग हो जाने पर ही विवाह के लिए तैयार होने को बढ़ावा देने तथा रचनात्मक व उपयोगी कार्यकलापों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए बनायी गयी है।

2.4 पोषण और आहार सुनिश्चित करना

2.4.1 पोषण सुरक्षा प्रदान करना : नेशनल कुक्ड मिड–डे मील स्कीम, आईसीडीएस, किशोरी शक्ति योजना, किशोरावस्था की बालिकाओं के लिए पोषण कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के जरिए नेशनल कुक्ड मिड डे मील स्कीम को लगभग संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। दूसरी ओर आईसीडीएस के प्रथम चरण को समूचे देश में लागू करने की मंजूरी दी गयी है। सरकार ने 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए किशोरी शक्ति योजना को भी समूचे देश में लागू कर दिया है।

2.4.2 खाद्य सुरक्षा : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बनाकर, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत लागत व्यय में वृद्धि करके, अंत्योदय अन्न योजना में विस्तार करके तथा ग्रामीण अनाज बैंक को संशोधित करके खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार करते हुए इसमें एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को शामिल किया गया है, जिससे 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उचित दर दुकानों को व्यवहार्य बनाने के लिए उन्हें पीसीओ के तौर पर इस्तेमाल करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। और उन्हें ऋण देने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र माना गया है। प्राकृतिक विपत्तियों और मंद सीजन के दौरान भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम को अधिक व्यापक बनाया गया है, तथा इसकी कवेरज का दायरा बढ़ाया गया है। पहले इस स्कीम में केवल अनुसूचित जनजातियों के लोगों और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के इच्छुक लोगों को इसमें शामिल किया गया था। अब इस स्कीम में सूखा प्रभावित क्षेत्रों, मरूस्थलों में देश के भोजनाभाव ग्रस्त दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी इच्छुक परिवारों को शामिल कर लिया गया है। पिछले दो वर्षों में 10,000 अनाज बैंक मंजूर किए गए हैं।

- प्राथमिक विद्यालयों में सर्वव्यापी नेशनल कुक्ड मिड–डे मील स्कीम से पोषण सुरक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों को सर्वव्यापी बनाने के कार्यक्रम, सर्वव्यापी किशोरी शक्ति योजना तथा सर्वव्यापी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का चरणबद्ध प्रारंभ।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लागत व्यय में वृद्धि करके, अन्त्योदय अन्न योजना में 67 प्रतिशत तक विस्तार करके, ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम को संशोधित करके खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।

3. न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में कदम

3.1 साम्प्रदायिक सदभाव और अल्पसंख्यकों का कल्याण

3.3.1 अल्पसंख्यकों संबंधी कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाकर अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक हैसियत प्रदान करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। यह पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है कि अल्पसंख्यकों में से सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गो का सर्वोत्तम कल्याण कैसे किया जा सकता है। इसमें शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का मुद्दा भी शामिल है। न्यायमूर्ति सच्चर की अध्यक्षता में गठित की गयी उच्च स्तरीय समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट संसद में पेश की जा चुकी है। यूपीए सरकार समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है, ताकि इन सिफारिशों को तेजी से अमली जामा पहनाया जा सके और अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जा सकें।

3.1.2 सांप्रदायिक सद्भाव : देश में सांप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही है और सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या में भारी गिरावट आयी है। हाल की कुछ सांप्रदायिक घटनाओं में सही समय पर कारगर कदम उठाए गए। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद को पुनर्गठित किया गया और 12 वर्ष के अंतराल के बाद इसकी बैठक हुई। संसद में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसका प्रयोजन सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण, गवाहों की सुरक्षा, मामलों के शीघ्र निपटान, सांप्रदायिक हिंसा पीड़ितों को राहत, पुनर्वास और मुआवजा देने के लिए तत्काल और प्रभावकारी उपाय, तथा तत्संबंधी मामलों की तेजी से जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए संसद में सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक पेश किया गया है। शिक्षा को सांप्रदायिक रंग देने के प्रयासों पर रोक लगायी गयी है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क संशोधित किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्त निकायों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी सभी गतिविधियों की समीक्षा करें, जिनसे शिक्षा के संप्रदायीकरण को बढ़ावा मिलता हो और इसे रोकने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करें।

3.1.3 अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम : अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को निम्नांकित रूप में संशोधित किया गया है, ताकि उसे अधिक प्रभाव ाली बनाया जा सके, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक उत्थान से गहरा संबंध रखने वाले मुद्दों पर तेजी से ध्यान केन्द्रित किया जा सके, विभिन्न कार्यक्रमों में परिव्यय निर्धारित करने का प्रावधान किया जा सके और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकासात्मक सुविधाएं कायम की जा सकें, तथा सांप्रदायिक विद्वेष और हिंसा रोकी जा सके :

(क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि

(1) आई सी डी एस सेवाओं की समान उपलब्धता

(2) स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार :

(3) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में उर्दू के शिक्षण के लिए अधिक संसाधन :

(4) मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

(5) प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिक–परवर्ती छात्रवृत्तियां

(6) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए शैक्षिक ढांचे में सुधार

(ख) आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में समान भागीदारी

(7) स्वरोजगार और दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रमों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों में हिस्सेदारी का प्रतिशत निर्धारित करना।

(8) तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए कौशल में बढ़ोतरी के लिए नए आई टी आई संस्थानों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यकों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार एक निश्चित संख्या में ऐसे क्षेत्रों में स्थित आई टी आई संस्थानों को 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में उन्नत बनाने के लिए चुना जाएगा।

(9) अल्पसंख्यकों को आर्थिक गतिविधियों के लिए अधिक ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम को सुदृढ़ बनाया जाएगा और बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों में अल्पसंख्यकों की समुचित प्रतिशत हिस्सेदारी तय की जाएगी।

(10) केन्द्रीय सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और राज्य सरकारों को भी तदनुरूप उपाय करने की सलाह दी जाएगी। अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना प्रारंभ की जाएगी।

(ग) अल्पसंख्यकों की जीवन स्थितियों में सुधार

(11) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) जैसे ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना।

(12) अल्पसंख्यक समुदायों की अधिकता वाली मलिन बस्तियों की स्थिति में सुधार

(घ) सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

(13) सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम

(14) सांप्रदायिक अपराधों के लिए मुकद्मा चलाना

(15) सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों को पुनर्वास के लिए तत्काल, समुचित और अविलंब वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके अंतर्गत शामिल ज्यादातर कार्यक्रमों के संदर्भ में भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय निर्धारण के क्षेत्र में 15 प्रतिशत उपलब्धियां पहले ही हासिल की जा चुकी हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की समेकित निधि में पर्याप्त बढ़ोतरी की गयी है।

3.1.4 अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग : संसद में बनाए गए एक अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी है कि संविधान के उन उपबंधों का कार्यान्वयन कारगर तरीके से हो, जो अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार देते हैं। इसमें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को यह अधिकार दिया गया है कि

वह अपनी पसंद के विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकते हैं, ऐसे संस्थानों को स्थापित करने के लिए अनापत्ति पत्र प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को निपटा सकते हैं तथा शैक्षिक संस्थानों की अल्पसंख्यक हैसियत से संबंधित विवादों का आयोग से समाधान करवा सकते हैं।

3.1.5 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) : राज्यों के लिए यथानुपात इक्विटी अंशदान की शर्त समाप्त कर दी गयी है और केंद्र ने प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर अपना इक्विटी शेयर बढ़ा दिया है। बैंकरों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेगी और संगठन के पुनर्गठन के उपाय सुझाएगी ताकि यह अधिक सक्षम तरीके से अपना कार्य कर सके। उम्मीद की जा रही है कि पुनर्गठन के बाद निगम अपने कार्यों का विस्तार करेगा और इसकी पहुंच में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी।

3.1.6 अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देना : अल्पसंख्यक समुदायों या समाज के कमजोर वर्गों से संबद्ध बालिकाओं को कक्षा 8 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 2,180 नए आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गयी है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित पोलिटैक्निक स्तर के 84 संस्थानों की पहचान की गयी है, जिनका उन्नयन किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में 12 नये संस्थान खोलने का भी प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए अल्पसंख्यकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्य योजना के अलावा विशेष रूप से धन आवंटित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग, सरकारी संस्थानों में सीटें पहले से नियत कर देने की स्कीमों में विस्तार करके ऐसे प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थानों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्रस्तुत करने का ट्रैक रिकार्ड रहा है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की संग्रह निधि को 70 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने के लिए अनुदान दिया गया है, ताकि फाउंडेशन अपने छात्रवृत्ति, पुरस्कार, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्गों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक सक्षम बन सकें। अल्पसंख्यक समुदायों की अधिक आबादी वाले जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक परवर्ती तथा स्नातक/स्नातकोत्तर योग्यता एवं साधन छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के लिए परिव्यय में बढ़ोतरी की गयी है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों की अधिकता वाले ब्लाकों/जिलों में उर्दू भाषा के शिक्षण के लिए पिछले 3 वर्षों में नवसृजित पदों को भरने या मौजूदा शिक्षकों को मानदेय के भुगतान के जरिए करीब 4 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गयी।

3.1.7 हज यात्रियों के लिए बेहतर प्रबंध : 2006 के द्वितीय हज के लिए हज समिति यात्री कोटा में भारी बढ़ोतरी करते हुए इसे 1,10,000 कर दिया गया। यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने के अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें मक्का में बेहतर आवास मानक बढ़ाना, मदीना में अधिक समीपस्त आवास उपलब्ध कराना और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं देना शामिल है। राज्य हज समिति एवं वक्फ़ बोर्ड के कर्मचारियों को सहायक या खादिम उल हजीज, आदि के रूप में प्रतिनियुक्त करके उन्हें निजी टूर आपरेटरों की गतिविधियों का विनियमन करने का कार्य देकर हज प्रबंधन में हज समितियों की भूमिका को बढ़ाया गया है।

3.1.8 उर्दू चैनल : उर्दूभाषी लोगों की सूचना, शिक्षा, और सांस्कृतिक जरूरतें पूरी करने के लिए दूरदर्शन ने उर्दू चैनल शुरू किया हैं। इससे अल्पसंख्यकों की भाषा संबंधी आकांक्षाओं और पहचान को अभिव्यक्ति का माध्यम मिला है। इससे उन्हें समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और प्रोत्साहन में मदद मिलेगी। इस चैनल को 24 घंटे चालू रहने वाले चैनल का रूप देने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

3.2 महिलाओं का सशक्तीकरण

3.2.1 संस्थागत फोकस : महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के रूप में स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया गया है।

3.2.2 विधि : विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लागू किए जा रहे 42 ऐसे कानूनों की यूपीए सरकार जांच कर रही है, जो विशेष रूप से महिलाओं से संबद्ध हैं, अथवा उनमें महिलाओं पर असर डालने वाले प्रावधान हैं। सरकार ने कानूनी समानता के बारे में अंतर–मंत्रालयी समिति का गठन किया है, ताकि ऐसे कानूनों को महिलाओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिए उनमें संशोधनों की स्थिति का अध्ययन किया जा सके। अभी तक यूपीए सरकार 6 कानूनों में संशोधन कर चुकी है, दो नए कानून बना चुकी है और पांच कानूनों के संदर्भ में प्रशासनिक आदेश जारी कर चुकी है।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संरक्षण संबंधी अधिनियम 2005 के द्वारा परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अधिक कारगर ढंग से संरक्षण प्रदान किया गया है। यह अधिनियम महिलाओं को अनिंदात्मक एवं अहिंसक वैवाहिक या अन्य घरेलू संबंधों पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है और उनके लिए ऐसे सिविल उपचार की व्यवस्था करता है, जो अभी तक आपराधिक विधि प्रणाली में उपलब्ध नहीं था। राज्यों में हिंदू महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति में पुरुषों के समान पैतृक अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है। इससे राज्यों के असंगत कानून समाप्त हो जायेंगे। विवाह संबंधी अनिवार्य पंजीकरण विधेयक भी विचाराधीन है। सती (निवारक) अधिनियम, 1987 के उपबंधों को अधिक कड़ा, निवारक एवं प्रभावी बनाने और सती होने का प्रयास करने के मौजूदा बोध को अपराधी के रूप में पुनः निश्चित करने तथा दीर्घ सामाजिक व्यवस्था की पीड़िता के रूप में व्यवहार करने की बजाय उसकी सहायता करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन किए गए हैं।

सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से पूर्व महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने, बलात्कार करने, या तत्संबंधी प्रयास करने वाले अभियुक्तों की चिकित्सा जांच करवाने, पुलिस हिरासत में रहते हुए बलात्कार के मामले में अनिवार्य न्यायिक जांच करवाने के लिए संसद ने संशोधन पारित कर दिये हैं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावनाएं हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, रोकथाम और क्षतिपूर्ति) विधेयक तैयार किया जा रहा है। कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नियोक्ता से अपेक्षा रखते हुए कि वह महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करेगा, रात्रि के समय महिलाओं के रोजगार के संबंध में लचीलापन लाने के लिए यूपीए सरकार ने फैक्टरी अधिनियम, 1948 मे संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश किया है।

यूपीए सरकार ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए संसद में विधेयक पेश किया है, ताकि अवैध व्यापारियों, दलालों और चकला मालिकों के खिलाफ कानून के उपबंधों को अधिक सख्त, निवारक एवं प्रभावी बनाया जा सके और अधिनियम के उन उपबंधों को हटाया जा सके, जो उन महिलाओं में भेदभाव करते हैं, जो व्यवसायिक रूप से यौन शोषण की शिकार हैं, पीड़ित महिलाओं की गोपनीयता तथा गरिमा बचाने के लिए गुप्त सुनवाई की जा सके, और लोगों में अवैध व्यापार को प्रभावपूर्ण तरीके से रोकने तथा विरोध करने के लिए केन्द्रीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरणों के गठन की व्यवस्था हो।

महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कानूनों में भी संशोधन (बलात्कार/यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानून में संशोधन) करने पर विचार किया जा रहा है। इनमें महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण (निवारक) अधिनियम, 1986; दहेज रोकथाम अधिनियम, 1961; गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971; संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890; हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण–पोषण अधिनियम, 1956; विदेश विवाह अधिनियम, 1969; हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, 1956; फैक्टरी अधिनियम, 1948; बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961; अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तो का नियमन) अधिनियम,1979; बागान श्रमिक अधिनियम, 1951; बाल श्रम (रोकथाम एवं नियमन) अधिनियम, 1986; वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; भारतीय दंड संहिता, 1860; और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973; शामिल हैं।

3.2.3 वित्तीय क्रियाकलाप : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, में एक तिहाई रोजगार महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। बजट में लिंग संबंधी मुद्दों को शामिल करने की शुरुआत की गयी है। इसका उद्देश्य महिलाओं के कल्याण पर किए जा रहे सरकार खर्च का मूल्यांकन करना और उसके प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करना है। इससे सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की लिंग संवेदनशीलता में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी। 50 मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग सैल स्थापित किए गए हैं। शत प्रतिशत महिला उन्मुखी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 8,795 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कम से कम 30 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी वाले कार्यक्रमों के लिए 22,382 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

3.2.4 महिला आरक्षण विधेयक : विधानमंडलों में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण के वि ाय में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है और इस पर आम सहमति कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपीए सरकार ने सभी विपक्षी दलों और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ बैठकें आयोजित की हैं। महिला संगठनों और अन्य सहभागियों के साथ विचार–विमर्श किया गया है। सरकार ने उन आशंकाओं को दूर करने के प्रयास किए हैं, जिनकी वजह से राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पायी है, और एक नया विधेयक संसद में पेश करने पर विचार कर रही है।

3.2.5 बालिका शिक्षा : कक्षा आठ तक की लड़कियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 2,180 नये आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी गयी है। लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए एक नई प्रोत्साहन स्कीम घोषित की गयी है, जिसमें 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली और माध्यमिक स्कूल में दाखिला लेने वाली लड़की के नाम से 3000 हजार रूपये जमा किए जाते हैं। यह धनराशि बालिका वयस्क होने पर निकाल सकती है।

3.2.6 सेना में महिला अधिकारी : एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने शार्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत महिला अधिकारियों का कार्यकाल 10 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया है। इस प्रकार वे पुरुष सहयोगियों के बराबर हो गयी हैं। अब उन्हें 2,6 और 13 वर्ष की सेवा के बाद क्रमशः कैप्टन, मेजर और लैफिट्नेंट कर्नल के लिए पदोन्नति का पात्र समझा जाएगा।

3.3 कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण और कल्याण

3.3.1 राष्ट्रीय जनजातीय नीति : संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति नीति का मसौदा तैयार किया है, जिसमें जनजातीय लोगों के हितों से संबद्ध सभी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए गए हैं। इनमें जनजातीय भूमि का हस्तांतरण, जनजातीय–वन परस्पर निर्भरता, पुनःस्थापन और पुनर्वास, आदिम जनजातीय समूह, सशक्तीकरण, स्वैच्छिक संगठनों की सहायता को सूचीबद्ध करना, जनजातीय संस्कृति, परंपरागत ज्ञान, जनजातीय क्षेत्रों का विकास और प्रशासन, जनजातियों का अनुसूचीकरण और सूची से हटाना, आदि मुद्दे शामिल हैं। मसौदा नीति में तीन वर्ष के लिए कार्ययोजना भी शामिल की जा रही है। जनजातीय लोगों के विस्थापन के बारे में पुनःस्थापन और पुनर्वास नीति को नया रूप दिया जा रहा है ताकि उपयुक्त कानूनी प्रावधान किए जा सकें।

3.2.2 नौकरियों में आरक्षण : आरक्षण को एक वैधानिक अधिकार का दर्जा देने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है। पिछले बकाया आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अभूतपूर्व सफलता मिली। इस अभियान के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में सीधे भर्ती या पदोन्नति के जरिए करीब 50,000 रिक्तियां भरी गयीं। अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध पिछली बकाया रिक्तियों में आरक्षण के सभी आयामों पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक दल बनाया गया है। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए रचनात्मक उपायों पर विचार करने के वास्ते मंत्रियों का एक दल बनाया गया, जिसने उद्योग के साथ इस मुद्दे पर वार्तालाप शुरू किया कि इन समुदायों की आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से कैसे पूरा किया जा सकता है। मंत्री दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा गठित एक समन्वय समिति ने

उद्योग जगत से टिप्पणियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि रचनात्मक कार्रवाई की ठोस योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।

3.3.3 शिक्षा : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों से संबद्ध विद्यार्थियों की शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। यूपीए सरकार ने इन श्रेणियों से संबद्ध विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का विस्तार किया है, और उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों की पहुंच का विस्तार करने के लिए बनाए गए कानून पर अमल शुरू कर दिया है। शैक्षिक पदों और अनुसंधानात्मक अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना शुरू की गयी है, जिसके अंतर्गत हर वर्ष 2,000 फेलोशिप वित्त पोषित की जायेंगी। समाज के कमजोर वर्गों या अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध लड़कियों को आठवीं कक्षा तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए पिछले तीन वर्षों में 2,180 नए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गयी है।

3.3.4 हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास : हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास, यानी अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक उपेक्षित लोगों को अन्य व्यवसायों में लगाने के लिए यूपीए सरकार ने 'हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए नया स्वरोजगार कार्यक्रम' शुरू किया है। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को ऋण से संबद्ध सब्सिडी और रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर सकें। इसके अतिरिक्त उन्हें एक वर्ष का कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो वर्ष के भीतर हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करना है।

3.3.5 वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकार : अनुसूचित जन जातियां और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2006 लागू होने से सदियों से वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, क्योंकि इस अधिनियम के जरिए उन्हें कई प्रकार के वन अधिकार दिए गए हैं। इनमें उनके कब्जे वाली वनभूमि पर भूमि अधिकार, काश्तकारी की सुरक्षा संबंधी अधिकार, भरण पोषण के लिए खेती का अधिकार और लघु वन उत्पादों पर स्वामित्व का अधिकार, आदि शामिल हैं। वन उत्पादों से संबंधित अधिकारों में ऐसे उत्पादों के संग्रह, इस्तेमाल और बिक्री के अधिकार तथा कुछ अन्य परंपरागत एवं प्रचलित अधिकार शामिल हैं। इस कानून से वनवासियों और जनजातियों को उनके अधिकार वाली वन भूमि से हटाए जाने की आशंका समाप्त हो गयी है। इससे वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के हकदार भी बन गए हैं। जिन मामलों में कोई विवाद नहीं है, उनमें पट्टों और ग्रीन कार्डों का वितरण 14 नवंबर 2007 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। विवादित मामलों में वितरण का लक्ष्य 26 जनवरी 2008 तय किया गया है।

3.3.6 पांचवें अनुसूचित क्षेत्रों में समुदाय के सदस्यों के अधिकार : पंचायती राज मंत्रालय को आदेश दिया गया है कि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (**पेसा**) को राज्यों में लागू किया जाए। इस अधिनियम को लागू करने सहित पंचायतों से संबंधित अन्य मुद्दों की छानबीन के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। उन सभी राज्यों ने, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, 'पेसा' के अनुरूप लघु खनिजों के दोहन संबंधी पंचायतों के अधिकारों के बारे में अपने नियमों में संशोधन कर लिए हैं।

3.3.7 संस्थागत फोकस : जनजातीय मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति की स्थापना की गयी है, जो जनजातीय विकास संबंधी मुद्दों का समाधान निरंतरता के आधार पर करेगी। इसी प्रकार दलित मामलों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने के लिए दलित कार्य संबंधी मंत्रियों की समिति बनायी गयी है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग–अलग आयोगों की स्थापना की गयी है। निर्दिष्ट जनजातियों के बारे में एक आयोग भी बनाया गया है।

3.3.8 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भूमि का विकास : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के खेतों में सुधार की व्यवस्था की गयी है। किसानों द्वारा इस्तेमाल

किए जा रहे जल निकायों, विशेषकर शुष्क भूमि, दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्थित जल निकायों के सुधार, मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गयी है। इसका उद्देश्य जल निकायों की भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी, और उनकी अपशिष्ट एवं खोई हुई सिंचाई क्षमता बहाल करना है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खेतों को प्राथमिकता दी जा रही है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम संबंधी दिशा–निर्देशों को संशोधित किया गया है, ताकि सामान्य श्रेणी राज्यों में भी जनजातीय एवं सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों में सतही लघु सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। इससे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लाभ होने की संभावना है। अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध भूमि के संबंध में लघु सिंचाई कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत 2009 तक भूमिगत जल के माध्यम से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता पैदा की जाएगी। इससे मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में लघु एवं सीमांत किसानों को लाभ होगा।

3.3.9 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परिव्यय : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परिव्यय में हर वर्ष महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की जा रही है। 2007–08 में इन समुदायों के लाभ संबंधी कार्यक्रमों का आवंटन बढ़ाकर 17,691 करोड़ रुपये किया गया, जबकि 2006–07 में यह 12,592 करोड़ रुपये था।

3.3.10 अपंग व्यक्तियों का कल्याण : अपंग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति मंजूर की गयी है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, अपंगता पेंशन, और शिक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संविदा की पुष्टि कर दी है और उस पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। विकलांग व्यक्तियों को अनिवार्य उपकरण निःशुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत पात्रता के लिए आय की सीमा बढ़ाई गयी है। इन उपकरणों में अद्यतन उपकरण जैसे मोटर से चलने वाली ट्राइसाइकिल, स्क्रीन रीडिंग, साफ्टवेयर आदि भी शामिल हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए चुने हुए पदों की सूची की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। भारतीय रेलवे ने विकलांग व्यक्तियों से संबद्ध सैंकड़ों पदों को भरा है और अपंग विद्यार्थियों को, विशेषकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए, बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। यूपीए सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आरक्षण की योजना को सुचारू बनाने के प्रयास किए हैं। नेत्रहीन, कम दृष्टि, बधिर, गति विषयक अपंगता या सेरेब्रल पल्सी से ग्रस्त व्यक्तियों की अखिल भारतीय सहित सिविल सेवाओं में नियुक्ति के रूप में ये प्रयास स्पष्ट दिखायी दे रहे हैं। सरकार अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आरक्षण नीति की और समीक्षा करने और उसमें और संशोधन करने पर विचार कर रही है। संगठित क्षेत्र में नियोक्ताओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए नियमित रोजगार की व्यवस्था करने में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम घोषित किया है। इसके अंतर्गत किसी विकलांग व्यक्ति के नियमित होने और कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सदस्य बनने पर नियोक्ता द्वारा अदा किया जाने वाला पहले तीन वर्ष का अंशदान सरकार वहन करेगी। सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन सीमा वाले करीब एक लाख पद हर वर्ष सृजित करने के लिए तैयार है और इस कार्य के लिए चालू वित्त वर्ष में 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा के स्थान पर समग्र शिक्षा योजना के रूप में एक नया कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य एकीकृत और स्वैच्छिक संगठन संचालन नीति की बजाय सरकार एवं समाज संचालित नीति अपनाने पर ध्यान केन्द्रित करना है।

3.3.11 स्वतंत्रता सेनानी : सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों की पेंशनराशि दुगुनी कर दी है। अक्टूबर, 2006 और अगस्त 2005 में की गयी बढ़ोतरी के बाद यह पेंशन अब 10,000 रुपये प्रतिमाह हो गयी है। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी की अविवाहित और बेरोजगार आश्रित पुत्रियों की मासिक पेंशन भी बढ़ाई गयी है।

सबसे बड़ी पुत्री की पेंशन 600 रुपये, और छोटी पुत्रियों की पेंशन 350 रुपये से बढ़ाकर सभी पुत्रियों के मामले में 1500 रुपये कर दी गयी है।

3.3.12 वरिष्ठ नागरिक : राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है। यह पेंशन 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेसहारा व्यक्तियों को दी जाती है ताकि उनकी आजीविका में सहायता की जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गयी है, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण एवं कल्याण विधेयक, 2007 संसद में पेश किया गया है। इसका प्रयोजन माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण के लिए अधिक कारगर प्रावधान करना है। विधेयक में वृद्ध संबंधियों की संपत्ति का वारिस बनने वाले व्यक्तियों पर यह वैधानिक दायित्व सौंपा गया है कि वे ऐसे संबंधियों का भरण–पोषण करेंगे। इसमें दीन–हीन वारिस रखने वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम खोलने का भी प्रावधान है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने और उनके जीवन एवं संपत्ति की संरक्षा के भी प्रावधान किए गए हैं। वृद्ध व्यक्तियों के भरण–पोषण, देखभाल और संरक्षा के लिए नया कानून बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है। प्रस्तावित कानून में भरण–पोषण का दावा करने की प्रक्रिया को और सरल, सुगम और त्वरित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आकर्षक ब्याज दर वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की गयी है। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अभिनव वित्त व्यवस्था शुरू की है। रिवर्स मोर्टगेज नाम की इस योजना के अंतर्गत मकान के स्वामी वरिष्ठ नागरिक को अपना मकान गिरवी रखके मासिक आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसा करते समय व्यक्ति अपने मकान का स्वामी भी बना रहता है, और ऋण अदा किए बिना या उस पर ब्याज दिए बिना जीवन पर्यन्त उसमें रह सकता है।

3.3.13 भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण : वर्ष 2007 को भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए कार्पोरेट क्षेत्र के सहयोग से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यूपीए सरकार ने इस दिशा में अनेक उपाय किए हैं :–

(i) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग स्थापित किया गया है।

(ii) अधिकारी रैंक से नीचे के उन कार्मिकों की पेंशन के संदर्भ में विसंगति दूर की गयी है, जो 1996 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। निचले रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को भी अब पूरी पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है, भले ही उनकी सेवा अवधि कम हो। इससे 11.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा।

(iii) सेवा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के मामले में निकट संबंधी को लाभ देने संबंधी प्रक्रिया में सुधार किया गया है।

(iv) पेंशन के मामले निपटाने का अभियान चलाया गया। शिकायतें दूर करने के लिए पेंशन अदालतें लगायीं गयीं।

(v) प्रधानमंत्री योग्यता छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी है, जिसके अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की संतानों को हर वर्ष 5,000 छात्रवृत्तियां दी जाएगी।

(vi) भूतपूर्व सैनिक अंशदाई स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान बनायी गयी है और बड़ी संख्या में पोलिक्लीनिक खोले गए हैं।

(vii) इस वर्ष से सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण का विस्तार किया जा रहा है।

(viii) मंत्रालयों को सलाह दी गयी है कि वे आउटसोर्स सुरक्षा कार्यों के लिए केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही लगायें।

(ix) जय जवान आवास योजना के अंतर्गत आवास परियोजनायें शुरू की गयी हैं। ऐसी पहली परियोजना 2007 में जयपुर में पूरी की जाएगी।

(x) सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक पेश किया गया है। इस प्रयोजन सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की सेवा शर्तों के बारे में बड़ी संख्या में लंबित अदालती मामलों और कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील के बकाया मामलों का शीघ्र एवं कम लागत पर निपटारा सुनिश्चित करना है।

3.4 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण

3.4.1 ग्रामीण रोजगार गारंटी : ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम बनाकर इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गयी है।

3.4.2 आम आदमी बीमा योजना : करीब 1.5 करोड़ भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से मृत्यु एवं विकलांगता बीमा लाभ प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना नाम की नई स्कीम घोषित की गयी है। शुरू में एलआईसी की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत 70 लाख परिवारों को यह लाभ प्रदान करने के लिए कुछ राज्य सरकारों और एलआईसी के सामाजिक सुरक्षा कोष को सहायता दी जाएगी। नई योजना के अंतर्गत सरकार उन ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचायेगी, जिन्हें अभी तक किसी योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है। प्रीमियम लागत का आधा हिस्सा केंद्र सरकार देगी और शेष आधे हिस्से को वहन करने का अनुरोध राज्य सरकारों से किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित कोष के अंतर्गत 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

3.4.3 असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग : असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग गठित किया गया है, जो एक परामर्शदात्री निकाय और निगरानी करने वाले संगठन के रूप में कार्य करेगा, तथा सरकार के समक्ष समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके विचारार्थ विषयों में व्यापक रूप से असंगठित क्षेत्र से संबंधित सभी मुद्दे शामिल हैं, तथा इसमें इन कार्यकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा ओर अन्य स्कीमों सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सहभागियों, विशेषकर राज्य सरकारों के साथ व्यापक स्तर पर परामर्श करके संगत विधि निर्माण पर महत्वपूर्ण कार्य किया हैं। आयोग ने टैक्सटाइल, सूचना प्रोद्योगिकी और विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में श्रम अधिकारों के अनुरूप उत्पादकता बढ़ाने तथा अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और रोजगार का सृजन सुनिश्चित करने के लिए भारत में श्रम कानून की समीक्षा भी की थी। समूह आधारित प्रगति बिंदु (क्लस्टर बेस्ड ग्रोथ पोल्स), सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से कौशल निर्माण, माइक्रो–फाइनेंस के प्रावधान को प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में निर्धारित किया गया है। स्वनियोजित कामगारों के लिए ऋण की व्यवस्था, सामान्य संपत्ति तथा प्राकृतिक संसाधन के अधिकार और आर्थिक कार्य में लगाने के लिए सार्वजनिक स्थान के प्रयोग की व्यवस्था करके जीविका की सुरक्षा तथा उसे बढ़ाने के उपाय भी किए जा रहे हैं। अंसगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की रिपोर्ट को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है।

3.4.4 शहरों में सड़कों पर माल बेचने वाले : शहरों में गली–मुहल्लों में माल बेचने वालों को सुविधा पहुंचाने के लिए सभी पक्षों के साथ विचार–विमर्श के बाद एक नई नीति और आदर्श कानून तैयार किया जा रहा है।

3.4.5 पूर्ण सामाजिक सुरक्षा नेट : सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित क्षेत्र श्रमिक (सामाजिक सुरक्षा) विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने पूर्ण सामाजिक प्रदान करने के लिए बीमांकिक विश्लेषण किया है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा संबंधी पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

3.4.6 कार्य वातावरण और जीविकोपार्जन के साधन में सुधार : काम का माहौल सुधारने और जीविका की सुरक्षा और उसके संवर्धन के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए असंगठित क्षेत्र श्रमिक (कार्य वातावरण एवं जीविकोपार्जन प्रोत्साहन) विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3.4.7 राष्ट्रीय निधि की स्थापना : अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों को तकनीकी, विपणन एवं ऋण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय निधि स्थापित करने के तौर–तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3.4.8 कार्य प्रणालियों को सुचारू बनाना : 16 श्रम कानूनों में विहित फार्मों और रजिस्टरों को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए तथा विहित विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने की व्यवस्था करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

3.4.9 कृषि एवं ग्रामीण उद्योग : खादी एवं ग्राम उद्योग का पुनर्गठन किया गया है। जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान को नया रूप देते हुए वर्धा में महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग संस्थान की स्थापना की गयी है। इसका उद्देश्य खादी एवं ग्राम उद्योगों की क्षमता बढ़ाना और उन्हें उन्नत बनाना है। सरकार ने परंपरागत उद्योगों को बहाल करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, इसके अंतर्गत खादी, ग्राम और नारियल उद्योग से संबंधित 104 समूहों के निर्माण को मंजूरी दी गयी है, जिनका अगले पांच वर्षों में व्यापक विकास किया जाएगा। 'नारियल क्षेत्र के पुनरोद्धार और नारियल उद्योग के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम' नाम से एक कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

4. ग्रामीण नवीकरण

4.1 भारत निर्माण

4.1.1 रूपरेखा : भारत निर्माण चार वर्षीय कार्यक्रम (2005–09) कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण ढांचे से संबद्ध 6 चुने हुए क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य हासिल करना है। ये क्षेत्र हैं–सिंचाई, आवास, सड़कें, टेलीफोन और विद्युतीकरण। इनमें से चार क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें एकसमान सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया जाना है। इनके अंतर्गत प्रत्येक गांव में दूरसंचार सेवाएं और बिजली पहुंचाना, प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और न्यूनतम एक हजार, या पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों में 500 की आबादी वाली प्रत्येक बस्ती को हर मौसम में चालू रह सकने वाली सड़क से जोड़ना। इसके अतिरिक्त सरकार ने 60 लाख मकान बनाने और एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने जैसे लक्ष्य भी रखे हैं। अनुमानित निवेश 1,74,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निवेश में विभागीय और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का भी योगदान रहेगा।

4.1.2 लक्ष्य : पहले से जारी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (42 लाख हेक्टेयर) और लघु सिंचाई योजनाओं (28 लाख हेक्टेयर) को पूरा करके, परिपूर्ण परियोजनाओं की इस्तेमाल क्षमता बढ़ाकर (20 लाख हेक्टेयर) और ऐसे क्षेत्रों में, जहां भूमिगत जल की क्षमता का भरपूर दोहन नहीं हुआ है, भूमिगत जल के विकास (10 लाख हेक्टेयर), के जरिए एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की पक्की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की व्यवस्था करने के उपाय किए हैं। पेयजल के लक्ष्यों के अंतर्गत इस बात की पुख्ता व्यवस्था करना है कि करीब 55,000 ऐसी बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पेयजल का कोई सुरक्षित स्रोत उपलब्ध न हो। इसके अतिरिक्त पूर्ण कवरेज सूची से बाहर निकली करीब 2.8 लाख बस्तियों, और पानी की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही करीब 2.17 लाख बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2005–09 की अवधि में 66,802 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 48,000 करोड़ रुपये की लागत से 1.46 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाने और 1.94 किलोमीटर लंबी मौजूदा सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 90 प्रतिशत गांवों में पहले ही ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष 66,822 गांवों में नवंबर 2007 तक वीपीटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही गांवों में 5 करोड़ से अधिक पंजीकृत लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जायेंगें, और इसके पश्चात मांग के आधार पर टेलीफोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी जाएगी। 1,00,000 से अधिक गांव ऐसे हैं, जहां बिजली नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत न केवल इन गांवों में बिजली पहुंचायी जाएगी, बल्कि 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली के कनेक्शन भी दिए जायेंगे। इसके अंतिरिक्त प्रत्येक ब्लॉक में 33/11 केवी क्षमता का कम से कम एक सब–स्टेशन और प्रत्येक बस्ती में एक वितरण ट्रांसफार्मर भी लगाया जाएगा।

4.1.3 प्रगति : कुछ राज्यों को छोड़कर भारत निर्माण के अंतर्गत शुरू की गयी परियोजनाओं के संदर्भ में ज्यादातर वार्षिक लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ग्रामीण आवास और ग्रामीण पेयजल

आपूर्ति संबंधी कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी, 2007 तक 9,481 बस्तियों को सड़क से जोड़ा गया। इसके लिए 30,000 कि.मी. लंबी नई सड़कें बनायी गयीं और 29,000 कि.मी. लंबी मौजूदा सड़कों का उन्नयन किया गया। 23 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया जा चुका है। निर्धारित मानदंड के अनुसार 1.5 लाख बस्तियों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की गयी है। 37,000 बिजली रहित गांवों और 6.25 लाख बिजली रहित ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ढांचे में बढ़ोतरी की गयी है। 32,000 से अधिक गांवों में टेलीफोन संपर्क कायम किया गया है। यूएसओ कोष से प्राप्त होने वाले निवेश में महत्वपूर्ण तेजी आयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन सेवाओं से आगे बढ़ते हुए मोबाइल सेवाएं और ब्राडबैंड संपर्क कायम करने के लिए यूएसओ सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते कानून में संशोधन किया जा रहा है। 2007 के अंत तक 8,000 अतिरिक्त टावर खड़े करने के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं/टेंडर को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस प्रकार यूएसओ कोष के जरिए निर्मित टावरों की कुल संख्या बढ़कर 22,000 तक पहुंच गयी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में साझा वायरलेस ढांचा उपलब्ध कराने में मदद मिली है। 14.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था की गयी है और 2007–08 के दौरान 2.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऐसी ही व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

4.2 ग्रामीण रोजगार

4.2.1 एनआरईजीए : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर दिया गया है। पहली बार काम को मौलिक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गयी है और ग्रामीण निर्धनों को वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी प्रदान की गयी है। ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू में 200 जिलों में 1.4 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचा है। 2007 के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार 130 और जिलों में किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में इस रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 5,00,000 कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से आधे कार्य जल संरक्षण और सूखे की रोकथाम से संबंधित है। इससे प्राकृतिक संसाधन आधार के पुनर्निर्माण में मदद मिलेगी। इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था इससे पहले दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुई है। कानून में यह प्रावधान है कि सरकार को अगले 5 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विस्तार पूरे देश में करना होगा।

4.3 कृषि और सहकारिता

4.3.1 सिंचाई : भारत निर्माण के अंतर्गत 2005–09 की अवधि में 1 करोड़ हेक्टेयर नये क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता पैदा करने के अलावा ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंक्लर सिंचाई के जरिए लघु–सिंचाई कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2004–05 में ग्रामीण ढांचा विकास कोष (आरआईडीएफ) बहाल किया गया और इसकी राशि 2007–08 में बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपये कर दी गयी।

4.3.2 राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण : यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया है, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल संसाधन प्रबंधन के सभी पहलुओं में एकीकृत और समन्वित व्यवस्था के रूप में काम करेगा, तथा पंचायती राज संस्थानों को वैज्ञानिक एवं बौद्धिक सहायता उपलब्ध कराएगा। यह ग्रामीण समुदायों को स्वास्थ्य, पोषण, और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्षा के पानी के संग्रह, संरक्षण और स्थिर एवं समान उपयोग के उपाय करेगा, तथा फसल एवं पशु पालन, वानिकी एवं मछली उद्योग की सुरक्षा और उत्पादकता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह एक व्यावसायिक निकाय होगा, जिसकी अनुशंसाओं और कार्ययोजनाओं को उच्च वैज्ञानिक विषयवस्तु तथा आर्थिक विश्वसनीयता के साथ ग्रहण किया जाएगा। यह प्राधिकरण पारिस्थितिकी, किफायत, समानता, और रोजगार के अवसर पैदा करने के सिद्धांतों पर काम करेगा।

4.3.3. ऋण : कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए ऋण वितरण का मात्रा एवं पहुंच दोनों ही दृष्टि से तेजी से विस्तार किया गया है। इसे सस्ता बनाने के प्रयास भी किए गए हैं। जून 2004 में सरकार ने एक व्यापक नीति की घोषणा की

जिसमें अगले तीन वर्षों में कृषि के लिए ऋण वितरण दुगुना करने का प्रावधान किया गया। कृषि के लिए ऋण दुगुना करने का यह लक्ष्य दो वर्ष में ही हासिल कर लिया गया। 2006–07 के लिए 1,75,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि सफलता इससे अधिक हासिल की गयी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 1,90,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। 2007–08 के लिए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य और भी बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपये का रखा गया है।

बैंकों को 50,000 तक के कृषि ऋण के लिए मार्जिन/सुरक्षा प्रावधान से छूट देने की अनुमति दी गयी है। कृषि–व्यापार और कृषि–क्लिनिकों के मामले में 5 लाख रुपये के ऋणों पर यह छूट दी गयी है। पैदावार विपणन योजना के जरिए किसानों को ऋण की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है। कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने और गोदाम प्राप्तियों को गिरवी रखके बैंकों से ऋण प्राप्त करने मे सहायता पहुंचाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। इसमें सभी जिंसों से संबंधित गोदाम प्राप्तियों को नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट बनाने का प्रावधान है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे ऋण जमा अनुपात का स्तर कम रहने की समस्या पर काबू पाने संबंधी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर अमल करें। अनुवर्ती कार्रवाई के अंतर्गत 196 ऐसे जिलों में जिला स्तरीय ऋण समितियों की विशेष उप–समितियों का गठन किया गया है, जिनमें ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। इससे इन जिलों में ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए निगरानी कार्य योजना पर अमल किया जा सकेगा और कृषि एवं लघु उद्योग के लिए ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा भी की जा सकेगी। सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता के बारे में एक समिति का गठन किया है, जिसकी रिपोर्ट मई 2007 के अंत तक आने की संभावना है। सरकार रिपोर्ट पर विचार करेगी और उसे लागू करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई तय करेगी।

औपचारिक ऋण व्यवस्था और लघु वित्त व्यवस्था, दोनों के ही जरिए किसानों की पहुंच ऋण तक बढ़ाने पर समान ध्यान दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों, सभी ने मिलकर पिछले तीन वर्षों में 2 करोड़ से अधिक नये किसानों को ऋण दिए हैं, और 2007–08 में 50 लाख और किसानों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय समावेशन संबंधी एक समिति ने प्रत्येक परिवार को ऋण वितरित करने की एक योजना के बारे में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार ने इस समिति की दो सिफारिशों को तत्काल लागू करने का फैसला किया है। पहली सिफारिश यह है कि नाबार्ड में एक समावेशन कोष बनाया जाए, ताकि विकासात्मक एवं प्रोत्साहन विषयक उपायों की लागत के लिए धन जुटाया जा सके। दूसरी सिफारिश के अनुसार एक वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना करने को कहा गया है ताकि प्रौद्योगिकी अपनाने संबंधी लागत की व्यवस्था की जा सके। इन दोनों निधियों की समग्र राशि 500 करोड़ रुपये होगी। प्रारंभिक धन की व्यवस्था केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की जाएगी। रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वे 2007–08 के दौरान गहन शाखा विस्तार करे, और अब तक कवर न किए गए देश के 80 जिलों में कम से कम एक शाखा अवश्य खोले।

2004–05, 2005–06 और 2006–07 (दिसंबर, 2006 तक) के दौरान बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, और 14 लाख ऐसे ही समूहों को ऋण के साथ जोड़ा गया। इससे पता चलता है कि मार्च 2004 के अंत तक ऋण से संबद्ध स्वयं सहायता समूहों की संचयी संख्या और ऋण प्रवाह (मार्च, 2004 के अंत में 10.7 लाख से बढ़कर दिसंबर 2006 के अंत तक 24.66 लाख हो गया) की तुलना में ऋण से जुड़े स्वयं–सहायता समूहों की संख्या में मात्र पौने तीन वर्ष की अवधि में 130 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2006 तक 24.66 लाख स्वयं–सहायता समूहों को 13,465 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। नाबार्ड से कहा गया है कि वह स्वयं–सहायता समूहों के जरिए कृषि उत्पादन और निवेश गतिविधियों के लिए अलग ऋण की वित्त व्यवस्था करे। 2007 के संशोधित लघु वित्त लक्ष्य को देखते हुए नाबार्ड इस बात पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है कि प्राथमिकता वाले 13 राज्यों में एक तिहाई ग्रामीण निर्धनों को ऋण का लाभ पहुंचाया जाए। ये निर्धन कुल ग्रामीण निर्धनों के 70 फीसदी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

तत्संबंधी ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए आवंटन में 2007–08 में डेढ़ गुणा बढ़ोतरी की गयी है। लघु वित्तीय क्षेत्र (विकास एवं नियमन) विधेयक, 2007 संसद में पेश किया गया है। इसमें लघु वित्त क्षेत्र के प्रोत्साहन, विकास और उसकी निरंतर बढ़ोतरी के उपाय किए गए हैं, ताकि समेकित वित्तीय सेवाओं तक सभी, विशेषकर महिलाओं और समाज के उपेक्षित वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद की जा सके, और अभी तक अनियमित रहे लघु वित्त संगठनों को नियमित बनाया जा सके। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि विकास एवं नियमन के कार्य नाबार्ड को सौंपे जायें और उससे सलाह लेने के लिए लघु वित्त विकास परिषद बनायी जाए। इसके अतिरिक्त ऋण देने, पुनर्वित्त, अनुदान बीज पूंजी या लघु वित्त संगठनों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, इक्विटी में निवेश, अनुसंधान प्रयोग, अध्ययन और विकास के अनुकूल पद्धतियां तैयार करने, उनके प्रोत्साहन और संवर्द्धन के लिए लघु वित्त विकास एवं इक्विटी कोषा का गठन किया जाए। इसमें ओम्बड्समैन (लोकपाल) की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

यूपीए सरकार ने फसल ऋण पर ब्याज दरों में 2 प्रतिशत राहत प्रदान की है।

अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ढांचे को बहाल करने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों, और राज्य सहकारी बैंकों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए 13,596 करोड़ रुपये के एक पैकेज पर अमल किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उनके तुलन पत्रों के परिमार्जन और पूंजी आधार को सुदृढ़ करने के जरिए एक स्वीकार्य सीमा तक उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इस पैकेज के अंतर्गत संचयी हानि, चुकता न की गयी इन्वोक्ड गारंटियां, राज्य सरकारों से प्राप्तियां, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी का रिटर्न, मानव संसाधन विकास, विशेष लेखा परीक्षाओं का आयोजन, कम्प्यूटरीकरण आदि को शामिल किया गया है और सहायता को सुधारों के साथ जोड़ा गया है। 12 राज्यों ने पैकेज को अपनी मंजूरी दे दी है। सहकारी ऋण ढांचे को बहाल करने के लिए दीर्घावधि की सिफारिशें करने संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट सरकार को मिल गयी है और उस पर विचार शुरू कर दिया गया है। नये प्रशासन मानदंड अपनाने वाले और विवेक सहित नियमों का पालन करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने पुनर्गठन के लिए सरकार से धन प्राप्त करने का पात्र समझा जाएगा। आरआरबी अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिसूचनाएं जारी कर दी गयी हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कन्सोलिडेशन (सुदृढ़ीकरण) और कुछ विलयों को मंजूरी प्रदान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली में सुधार लाने के लिए सरकार ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा ब्याज के प्रतिभूतिकरण को प्रवृत्त करने संबंधी अधिनियम का विस्तार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर भी करने का फैसला किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एनआरई/एफसीएनआर डिपोजिट् स्वीकार करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है। नकारात्मक विशुद्ध संपत्ति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चरणबद्ध तरीके से पुनः पूंजीकरण करने का भी प्रस्ताव है।

4.3.4 सूखे की आशंका वाले जिलों के लिए पैकेज : किसानों की आत्महत्याओं से सबसे बुरी तरह से प्रभावित 31 जिलों में 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का एक विशेष पैकेज लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अल्पावधि और दीर्घावधि के उपाय किए जा रहे हैं, और ऋण, सिंचाई, कृषि निवेश और आय के वैकल्पिक स्रोतों जैसे मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। इन जिलों में मवेशी और मछली उद्योग के लिए भी एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गयी है। इसके अंतर्गत अधिक दूध देने वाले पशुओं को बढ़ावा देना, बछड़ा पालन, प्रजनन सेवाएं, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल, दूध प्रशीतन इकाइयों की स्थापना, आहार और चारा आपूर्ति, तथा मछली उद्योग के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी जैसे उपाय शामिल किए गए हैं।

4.3.5 एकीकृत बाजार : उत्पादों के लिए एक साझा मंडी कायम करने के प्रति वचनबद्ध है, ताकि किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकें। इस काम को अंजाम देने के लिए गोदाम प्राप्तियों को नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट का दर्जा देने; अनिवार्य वस्तु अधिनियम में संशोधन; स्थानीय कृषि उपज विपणन अधिनियमों में संशोधन के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने; और खाद्य आपूर्ति एवं भंडारण शृंखला का विस्तार करने जैसे उपाय किए गए हैं। राज्य

स्तरीय वैट लागू किया जा रहा है। वैट के अंतर्गत स्थापित एकीकृत बाजार भी किसानों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। अनेक राज्यों को उनके कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियमों में संशोधन के लिए राजी किया गया है। संसद ने संशोधन पारित करके वनस्पतियों, मसालों, फलों, खली, चावल इतर और गेहूं इतर अनाज, मक्खन, घी, मछली, ऊन, पशुओं के बाल, हड्डियां, लाख, काजू की गिरी, कॉफी, समुद्री उत्पाद, संसाधित खाद्य उत्पाद, और तंबाकू जैसे घरेलू उत्पादों के निर्यात पर लगने वाला उपकर हटा दिया है, ताकि इन वस्तुओं के निर्यात को वि व बाजार की दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इस तरह मांग में बढ़ोतरी होने से बेहतर दाम सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है ताकि कच्ची कपास, बिनौला और मवेशी चारे जैसी वस्तुओं को अनिवार्य वस्तु श्रेणी से बाहर किया जा सके। इससे इन वस्तुओं की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी, तथा किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सकेगी। सभी वस्तुओं से संबंधित गोदाम प्राप्तियों को नेगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ावा और गोदाम प्राप्तियों को गिरवी रखकर बैंकों से धन जुटाने में सुविधा पहुंचाना है।

4.3.6 बागवानी : बागवानी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी–संचालित समूह दृष्टिकोण और अलग–अलग क्षेत्र के लिए अलग–अलग नीतियां अपनाते हुए पुराने और नये संपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। ज्यादातर राज्यों ने वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार की हैं और उन्हें मंजूर करवाया है। यूपीए सरकार ने इस मिशन को सुदृढ़ करने के उपाय किए हैं, ताकि इसके अंतर्गत क्षेत्र आाधारित उचित दृष्टिकोण अपनाने के उपाय किए जा सकें।

4.3.7 कपास : कपास से संबद्ध प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत मंडियों का विकास, गिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण, आदि कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इनसे कपास की पैदावार बढ़ाने और कपड़े के आयात में कमी लाने में मदद मिली है।

4.3.8 तिलहन : यूपीए सरकार समेकित तिलहन, पाम ऑयल, दलहन और मक्का विकास कार्यक्रम का विस्तार करने पर विचार कर रही है। इससे बीज उत्पादन बढ़ाने पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का विस्तार किया जाएगा, और 3 वर्ष की अवधि में प्रमाणित बीजों का उत्पादन दुगुना करने के लिए अन्य उत्पादकों को पूंजी अनुदान या आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

4.3.9 गन्ना और चीनी उद्योग : सरकार द्वारा किए गए उपायों के फलस्वरूप गन्ने की बकाया राशि के स्तर में ऐतिहासिक कमी आई, और यह मात्र 0.1 प्रतिशत रह गया। एक पैकेज के अंतर्गत तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, जैसे राज्यों को अतिरिक्त बाजार ;ण उगाहने की अनुमति के रूप में केंद्र से एकबारगी सहायता मुहैया करायी गयी और मात्र 4 प्रतिशत वार्षिक की अधिकतम दर से ऊपर की ब्याज लागत सरकार द्वारा वहन की गयी। चीनी फैक्टरियों को इतनी कम दर से 10 वर्ष की लंबी अवधि के लिए ऋण दिए गए। इस ऋण के भुगतान को पांच वर्ष तक स्थगित रखने की सुविधा भी प्रदान की गयी। 2006–07 और 2007–08 वर्षो में चीनी के मौसम के दौरान अधिक पैदावार सुनिश्चित करने के लिए चीनी उद्योग के अनुकूल सामाजिक–आर्थिक स्थितियां पैदा की गयीं। यूपीए सरकार अब चीनी के अधिक उत्पादन के प्रबंधन के लिए व्यापक कार्यनीति पर अमल कर रही है। इसके अंतर्गत 20 लाख टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाया गया है और ढुलाई, परिचालन और विपणन लागत चुकता की जा रही है।

4.3.10 बांस : बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 28 राज्यों में एक राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत अनुसंधान, बागान विकास, कटाई उपरांत प्रबंधन और विपणन के उपाय किए जा रहे हैं। मिशन के अंतर्गत भलीभांति चुने गए उपयुक्त क्षेत्रों में अपेक्षित ढांचे के विकास और गहन प्रबंधन में सहायता की जा रही है। इससे 1.76 लाख

हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पौधे लगाये जा सकेंगे और अगले पांच वर्षो के दौरान 5.5 करोड़ कार्य दिवसों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराये जा सकेंगे। इन उपायों से चौथे वर्ष से हर वर्ष बांस उत्पादन में 30 लाख टन की वृद्धि की जा सकेगी और उत्पादकता का स्तर मौजूदा 2 या 3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 18 टन प्रति हेक्टेयर पर पहुंच जाएगा।

4.3.11 फसल बीमा : कृषि कार्यो में होने वाले जोखिम को कवर करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्षेत्र और कवरेज का विस्तार किया गया है। सरकार ने कृषि बीमा निगम से कहा है कि वह मौजूदा योजना के विकल्प के रूप में दो या तीन राज्यों में प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू करे।

4.3.12 पशुधन बीमा : गोआ को छोड़कर सभी राज्यों में चुने हुए 100 जिलों में पशुधन बीमा योजना शुरू की गयी है। इसका उद्देश्य संकर और अधिक दूध देने वाली गाय एवं भैंसों के लिए बीमा कवरेज की व्यवस्था कराना है। सरकार बीमा प्रीमियम पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है।

4.3.13 कुक्कुट–पालन : यूपीए सरकार ने देश के कुछ भागों में प्रकट हुए बर्ड फ्लू पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया। कुक्कुट–पालन इकाइयों की सहायता के लिए सरकार ने एक राहत पैकेज की घोषणा की, इसमें बकाया ऋणों को मियादी ऋणों में परिवर्तित करने और एक वर्ष की स्थगन अवधि के साथ भुगतान कार्यक्रम पुनः निर्धारित करने जैसे उपाय शामिल थे। इसमें ब्याज पर 4 प्रतिशत अनुदान की भी व्यवस्था की गयी है। सरकार ने प्रभावित कुक्कुट–पालन के लिए किसानों में वितरित किए जाने के लिए रियायती दर पर मक्का भी जारी की है।

4.3.14 मछली उद्योग : यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। इसकी गतिविधियों में ताजा पानी में गहन जल जीव पालन, जलाशयों, में मछली पालन, तटवर्ती क्षेत्रों में खारे पानी में जल जीव पालन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना और टूना प्रोसेसिंग, मेरिकल्चर, समुद्री पशु–फार्म, समुद्री शैवाल पालन, फसलोपरांत कार्यक्रमों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना, फिश–ड्रेसिंग सेंटर और मछलियों की सोलर ड्राइंग तथा घरेलू विपणन आदि पहलू शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि 6 वर्ष की अवधि के अंत में 2012 के दौरान मछली के वार्षिक उत्पादन में 39 लाख टन का बढ़ोतरी होगा। देश का मौजूदा मछली उत्पादन 34 से 35 लाख टन है। मछली उद्योग को स्थिरता प्रदान करने और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने तथा भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली संसाधनों का दोहन करने के लिए एक व्यापक समुद्री मछली उद्योग नीति मंजूर की गयी है।

4.3.15 भंडारण और विपणन : अक्टूबर 2004 में संशोधित ग्रामीण भंडारण योजना शुरू की गयी थी। इसके अंतर्गत गांवों में गोदामों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता का विस्तार किया गया था। एपीएमसी कार्यो में सुधार से संबद्ध एक नई स्कीम 2005 में शुरू की गयी। इसका उद्देश्य विपणन, ग्रेडिंग और मानकीकरण के लिए ढांचा विकास के वास्ते आर्थिक सहायता प्रदान करना था। सरकारी–निजी भागीदारी के अंतर्गत बागवानी जिंसों के लिए आधुनिक टर्मिनल बाजार परियोजनाएं वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन में एक नया घटक जोड़ा गया है।

4.3.16 अनुसंधान : कृषि अनुसंधान के लिए बजट आवंटन में महत्वपूर्ण बढोतरी की गयी है। कृषि में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया है। अनुसंधान आधारित ज्ञान को खेत में पहुंचाने के उद्देश्य से 1200 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना शुरू की गयी है। सभी 589 ग्रामीण जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का काम शुरू किया गया है। 2006 के अंत तक 541 केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी थी।

4.3.17 शिक्षा : यूपीए सरकार ने कृषि शिक्षा के विकास और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, इसके अंतर्गत 804 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान है। इसके प्रमुख घटकों के अंतर्गत 34 राज्य कृषि

विश्वविद्यालयों, 5 समकक्ष विश्वविद्यालयों और 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का विकास और सुदृढ़ीकरण, जम्मू में शेर–ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना आदि शामिल है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपये और गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, दोनों को 50–50 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देने की घोषणा की गयी है।

4.3.18 विस्तार : विस्तार एवं सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता देने के कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय मानव संसाधन विकास संस्थानों की पहचान की गयी है, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों का गठन किया गया है, राज्य विस्तार कार्य योजनाओं को मंजूरी दी गयी है, और प्रायोगिक आधार पर 252 जिलों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाएं शुरू की गयी हैं। 2007–08 के दौरान 300 और जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

4.3.19 सहकारी संगठन : सरकार ने सहकारी समितियों के बारे में संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया है। विधेयक में सहकारी समितियों के प्रबंधन को सदस्यों के प्रति उत्तरदायी बनाने, उनके कामकाज में सरकार का हस्तक्षेप सीमित करने, प्रबंधन समिति को अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकने, और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शी ढंग से लोकतांत्रिक पद्धतियों का समावेश करने के प्रावधान किए गए हैं।

4.3.20 उर्वरक : सरकार का प्रयास है कि उर्वरकों की बढ़ती मांग देशी उत्पादन क्षमता में सुधार, दीर्घावधि के आयात प्रबंध और उत्पादन/आपूर्ति के लिए विदेश में संयुक्त उद्यम लगाने के माध्यम से की जाए। इन उपायों से अगले पांच वर्षों में करीब एक करोड़ टन यूरिया और 50 लाख टन पोटाश एवं फास्फेट उर्वरकों की अतिरिक्त पैदावार होने की संभावना है। अगले तीन चार वर्षो में फीड स्टॉक के रूप में पूरी तरह गैस का इस्तेमाल करके निष्पादन क्षमता में सुधार और उत्पादन लागत कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार 2007–08 के दौरान प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में सब्सिडी का सीधा वितरण करने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम लागू करने पर विचार कर रही है।

4.4 जल प्रबंधन

4.4.1 जल संरक्षण : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, के अंतर्गत लक्षित कार्यक्रमों के धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जल संरक्षण कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। किसानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जलाशयों की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना प्रयोग के तौर पर शुरू की गयी है। जल संभरों के विकास के लिए डीपीएपी और आईडब्ल्यूडीपी, दो कार्यक्रमों को समान दिशा–निर्देशों के अंतर्गत लाया गया है। राज्यों से कहा गया है कि वे नगर पालिकाओं को निर्देश दें कि वर्षा जल संचयन को स्थानीय निकायों के डिजाइन अनुमोदनों का हिस्सा बना लें। कई राज्यों ने वर्षा जल संचयन पर कार्य किया है और/अथवा नगर पालिका या निर्माण कानूनों में संशोधन किया है।

4.4.2 शुष्क भूमि खेती संबंधी उपाय : वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल संसाधनों के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

4.4.3 नदियों को परस्पर जोड़ना : केन और बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच करार किया गया है। इस बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2008 के मध्य तक तैयार कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्वती–कालीसिंध–चंबल को जोड़ने के बारे में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सहमति कायम हो चुकी है और दोनों राज्य समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं।

4.4.4 बाढ़ प्रबंधन : यह राज्यों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किंतु केंद्र उनकी सहायता कर रहा है। बाढ़ से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि उपायों के लिए बनाए गए कार्यदल की सिफारिशें

संबद्ध राज्य सरकारों को भेजी गयी हैं। भूक्षरणरोधी कार्यों और अन्य उपायों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए फरक्का बैराज के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इस बारे में अन्य उपाय अनुमोदन एवं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। गंगा के थाले वाले राज्यों में बाढ़ नियंत्रण और महत्वपूर्ण भूक्षरणरोधी कार्यक्रमों को मंजूरी दी गयी है। इन पर कुल लागत करीब 305 करोड़ रुपये आएगी। सरकार ने 2006–07 के दौरान लागू किए जाने के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से ब्रहमपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण एवं भूक्षरणरोधी महत्वपूर्ण परियोजनाएं मंजूर की हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत 166.68 करोड़ रुपये की लागत से राज्य क्षेत्र की एक योजना मंजूर की गयी है, जिससे सभी पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल को लाभ होगा।

4.4.5 खारापन दूर करने संबंधी संयंत्र : चेन्नई में 500 करोड़ रुपये की लागत से सार्वजनिक–निजी भागीदारी में एक डिसेलिनेशन प्लांट यानी खारापन दूर करने संबंधी संयंत्र स्थापित करने के बारे में विदेशी निवेश और पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्रदान की गयी है। इस संयंत्र की क्षमता हर रोज 10 करोड़ लीटर पानी का खारापन दूर करने की है। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और लघु एवं मझौले कस्बों के लिए शहरी ढांचा विकास योजना संबंधी दिशा–निर्देशों में इसके लिए प्रावधान किया गया था। यूपीए सरकार ने शीत और गहरे समुद्री जल को गर्म भूतल जल में रूपांतरित करने के लिए कम तापमान वाली एक बेजोड़ थर्मल डिसेलिनेशन प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस तरह का पहला संयंत्र लक्षद्वीप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जिसकी क्षमता एक लाख लीटर की है। इस तरह के 8 अन्य संयंत्र वहां और लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चेन्नई के तटवर्ती क्षेत्र में 10 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला एक संयंत्र लगाया जा रहा है। 2007–08 के दौरान एक करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले संयंत्र चालू किया जाएगा।

5. पर्यावरण और प्रशासन

5.1 नीतिगत उपाय : यूपीए सरकार ने नई पर्यावरण नीति मंजूर की है। इसके अंतर्गत सभी विकास गतिविधियों और संबद्ध क्षेत्रगत नीतियों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नीति में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव में संरक्षण के सर्वाधिक सुरक्षित आधार के रूप में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण तभी संभव होगा जब संसाधन विशेष पर निर्भर रहने वाले लोग यह समझों कि इन संसाधनों को दूषित करने के बजाए इन्हें सुरक्षित/संरक्षित करके वे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।

5.2 वन्य जीव संरक्षण : बाघ परियोजना को वैधानिक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रूप में परिवर्तित किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघ अभ्यारण्यों के प्रबंधन में मानक सिद्धांतों पर अमल करने, अभ्यारण्य–विषयक बाघ संरक्षण योजनाएं तैयार करने, संसद के समक्ष वार्षिक/लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय संचालन समितियों का गठन करने, और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना करने जैसे कार्य करेगा। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की भी स्थापना की गयी है।

5.3 वृक्षारोपण : सरकार 'ग्रीन इंडिया'' यानी 'हरित भारत' नाम का एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत ऐसे वन क्षेत्रों में व्यापक वृक्षारोपण किया जाएगा, जहां वनों का भारी ह्रास हुआ है।

5.4 स्वच्छ विकास व्यवस्था और जलवायु परिवर्तन : भारत ने स्वच्छ विकास व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रियाओं और नगर के ठोस कचरे से संबंधित क्षेत्रों में 526 परियोजनाओं को मेजबान देश की मंजूरी मिल चुकी है, इससे करीब 41,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। यूपीए सरकार भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने और तत्संबंधी दुष्प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर रही है।

5.5. प्रक्रियाओं और अधिसूचनाओं की समीक्षा : पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संबंधी संशोधित अधिसूचना में विकास और संरक्षण के सरोकारों के बीच संतुलन कायम करने, इस प्रक्रिया को अधिक सक्षम, विकेन्द्रित एवं पारदर्शी बनाने के प्रयास किए गए हैं। समय सीमा कम करने के उददेश्य से पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया को फिर से निर्धारित किया गया है। पर्यावरण नियमन में बेहतर पद्धतियां अपनाने के बारे में व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत सभी नियामक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के उद्देश्य से परिचालन संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। बेहतर पद्धतियों और परिचालन संबंधी इन दिशा–निर्देशों का उददेश्य प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाना है। इसके लिए मामलों पर विचार करने के मानक तय करने, बैठकों के लिए तारीखें निर्धारित करने और विनियामक की बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित करने, आवश्यक विलंब से बचते हुए मामले की व्यक्तिगत प्रस्तुति के माध्यम से आवेदकों को शामिल करने के उपाय किए जा रहे हैं। तटवर्ती नियमन क्षेत्र अधिसूचना की व्यापक समीक्षा की गयी है, ताकि तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के उपाय किए जा सकें। इसमें नियामक फ्रेमवर्क के स्थान पर प्रबंधन फ्रेमवर्क का दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है, ताकि नियमन के साथ–साथ शिक्षा, सामाजिक एकजुटता और समान विकास के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को फ्रेमवर्क का आधार बनाया जा सके।

6. प्रशासन और नागरिक समाज

6.1. सुधार

6.1.1 प्रशासनिक सुधार : सभी स्तरों पर सरकारी मशीनरी की व्यापक समीक्षा करने और भारत सरकार के संगठनात्मक ढांचे के बारे में सिफारिशें देने, शासन में नैतिकता सुनिश्चित करने, कार्मिक प्रशासन को परिमार्जित करने, वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने, राज्य स्तर पर प्रभावकारी प्रशासन सुनिश्चित करने, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन/पंचायती राज संस्थानों की कार्यप्रणाली को असरदार बनाने, सामाजिक पूंजी, विश्वास और भागीदारीपूर्ण लोक सेवा वितरण, नागरिक केन्द्रित प्रशासन, ई–गवर्नेंस को बढ़ावा देने, संघीय नीति के मुद्दों, संकट प्रबंधन और सार्वजनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। यूपीए सरकार ने लोकसेवा वितरण में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए भारतीय मानक के रूप में सेवोत्तम विकसित किया है। 2007 के दौरान सेवोत्तम हासिल करने के लिए 10 विभागों ने उपाय शुरू कर दिए हैं। भारत सरकार में सेवोत्तम पर अमल करने के लिए दो वर्ष की कार्ययोजना निर्धारित की गयी है। आईएएस अधिकारियों की जवाबदेही और सक्षमता में सुधार के लिए उपाय किए जा रहे हैं। इनमें कार्य मूल्यांकन रिपोर्टों, पदोन्नतियों, अनिवार्य मध्य कैरियर प्रशिक्षण और अग्रणी व्यक्तियों के समूह द्वारा अनिवार्य मध्य कैरियर स्क्रीनिंग (छानबीन) और संवीक्षा शामिल है। सरकार लोक सेवाओं के संबंध में एक विधान लाने वाली है, जिसमें लोक सेवा मानक, मूल्य संहिता और नीतिशास्त्र, निर्णय लेने वालों को सुरक्षा प्रदान करने, निष्पादन प्रबंधन आदि के लिए प्रावधान होंगे। विकेन्द्रीकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और ई–शासन के संदर्भ में कई मंत्रालयों/विभागों में संस्थागत सुधार किए गए हैं।

6.1.2 सूचना का अधिकार अधिनियम : जनता को सरकार की कार्यप्रणाली की जानकारी देने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक विधान तैयार किया ताकि सरकार की कार्यप्रणाली में सभी स्तरों पर पारदर्शिता बनी रहे। अधिनियम की पहुंच अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसके दायरे में केन्द्र और राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय, और सरकारी अनुदानों के प्राप्तकर्ता शामिल हैं। इससे जनता को कुछ के अतिरिक्त सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। नागरिकों को अपवाद वाली जानकारी भी दी जा सकती है, बशर्ते ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण से होने वाले फायदे अधिक और नुकसान कम हों। यहां तक कि भ्रष्टाचार अथवा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों में सुरक्षा एजेंसियों को भी जानकारी देनी होगी। इससे सरकारी एजेंसियों पर स्वतः सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता भी है, जिससे प्राप्ति की लागत कम हो जाएगी। केंद्र और राज्य सूचना आयुक्तों के रूप में स्वतंत्र अपील तंत्र और सूचना संबंधी व्यापक प्रकटीकरण दायित्वों तथा कठोर दंडों ने इस अधिकार को अतिरिक्त शक्ति प्रदान की है और बेहतर शासन का एक सशक्त माध्यम बना दिया है। इस अधिनियम से सरकार की कार्यप्रणाली और निर्णयों के बारे में जानकारी की मांग बढ़

गयी है और नागरिक लंबे समय से बकाया अपनी शिकायतों का निपटारा करवाने और न्याय प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं।

6.1.3 ई–शासन : राष्ट्रीय ई–शासन योजना तैयार की गयी है। इसमें 26 मिशन मोड परियोजनायें हैं, जिनमें से कुछ लगभग पूरी हो चुकी हैं। 'एमसीए–21' मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्य सफलतापूर्वक ई–शासन मोड में रूपांतरित कर दिए गए हैं। कंपनियों और व्यवसायियों द्वारा अब 80 प्रतिशत दस्तावेज अपने कार्यालयों और घरों से ही दाखिल किए जा रहे हैं। एक अन्य मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत हमारे कई राजनयिक मिशनों में आवेदनों की आनलाइन प्रस्तुति की सुविधा आरंभ की गयी है। सभी पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर लगा दिए गए हैं और मशीनग्राह्य पासपोर्ट जारी करने संबधी सभी नियमित कार्य इलेक्ट्रोनिक पद्धति से किए जा रहे हैं। मौजूदा राजनयिक और सरकारी पासपोर्टों के लिए बायोमीट्रिक ई–पासपोर्ट्स शुरू करने का लक्ष्य 2007 में हासिल कर लिया जाएगा। अन्य पासपोर्टों के मामले में यह लक्ष्य 2008 तक हासिल किया जाएगा। स्थायी लेखा संख्या (पैन) मालूम करने, नाम, पते, स्थायी लेखा संख्या/अस्थायी लेखा संख्या सहित प्रिंटेड चालान डाउनलोड करने, कर अदायगी और स्रोत पर कर कटौती की पुष्टि करने जैसी सुविधाएं इंटरनेट पर उपलब्ध करायी गयी हैं। रिटर्न दाखिल करने के लिए कंपनियों को दी गयी ई–फाइलिंग सुविधा अत्यंत सफल रही है। 'इंडिया पोर्टल' 2007 के अंत तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है। इसके चालू हो जाने के बाद एक ही स्रोत से सभी सरकारी विभागों की जानकारी और सेवाओं तक एक्सेस संभव हो जाएगी। सभी राज्यों में स्टेट व्यापी एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) भी कायम किए जा रहे हैं। इस काम पर 3,300 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ उपलब्ध कराने और जन सेवाओं के वितरण के लिए केन्द्र उपलब्ध कराने के वास्ते एक स्कीम मंजूर की गयी है। इसके अंतर्गत 5,742 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ सरकारी/निजी भागीदारी में 1,00,000 ग्राम स्तरीय इंटरनेट सक्षम साझा सेवा केंद्र स्थापित किए जायेंगे। सरकार राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी स्तर पर राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना लागू करेगी, ताकि सेवाओं का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके। सरकार ने राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत नगर पालिकाओं में ई–गवर्नेंस के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। इसे बड़े शहरों और कस्बों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

ई–गवर्नेंस के लिए कानूनी फ्रेमवर्क मजबूत बनाने के वास्ते सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन करने का एक विधेयक संसद में पेश किया गया है। निजी क्षेत्र की क्षमताओं को राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस प्रयास में शामिल करने के लिए नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्मॉर्ट गवर्नेंस की स्थापना की गयी है।

6.1.4 आपराधिक न्यायतंत्र में सुधार : न्यायतंत्र और प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने, अभियोजन तंत्र को सशक्त करने, प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने और उसमें सुधार करने, विशेष रूप से अदालती सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी लाने, विचाराधीन व्यक्तियों की समस्याओं को निपटाने और जमानत देने से संबंधित व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार करने पर रोक, गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने तथा गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय रखे जाने के स्थान के बारे में जानकारी देना पुलिस के लिए अनिवार्य बनाने, पुलिस अभिरक्षा के दौरान व्यक्ति की मृत्यु, उसके गायब होने या उसके साथ बलात्कार किए जाने के मामले में अनिवार्य न्यायिक जांच, हिरासत के दौरान रखे जाने की अवधि कथित अपराध के लिए अधिकतम कारावास की अवधि के आधी से अधिक हो जाने पर मुचलके पर विचाराधीन व्यक्ति को छोड़ा जाना, अभियोजन निदेशालय की स्थापना, प्रतिवादी और अभियोजन के बीच पूर्व–विचारण चर्चाओं के माध्यम से तर्क आधारित समझौता

(प्ली बार्गेनिंग) और गवाह को धमकी देने के लिए दण्ड का उपबंध करना, विशेष सुधारों में शामिल है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 संसद में पेश किया गया है, जिसमें पुलिस एवं अदालत के समक्ष गवाहों के बयानों की ऑडियो–/वीडियो रिकार्डिंग की व्यवस्था करने, मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करने के समय गवाहों के मुकरने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के उपाय करने, झूठी शपथ लेने के लिए समरी ट्रायल और अधिक दंड का प्रावधान करने, प्रतिकूल निर्णयों के खिलाफ पीड़ितों को अपील की अनुमति देने, गिरफ्तारी से पहले पेश होने का नोटिस जारी करने, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को वकील की सेवायें लेने का अधिकार प्रदान करने, महिला अभियुक्तों को पुरुष पुलिस अधिकारियों द्वारा स्पर्श करने पर रोक लगाने, सुनवाई पूरी होने या अपील का निपटान होने से पहले अभियुक्त को अगली अपील अदालत में पेश होने की आवश्यकता को देखते हुए आपराधिक अदालतों द्वारा जमानत बांड लेने, वारंट मामलों के रूप में केवल ऐसे मामलों की सुनवाई करने, जिनमें दंड का प्रावधान तीन वर्ष से अधिक हो, सभी सम्मन मामलों के समरी ट्राइल, अधिक संख्या में अपराधों को कंपान्उडेबल बनाने, पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यापक योजना शुरू करने, और मानसिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को जांच और ट्रायल के दौरान राहत देने जैसे प्रावधान शाामिल हैं।

6.1.5 न्यायिक सुधार : न्यायपालिका में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की स्थापना के वास्ते एक विधेयक संसद में पेश किया गया है। यूपीए सरकार अनेक न्यायिक सुधारों पर अमल करने पर विचार कर रही है। इनमें मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, तंत्र की जवाबदेही सुदृढ़ करने, छोटे मोटे मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए प्रकिया में लचीलेपन की सुविधा के साथ जन–उन्मुखी स्थानीय अदालतों (ग्रामीण न्यायालयों) की प्रणाली स्थापित करने के लिए स्थानीय अदालत विधेयक पेश किया गया है। सरकार फास्ट ट्रैक/वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र सहित परिष्कृत अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। एक समिति के समग्र निर्देशन के अंतर्गत 13,348 जिला और अधीनस्थ अदालतों के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना अलग से शुरू की गयी है। 646 उपभोक्ता फोरमों के कम्प्यूटरीकरण और कम्प्यूटर नेटवर्किंग की एक योजना भी शुरु की गयी है, ताकि उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकें, और वेबसाइट पर अपने मामले की स्थिति का पता लगा सकें। अभी तक 533 जिला फोरमों और 33 राज्य आयोगों को इस योजना के अंतर्गत लाया जा चुका है।

6.1.6 भ्रष्ट तरीकों की रोकथाम : मंत्रियों का एक समूह लोकपाल विधेयक के मसौदे पर विचार कर रहा है। सरकार भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को मजबूत करने की एक नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत भ्रष्टाचार पर प्रभावकारी ढंग से काबू पाने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। यह योजना केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राज्य सरकारों, औद्योगिक संगठनों, स्वयं सेवी संगठनों, और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय के आधार पर लागू की जाएगी। अनिवार्य ई–खरीद की व्यवस्था करने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। रक्षा खरीद प्रक्रिया और रक्षा खरीद नियमों में संशोधन किया गया है ताकि सशस्त्र सेनाओं में की खरीद में उच्च श्रेणी की ईमानदारी और सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में निम्नांकित दूरगामी संशोधनों पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है :

(i) भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार;

(ii) संसद सदस्यों और विधायकों के मामले में अनुदान मंजूर करने के लिए एक सक्षम प्राधिकरण बनाने का प्रावधान; और

(iii) सेवानिवृत्त या सरकारी सेवा से बाहर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पिछली मंजूरी के लिए संरक्षण प्रदान करना।

6.1.7 चुनाव सुधार : सरकार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच चुनाव खर्च के आंशिक खर्च के वित्त पोषण पर सहमति जुटाने की दृष्टि से, भारत के निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया है कि वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करके, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के आंशिक वित्त पोषण, वस्तु रूप में प्रदान की जाने वाली विभिन्न मदों की मात्रा और वितरण योजना के बारे में सिफारिश करे। आयोग राजनीतिक दलों से विचार–विमर्श करके आगे कदम उठा रहा है।

6.1.8 काले धन को नियंत्रित करना : यह आशा की जा रही है कि बैंकिंग नकद लेन देन कर की उगाही, अनजान व्यक्तियों से फर्जी उपहारों को रोकने के लिए प्रतिबंध, कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों में स्रोत पर कर कटौती/संग्रहण के लिए व्यवस्था, कर–वंचन के आश्य से गलत प्रविष्टियां करने और मिथ्या वाउचर आदि जारी करने पर कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय बनाने, कुछ मामलों में विवरणी दाखिल करना अनिवार्य बनाने जैसे कुछ उपायों से काले धन पर रोक लगायी जा सकेगी।

6.1.9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वायत्तता : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन को सरल बनाने के लिए इनसे संबंधित 762 दिशा निर्देश वापस ले लिए गए हैं और अनेक दिशानिर्देश आशोधित या आमेलित कर दिए गए हैं। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सफल उद्यमों को अधिक प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान की है। सहायक कंपनियों, और संयुक्त उद्यमों में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए नव रत्न और मिनी नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शक्तियों को बढ़ाया गया है। सरकार ने नवरत्न और मिनी नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को आमेलन और अर्जन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, तथा नव रत्न और मिनी नवरत्न की हैसियत बनाये रखने की सरकारी गारंटी शर्तों में छूट प्रदान की है। मिनी नवरत्न और अन्य लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए पूंजी व्यय करने की शक्तियां बढ़ायी गयी हैं और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न वर्ग में शामिल करने/इनसे बाहर करने के लिए तंत्र सृजित किया है।

6.1.10 बैंक : सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को प्रबंधकीय स्वायत्ता के बारे में अनुदेश जारी किए गए हैं। बैंकिंग में उदार परिवेश और साथ ही समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 में अनेक संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात के लिए सशक्त किया जा सके कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम पद्धतियों के समान बैंकिंग क्षेत्र को समुचित ढंग से विनियमित और पर्यवेक्षित कर सके। नये शासक मानक अपनाने वाले और सुविज्ञ विनियमों से बद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्गठन के लिए सरकार से धन प्राप्त करने के पात्र होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अधीन अधिसूचनायें जारी की जा चुकी हैं, ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन किया जा सके। कुछ आमेलन अनुमोदित भी कर दिए गए हैं। अल्पकालिक ग्रामीण सहकारी संरचना को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय पुनर्सरचना का लगभग 13,596 करोड़ रुपये का एक पैकेज लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के तुलन पत्रों का शोधन तथा उनके पूंजी आधारों को सुदृढ़ करके

उनकी वित्तीय लाभप्रदता को स्वीकार्य स्तर तक लाया जा रहा है। बैंककारी लोकपाल स्कीम की सीमा और कार्य क्षेत्र को जनवरी, 2006 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों को शामिल करने के लिए और ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था के लिए विस्तारित किया गया है।

6.1.11 भूमि प्रबंधन : यूपीए सरकार ने भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, सर्वेक्षण और आवश्यकतानुसार पुनः सर्वेक्षण, बकाया उत्परिवर्तनों (म्यूटेशन्स) को अंजाम देने का अभियान चलाते हुए भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने, अचल संपत्ति की खरीद–फरोख्त के पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, और पंजीकरण तथा भूमि रिकार्ड प्रबंधन प्रक्रियाओं को परस्पर संबद्ध बनाने, भूमि के स्वामित्व की स्पष्ट हकदारी की व्यवस्था कायम करने जैसे उपायों के लिए राष्ट्रीय भूमि संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम तैयार किया है। विधि आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार करे, जिसे राज्यों द्वारा अपनाया जा सके।

6.2 पंचायती राज

6.2.1 कार्य सूची तैयार करना : पंचायती राज मंत्रालय ने छठीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए योजना बनाने के वास्ते एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। पंचायती राज से संबद्ध चुने हुए 18 आयामों पर पंचायती राज मंत्रियों के साथ 7 गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श के बाद 150 सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया है, जो पंचायती राज के प्रत्येक पहलु से संबद्ध है। मंत्रालय ने एक वार्षिक कार्यसूची तैयार की है, जिसमें राज्यों में होने वाले क्रियाकलापों का मानचित्रण, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को नया रूप देने आदि बातों को शामिल किया गया है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने और वित्तीय हस्तांतरण के बारे में विचार करने के लिए मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। अधिसंख्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पंचायती राज संस्थानों के संदर्भ में क्रियाकलाप निर्धारण का काम शुरू कर दिया है, पंचायती राज संस्थानों को कुछ कार्य हस्तांतरित किए गए हैं और जिला आयोजना समितियों का गठन भी किया गया है। कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने चुने हुए बजट प्रावधानों या मुक्त धन के रूप में इन संस्थानों को धन का हस्तांतरण भी किया है। पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया गया है, जिसने हस्तांतरण संबंधी कार्य की प्रगति की समीक्षा की है। राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है, जो हस्तांतरण कार्य पर निगरानी रखेगी। योजना आयोग ने जिला योजनायें तैयार करने और उन्हें राज्यों की वार्षिक योजनाओं में शामिल करने के बारे में दिशा निर्देश जारी कए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने जिला पंचायतों और निचले स्तरों पर आयोजना की क्षमता पैदा करने के लिए समान प्रशिक्षण नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

6.2.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि : चुने हुए 250 पिछड़े जिलों के लिए 5,800 करोड़ रुपये के वार्षिक आवंटन के साथ पिछड़ा क्षेत्र आवंटन निधि पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। स्थानीय सरकारी संस्थानों के माध्यम से जिला स्तरीय आयोजना और जिला स्तरीय बजटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला योजनाएं तैयार करने को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अधीन धन प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त माना गया है। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में सुनियोजित, भागीदारीपूर्ण जिला योजना के हिस्से के रूप में चुने हुए जिलों में ढांचे के निर्माण, बेहतर शासन और कृषि सुधारों को प्रोत्साहन तथा पूरक ढांचे और क्षमता निर्माण तथा विकास के मौजूदा प्रवाह को मजबूती प्रदान करते हुए उसे उत्प्रेरित करना है। निधि में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान है। पंचायत बाहर से भी मदद लेना जारी रख सकती हैं।

6.2.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अधीन मुख्य भूमिका : ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में पंचायतों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गयी है। कम से कम आधा कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा उनके अधीन रखी गयी निधियों का इस्तेमाल करके किये जाने का प्रावधान किया गया है।

6.2.4 पंचायतों को स्कीमों का अंतरण : ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायतों को स्कीमों का अंतरण करने के बारे में रामचन्द्रन समिति की रिपोर्ट राज्यों को भेजी गयी है।

6.2.5 प्राकृतिक संसाधन : सरकार ने पंचायतों के माध्यम से वन रोपण के लिए बृहत् कार्यक्रम तैयार करने और पंचायत स्तरीय सामुदायिक वन स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना प्रारंभ कर दिया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पीईएसए के अनुरूप अपने कानूनों में संशोधन करें और खनन में ग्राम सभाओं/पंचायतों को शामिल करने के लिए दिशा–निर्देश जारी करें। अनुसूचित क्षेत्रों वाले अधिकांश राज्यों ने ऐसा कर लिया है।

6.2.6 जल और स्वच्छता : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन के अंतर्गत ग्राम जल स्वच्छता समितियों और ग्राम पंचायतों में क्षमता निर्माण और उनका सशक्तीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रत्येक गांव के लिए पेयजल परिसंपत्तियों और बहुग्राम योजना के अन्तःग्राम वितरण नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जा सके।

6.3 शहरी नवीकरण

6.3.1 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन : जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत कुल 63 शहर कवर किए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद शहरी विकास के लिए किया गया यह सबसे बड़ा प्रयास है। इसके अंतर्गत नए निवेश को प्रशासन में सुधार से जोड़ते हुए शहरी बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास को अंजाम देने और शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत सेवाओं जैसे आवास, जलापूर्ति, सफाई, मलिन बस्ती सुधार, सामुदायिक शौचालय/स्नानघर आदि की व्यवस्था पर विशेष बल देते हुए आधारभूत ढांचे और सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि स्थानीय विकास और आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार जैसे लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकें। यह एक मांग–संचालित कार्यक्रम है, जो न केवल शहरों की निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि हमारे शहरों को सशक्त, आर्थिक दृष्टि से सक्षम और समान रूप से विकसित बनाने के लिए संस्थागत क्षमताओं को गहन एवं सुदृढ़ बनाने के वास्ते परिवर्तन की प्रक्रियाओं में मदद पहुंचाता है। ये प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय शहरी निकाय इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2005–12 की अवधि के लिए संयुक्त रूप से 1 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे। इस मिशन के अंतर्गत कवर किए गए 63 शहरों में से 61 शहरों ने व्यापक शहरी विकास योजनाएं तैयार कर ली हैं। उन्होंने शहरी प्रशासन और विकास में दीर्घावधि के लक्ष्य एवं उद्देश्य तय कर लिए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत ऐसी निवेश योजनाएं भी शामिल हैं, जिनमें शहर व्यापी शहरी ढांचा सेवाओं और शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 23,950 करोड़ रुपये की कुल लागत के प्रावधान के साथ 538 परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं।

6.3.2 समूह वित्त विकास कार्यक्रम : शहरी स्थानीय निकायों को अधिक ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समूह वित्त विकास कोष की स्थापना की एक योजना शुरू की गयी है। इस के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय,

राज्य स्तरीय समूह वित्त व्यवस्था के माध्यम से अपनी ऋण योग्यता के आधार पर बाजार से ऋण हासिल कर सकते हैं। इस योजना से क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं की उचित वित्तीय संरचना, पूंजी एवं वित्त बाजारों तक पहुंच, ऋण की लागत में कमी और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के जरिए भरोसेमंद शहरी ढांचा परियोजनाओं के विकास में मदद मिलेगी।

6.3.3 ई–शासन : सरकार ने राष्ट्रीय ई–शासन कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिकाओं में ई–शासन के लिए एक परियोजना मंजूर की है। इसे बड़े शहरों और कस्बों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

6.3.4 राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली : यह कार्यक्रम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जरिए शुरू किया गया है, ताकि शहरी स्थानिक योजना की आवश्यकता पूरी की जा सके। यह लक्ष्य डिजिटल मानचित्र तैयार करने और भौगोलिक सूचना प्रणाली में कस्बा स्तरीय डाटा बेस शामिल करने के माध्यम से हासिल किया जा रहा है। पहले चरण के अंतर्गत 137 कस्बों/शहरों को कवर किया गया है।

6.3.5 शहरी मेट्रो और उपनगरीय रेल सेवाएं : दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गयी है। इससे वाहनों की भीड़भाड़ कम हुई है, उत्पादक श्रम–घंटों और ईंधन लागत में बचत, प्रदूषण के स्तर और सड़क दुर्घटनाओं में कमी, और निवेश के बदले स्वस्थ आर्थिक लाभ जैसे लक्ष्य हासिल हुए हैं। सरकार ने दिल्ली मेट्रो के दूसरे चरण और गुड़गांव तक इसके विस्तार को मंजूरी दे दी है। नोएडा तक मेट्रो के विस्तार की मंजूरी सशर्त आधार पर दी गयी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक्सप्रेस मेट्रो रेल संपर्क को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गयी है। दिल्ली मेट्रो परियोजना के सफल कार्यान्वयन ने अनेक अन्य शहरों में उन्नत शहरी परिवहन की मांग पैदा की है। बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना पर काम शुरू हो गया है। यह परियेाजना 6,395 करोड़ रुपये की लागत से मंजूर की गयी हैं, और इसे 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण–2 को 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य है। 5,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूर की गयी इस परियोजना पर जल्दी ही काम शुरू होने की संभावना है। कोलकाता और चेन्नई में उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए जारी कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उपनगरनीय रेलगाड़ियों में वातानुकूलित रेल सेवाएं और प्रमुख स्टेशनों पर एस्कलेटरों की स्थापना करने के भी प्रयास भी किए जायेंगे।

6.3.6 छावनियां : नया छावनी अधिनियम, 2006 बनाए जाने से छावनी बोर्डो के प्रशासन में सुधार और उनके कामकाज को अधिक लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिली है। अधिनियम में बोर्ड के निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्यों के बीच समानता कायम करने, स्थानीय सांसद/विधायक को बोर्ड की बैठकों में विशेष आमंत्रित का दर्जा देने और संविधान के 74वें संशोधन के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जैसे प्रावधान किए गए है। इसकी प्रगतिशील विशेषताओं में ठोस कचरा प्रबधंन प्रणाली की शुरूआत, नये और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल, वर्षा जल संचयन, विरासत संरक्षण आदि शामिल हैं।

6.4 केन्द्र–राज्य संबंध

6.4.1 सामूहिक विचार–विमर्श : ऐसे अति महत्त्वपूर्ण मामलों के संदर्भ में, जिन पर केन्द्र और राज्यों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना आवश्यक हो, सामूहिक रूप से विचार–विमर्श करने तथा आम सहमति और रणनीतियां तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्रियों के साथ विभिन्न मंचों जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर–राज्य परिषद, आंचलिक परिषदों, राष्ट्रीय

एकता परिषद, आंतरिक सुरक्षा और कानून–व्यवस्था, आदि पर सम्मेलनों में निरन्तर चर्चाएं की गयीं। आंचलिक परिषदों की बैठक 6 से 14 वर्ष के अंतराल के बाद आयोजित की गयीं हैं।

6.4.2 केन्द्र–राज्य संबंध आयोग : आयोग के गठन संबधी अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

6.4.3 राज्यों के ऋण बोझ को कम करना : इसके लिए निम्नांकित उपाय किए गए हैं :

(i) संस्थानों से लिए गए ऋणों को बाजार से अतिरिक्त उधार लेकर/नए संस्थागत ऋणों के रूप में सस्ते ऋणों से चुकता करने की अनुमति दी गयी है।

(ii) 10.5 प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज–दर वाले नाबार्ड के ऋणों को बाजार से अतिरिक्त लेकर पुनःवित्तपोषित की अनुमति दी गयी है।

(iii) 9 प्रतिशत ब्याज वाले केन्द्र सरकार के ऋणों के स्थान पर सामान्य केन्द्रीय सहायता के ऋण घटक के वित्तपोषण के लिए 6.0 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत तक के ब्याज पर बाजार से उधार लेने का विकल्प दिया गया है।

(iv) पिछले ऋणों को चुकाने के तुरंत बाद राज्यों को बाह्य सहायता ऋण अंतरित करने पर सहमति व्यक्त की गयी है, ताकि उन्हें अधिक परिपक्वता अवधि और निम्न ब्याज दर का लाभ प्रदान किया जा सके, किंतु, विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में अनुदान : ऋण में 90:10 के अनुपात से सहायता की पूर्ववर्ती व्यवस्था जारी रखी गयी है।

(v) 31.03.04 तक संविदत्त तथा 31.03.05 को बकाया सभी केन्द्रीय ऋणों को उसी वर्ष से, जब से राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून को अधिनियमित करता है, 20 वर्ष के लिए 7.5 प्रतिशत ब्याज दर वाले नये ऋणों के रूप में पुनः अनुसूचित करने के लिए ऋण राहत योजना प्रारंभ की गयी है।

राज्यों के 1,10,268 करोड़ रुपये के ऋण समेकित किए गए हैं। 12 राज्यों ने 8,575 करोड़ रुपये के ऋण माफ करवाने का लाभ अर्जित किया है।

6.4.4 केन्द्रीय अंतरण में वृद्धि : 11वें वित्त आयोग की स्वीकृति की गयी सिफारिशों के अधीन कर अंतरण की नई स्कीम के परिणाम स्वरूप राज्यों की भागीदारी में 81 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, अर्थात वर्ष 2004–05 में यह राशि 78,595 करोड़ रुपये थी, जो 2007–08 में बढ़कर 1,42,450 करोड़ रुपये हो गयी। इसी प्रकार 2007–08 में केन्द्रीय सहायता अनुदान राशि बढ़कर 1,06,987 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

6.4.5 खनिज रायल्टी हिस्सेदारी में बढ़ोतरी : सरकार ने 2005 में राज्य सरकारों को देय खनिज रायल्टी की दरों में बढ़ोतरी की थी। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों को प्राप्त होने वाली खनिजों की रायल्टी में 11.16 प्रतिशत (96.39 करोड़ रुपये) की वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है। कोयले और लिग्नाइट के लिए रायल्टी में संशोधन का कार्य प्रगति पर है।

6.4.6 केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों का अंतरण और युक्तिकरण : योजना आयोग ने केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अंतर्गत स्कीमों को बनाए रखने, राज्यों को अंतरित करने, छोड़ने, आमेलित

करने, तथा केंद्रीय क्षेत्र के लिए अंतरित करने के वास्ते स्कीमों की पहचान की गयी है। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को देखते हुए स्कीमों को नया रूप देने की एक बड़ी कवायद शुरू की गयी है।

6.4.7 संसाधन वहन करने वाले राज्यों को उचित और समान मुआवजा : अंतर–राज्य परिषद सचिवालय ने इस कार्य के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने का काम शुरू किया है, इसके अंतर्गत पनबिजली, खनिज और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

7. विकास की ओर : पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर

7.1 पूर्वोत्तर

7.1.1 शांति स्थापित करना : पिछले 3 वर्षो में उनसे पहले के वर्षो की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में असैनिक तथा सैनिक नागरिकों के मारे जाने और अपहरण की घटनाओं में भारी कमी आयी है। यूपीए सरकार ने आतंकवादी समूहों से हिंसा त्यागकर बिना शर्त वार्ता के लिए आगे आने की अपील की है। एनएससीएन (आई/एम), एनएससीएन (के), यूपीडीएस, डीएचडी, एनएलएफटी (एनबी), एनएलएफटी (केएमके), एएनवीसी, और एनडीएफबी ने आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी करार पर सहमति व्यक्त कर दी है। एनएससीएन (के) को छोड़कर अन्य सभी आतंकवादी गुटों से वार्ता जारी है। ये सभी वार्ताएं रचनात्मक ढंग से आगे बढ़ रही हैं, और इनके फलस्वरूप देश के कुछ लोगों के दिलों में पनपी अलगाव की भावना दूर करने में मदद मिली है। त्रिपुरा की स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। एनएलएफटी (एन) के साथ हुए समझौते का अनुपालन करते हुए 55 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया गया हैं। ब्रू/रियांग जनजाति को मिजोरम से त्रिपुरा में वापस लाने के लिए बीएनएलएफ और मिजोरम सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए है और बड़ी संख्या में लोगों का पुनर्वास किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 225 करोड़ रुपये की लागत से विकास परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं और परिषद को 2004–05 से 100 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। आतंकवादी गुटों की गतिविधियों से निपटने के लिए बांग्लादेश, म्यामां, और भूटान के साथ राजनयिक पहल की जा चुकी है। भारत–बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। यूपीए सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास संबंधी स्कीम में सुधार किया है। रोजगार के अवसर पैदा करने और युवा वर्ग को हिंसा के मार्ग से दूर रखने के लिए सीमा सुरक्षा बलों में सिपाहियों के 20 प्रतिशत पद आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के अतिरिक्त एसआरई प्रतिपूर्ति सुविधा मेघालय और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में भी प्रारंभ कर दी गयी है। राज्यों पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र द्वारा विशेष सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, और संशोधित योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर में सभी सात राज्यों को शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के लिए पात्र बनाया गया है। विघटनकारी गतिविधियों के संदर्भ में स्थानीय आबादी में अलगाव की भावना पनपने से रोकने के प्रयासों के अंतर्गत यूपीए सरकार ने जम्मू–कश्मीर की तर्ज पर सद्भावना कार्यक्रम अभियान पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी चलाने की मंजूरी दे दी है।

7.1.2 सड़कें : सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए (एसएआरडीपी–एनई) विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य सड़क और सामान्य सड़कों के लगभग 7,639 किलोमीटर लंबे हिस्सों का सुधार निहित है, जिसमें कुल 83 सडकों, पुलों आदि का निर्माण शामिल है। इससे अब तक एक दूसरे से न जुड़े 34 जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जायेंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 12,123 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना

के प्रथम चरण में 4,618 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से 1310 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी गयी है और यह कार्य 2009 तक पूरा हो जाएगा। दूसरे चरण में सड़कों को सुधारने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य दिसंबर 2007 तक पूरा हो जाएगा। इस चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य 7 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

7.1.3 रेलवे : सिल्चर, त्रिपुरा राज्य की राजधानी एवं मणिपुर तथा नागालैंड राज्य को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए 3450 करोड रुपये की कुल अनुमानित लागत से कुमारघाट–अगरतला और जिरिबम–टुपुल (इम्फाल रोड) में नई रेलवे लाइन बिछाने तथा लंबडिंग–सिल्चर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यूपीए सरकार ने असम में बोगीबील के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे रेल–एवं–सड़क पुल के निर्माण और रंगीया–मुरकांग्सलेक रेलवे लाइन परिवर्तन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। यह कार्य ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश के लिए जीवन रेखा सिद्ध होगा और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ अधिक एकजुट करने में मदद मिलेगी। इन कार्यों पर कुल लागत 2200 करोड़ रुपये से अधिक आने का अनुमान है, जिसे सामान्य रेलवे योजना के अतिरिक्त समझा जाएगा, ताकि 2010–11 तक इन परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।

7.1.4 हवाई अड्डे : पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरतला, बारापानी, डिब्रूगढ़, दीमापुर, गुवाहाटी, सिल्चर, इम्फाल, जोरहाट और रूपसी सहित कई हवाई अड्डों के विकास की योजनाएं शुरू की गयी हैं। सरकार ने हवाई संपर्क में सुधार के लिए एलाइंस एयर को एटीआर विमान खरीदने की भी अनुमति दे दी है।

7.1.5 भीतरी प्रदेश जल (हिंटरलैंड वाटर्स) : सरकार ने बराक नदी में लखीपुर–भंगा के बीच 121 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने और 2008–09 के दौरान 46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वहां ढांचागत विकास सुविधाएं कायम करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश करने का फैसला किया है। इससे बराक घाटी में लखीपुर, सिल्चर और बदरपुर जैसे प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों और हल्दिया एवं कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाहों के बीच बंदरगाह–भीतरी प्रदेश संपर्क में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

7.1.6 बिजली : नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन–एनटीपीसी 3000 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2009 तक असम में सलकट्टी नामक स्थान पर 500 मेगावाट क्षमता वाला एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगी। इस संयंत्र को कोयले की आपूर्ति करने के लिए कोल इंडिया लिमि0 के अंतर्गत पूर्वोत्तर कोल फील्ड असम में मारघेरिटा नामक स्थान पर कोयला उत्पादन को वर्ष 2013 तक 11 लाख टन से 31.3 लाख टन तक बढ़ाने का कार्य करेगा, जिसकी अनुमानित लागत 3 हजार करोड़ 3पये होगी। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में 750 मेगावाट क्षमता के गैस आधारित थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी है, जिसमें निजी क्षेत्र का अनुमानित निवेश 3900 करोड़ रुपये होगा। 2497 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होने वाली 600 मेगावाट क्षमता की कमेंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी दी गयी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाने के परिणाम स्वरूप 6285 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत से तैयार होने वाली 2000 मेगावाट क्षमता की सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ, जिसके 2010–11 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 2009 तक सभी बिजली रहित गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। असम गैस क्रैकर परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है। यह परियोजना 5461 करोड़ रुपये की लागत से लागू की जा रही है, और इसे 2011–12 तक पूरा किया जाएगा। इस परियोजना की स्थापना से कई और डाउनस्ट्रीम पोलिमर/प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयों के अस्तित्व में आने की संभावना है, जिससे

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पूर्वोत्तर में स्थित परियोजनाओं के लिए मेगा पावर प्रोजेक्ट का स्तर प्राप्त करने संबंधी न्यूनतम विद्युत उत्पादन क्षमता मानदंड में 50 प्रतिशत की छूट दी गयी है और इसके फलस्वरूप उन्हें सीमा शुल्क से भी छूट मिल गयी है।

7.1.7 औद्योगिक संवर्द्धन : पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अधिक उदार और नयी औद्योगिक एवं निवेश संवर्द्धन नीति मंजूर की गयी है। इसके अनुसार पूर्वोत्तर में बने तैयार उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और आयकर से 100 प्रतिशत छूट दी गयी है, तथा पूंजी सब्सिडी दुगुनी करते हुए प्लांट और मशीनरी में पूंजी सब्सिडी में निवेश के 30 प्रतिशत के बराबर कर दी गयी है। यह रियायत नये और मौजूदा दोनों तरह के निवेश पर 10 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। पहली बार इस योजना के अंतर्गत सिक्किम को भी शामिल किया गया।

7.1.8 पूर्वोत्तर में निर्धारित निवेश : बजट में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल आवंटन में निरंतर बढ़ोतरी हुई है और यह 2007–08 के दौरान 14,365 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन किया गया है और उसे मजबूती प्रदान की गयी है। परिषद से धन मंजूरी और कभी समायातीत न होने वाला संसाधनों का केन्द्रीय पूल जारी करने की प्रक्रियाओं को सुचारू बनाया गया है।

7.1.9 स्वास्थ्य : पूर्वोत्तर में सभी राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विशेष फोकस वाले राज्यों के रूप में शामिल कर दिया गया है। पूर्वोत्तर स्वास्थ्य पैकेज भी तैयार किया जा रहा है।

7.1.10 शिक्षा : यूपीए सरकार ने 2004–05 से पूर्वोत्तर के लिए अलग से धन आवंटित करना शुरू किया। पूर्वोत्तर में राज्य सरकारों की सहायता के लिए शत प्रतिशत अनुदान राशि देकर अतिरिक्त केंद्रीय सहायता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ताकि 2005–06 और 2006–07 में एकमुश्त विशेष छूट के रूप में राज्य के सर्व शिक्षा अभियान के हिस्से के रूप में 25 प्रतिशत निधियों की मांग में से 15 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में राज्य विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तब्दील करने और सिक्किम में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने से मौजूदा विश्वविद्यालयों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे पूर्वोत्तर में शैक्षिक सुविधाओं में असंतुलन कम होगा और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय सुनिश्चित किया जा सकेगा। सरकार शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने जा रही है, जिसमें कक्षाएं 2007–08 के शैक्षिक सत्र से प्रारंभ की जा रही हैं। बोडो समुदाय की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए बोडो प्रादेशिक परिषद के तत्वावधान में असम में कोकराझार में केंद्र द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गयी है। इसमें डिप्लोमा स्तर के 6 पाठ्यक्रम संचालित किए जायेंगे, और शैक्षिक सत्र 2007–08 से कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। त्रिपुरा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में रहते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की छात्राओं और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए 500 विस्तरों की क्षमता के छात्रावास और कामकाजी महिलाओं के लिए इतनी ही क्षमता के एक अन्य छात्रावास की स्थापना को मंजूरी दी गयी है।

7.1.11 शहरी नवीकरण : जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर में स्थित कब्जे एवं शहरों के विकास हेतु 90 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जा रही है।

7.1.12 बांस : राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को वरीयता दी जा रही है।

7.1.13 अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के लिए पैकेज : पूर्वोत्तर में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों द्वारा उठायी जाने वाली कठिनाइयों को देखते हुए और क्षेत्र में सेवाओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए यूपीए सरकार

ने एक प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है। इसमें अंतर–संवर्ग प्रतिनियुक्ति, पूर्वोत्तर में सेवा की अवधि को पदोन्नति आदि में वरीयता देने, विदेश में प्रशिक्षण के अवसर, पैतृक स्थान के लिए साल में एक बार विमान से आने जाने की सुविधा, बच्चों की शिक्षा लागत संबंधी खर्च की अदायगी, रक्षा विभाग के अस्पतालों का इस्तेमाल, आदि प्रावधानों को अधिक आकर्षक बनाया गया है।

7.2 जम्मू–कश्मीर

7.2.1 शांति प्रक्रिया : कानून व्यवस्था में प्रशंसनीय सुधार आया है। हिंसा, नागरिकों की हत्या तथा अपहरण की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आयी है। सरकार उच्चतम स्तर सहित दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है। यह वार्ता सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ रही है और इससे हमारे नागरिकों के पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। जम्मू कश्मीर में दो गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से वार्ता प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। राज्य की जनता और संचार माध्यमों में इन प्रयासों की सराहना हुयी है। विशेष मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए पांच कार्यदलों का गठन किया गया है। हिरासत में लिए गए अनेक लोगों को रिहा कर दिया गया है। श्रीनगर–मुजफ्फराबाद और पुंछ–रावलकोट के बीच बस सेवाएं शुरू किए जाने और भूकंप राहत के लिए नियंत्रण रेखा पर पांच स्थानों पर सीमा खोलने जैसे कदमों से विश्वास का माहौल पैदा करने के उपायों को नया आयाम मिला है।

7.2.2 पुनर्निर्माण योजना : प्रधानमंत्री ने नवंबर 2004 में जम्मू कश्मीर के लिए पुनर्निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की थी और जून 2005 में अपने लद्दाख दौरे के समय इसे और आगे बढ़ाया था। पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 24,000 करोड़ रुपये का निवेश होना है, जिसमें 67 परियोजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं। इनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के तीनों क्षेत्रों के विकास संबंधी संतुलन को बनाए रखते हुए मूलभूत संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा विकास से संबंधित अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करना है।

7.2.3 आर्थिक बुनियादी ढांचे का विस्तार : 240 मेगावाट क्षमता की उड़ी–2 परियोजना को मंजूरी दी गयी है। 390 मेगावाट क्षमता वाली दुलहस्ती परियोजना जल्दी ही चालू हो जाने की संभावना है। 353 माइक्रो–हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 450 मेगावाट क्षमता की बगलीहार परियोजना को 2007 तक पूरा किए जाने के लिए 630 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। 120 मेगावाट क्षमता की सेवा–2 परियोजना भी 2008 तक पूरी होने की आशा है। चार जिलों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं। और छह अन्य जिलों के लिए ऐसी परियोजनाओं की सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। श्रीनगर–कारगिल–लेह मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, और 2011 तक राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुसार इसके उन्नयन का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। उड़ी–नियंत्रण रेखा सड़क मार्ग पर यातायात शुरू हो गया है और श्रीनगर–मुजफ्फराबाद बस सेवा इस पर नियमित रूप से चलने लगी है। अन्य मार्गो के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गयी है और कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है और इसके भौतिक सुधार का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाने की उम्मीद है। करगिल और श्रीनगर के बीच उड़ानों की आवृत्ति बढ़ायी गयी है। लद्दाख, लेह एवं करगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के लिए अलग–अलग पर्याप्त मात्रा में मुक्त अनुदान दिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चलायी जा रही हैं।

7.2.4 बुनियादी सेवाओं में विस्तार : 14 नए कालेज और 9 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ हो चुके हैं। 10 और कालेजों, तथा पांच नए आई टी आई संस्थानों की स्थापना का फैसला किया गया है। राज्य के शेष तीन जिलों

में पूर्ण साक्षरता अभियान का विस्तार किया गया है। जनसंख्या मानदंड के अनुसार प्रत्येक बस्ती में एक आंगनवाड़ी सुनिश्चित करने के लिए 19 आई सी डी एस परियोजनाएं और 6817 आंगनवाड़ी केंद्र मंजूर किए गए हैं। राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विशेष फोकस राज्य के रूप में शामिल किया गया है। श्रीनगर एवं जम्मू में एशियाई विकास बैंक की बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाएं जैसे जलापूर्ति, जलमल निकासी व्यवस्था आदि को मंजूरी दे दी गयी है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसमें राज्य के हिस्से का वित्त पोषण भी केंद्र द्वारा किया जा रहा है।

7.2.5 रोजगार और आय वृद्धि पर जोर : यूपीए सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित पदों को भरने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। प्रस्तावित 24,000 रोजगार के अवसरों में से 15,000 रोजगार के अवसर पैदा किए जा चुके हैं। पांच नई इंडिया रिजर्व बटालियनों की स्थापना को मंजूरी दी गयी है, जिससे पांच वर्ष की अवधि में करीब पांच हजार स्थानीय युवकों को रोजगार मिल सकेगा। इन रिजर्व बटालियनों और अन्य अर्ध सैनिक बलों में भर्ती संबंधी प्रक्रिया चल रही है। राज्य के लिए छूट, प्रशिक्षण व्यवस्था और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान राशि में भारी वृद्धि की गयी है। सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ क्षेत्र में हजारों युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है और 282 प्रशिक्षित विद्यार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो गया है। पर्यटन उद्योग के 87 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे अपनी क्षमता का विस्तार कर सकें। खाद्य एवं पेय पदार्थ सेवाओं, पाक विद्या, हाउस कीपिंग, और फ्रंट आफिस कार्यों में 139 विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय क्षमता विकास पाठ्यक्रम संचालित किया गया। इस प्रशिक्षण के बाद कुछ प्रशिक्षित व्यक्तियों ने कृषि क्लिनिक खोले हैं। डल झील के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है, जबकि वुलर, मंशेर, और तुसोमोरिरी झीलों की संरक्षण संबंधी परियोजना तैयार की जा रही है। 10 पर्यटन विकास प्राधिकरणों 11 पर्यटन ग्रामों और 4 पर्यटक सर्किटों के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की गयी है।

7.2.6 आतंकवाद से विस्थापित और प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना तथा/अथवा उनका पुनर्वास करना : अखनूर तहसील के 6072 सीमा पर रहने वाले परिवारों की 59.18 करोड़ रूपये की लागत से पुनर्वास योजना मंजूर कर ली गयी है और धन जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। पुर्नवास परिषद को 3 करोड़ रुपये की बढ़ी परिव्यय राशि दे दी गयी है। शिविरों में रह रहे सभी 5000 कश्मीरी विस्थापितों के लिए दो कमरों का आवास मंजूर कर दिया गया है और इस संदर्भ में कार्य प्रारंभ हो चुका है।

7.2.7 पुनर्निर्माण योजना के अतिरिक्त कार्यक्रम : उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जबकि जम्मू–उधमपुर सेक्शन को यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त जम्मू तवी–जालंधर रेलवे लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का कार्य प्रगति पर है। लद्दाख क्षेत्र की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए निमो बज्गो और चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (89 मेगावाट) का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख क्षेत्र में रोहतांग दर्रे से आवागमन के वैकल्पिक मार्ग खोजने संबंधी परियोजना मंजूर की गयी है, और तत्संबंधी कार्य शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में स्थित बिजली परियोजनाओं को मेगा पावर परियोजना का दर्जा देने के लिए एवं सीमा शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम बिजली उत्पादन क्षमता मानक आधे कर दिए गए हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास के लिए लागू किए जा रहे कार्यक्रमों में ऊन प्रौद्योगिकी मिशन, पशमीना विकास, परंपरागत हस्तशिल्प विकास, कालीन निर्यात के लिए समग्र विकास पैकेज, हस्तशिल्प (कालीन के अलावा) के निर्यात को बढ़ाने के लिए समग्र विकास पैकेज, हस्तशिल्प क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए बुनियादी ढांचा सहायता में बढ़ोतरी, कनि जामावार शाल उद्योग जीर्णोद्धार, रेशम कीट पालन और रेशम उद्योग का विकास तथा बुनकर सेवा केंद्र स्थापित करना आदि शामिल हैं। पर्यटन विकास के लिए शिकारा मालिकों को नावों का जीर्णोद्धार करने और उन्हें क्रियाशील करने के लिए कर्ज दिए गए हैं, होटलों के जीर्णोद्धार एवं उनके कमरों को पुनः सुसज्जित करने के लिए आसान दरों पर कर्ज

दिए गए हैं। शिकारों की मरम्मत, और उनके मालिकों को पूंजीगत अनुदान दिया गया है तथा नये खच्चर खरीदने के लिए खच्चर मालिकों को पूंजी गत सहायता एवं आसान कर्ज उपलब्ध कराया गया है। इन स्कीमों से 15,000 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।, राज्य के शहरी क्षेत्रों को जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के वास्ते 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

7.2.8 उदार केन्द्रीय सहायता : वर्ष 2003–04 से जम्मू कश्मीर की वार्षिक योजना को लगभग 3 गुणा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य को बिजली अंतराल संबंधी लागत पूरी करने के लिए भारी मात्रा में अनुदान दिया गया है।

7.2.9 कर अवकाश : यूपीए सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठानों को उपलब्ध कर अवकाश सुविधा अगले पांच वर्ष, यानी 2012 तक के लिए बढ़ा दी है।

8. आर्थिक पुनरुत्थान

8.1 औद्योगिक विकास, निवेश एवं वित्त बाजार

8.1.1 एक झलक : यूपीए सरकार के पिछले 3 वर्षो के शासनकाल के दौरान औसत विकास दर 8.6 प्रतिशत रही है। सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 9 प्रतिशत निर्धारित किया है। पहली बार निवेश और बचत की दरें बढ़कर क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 34 और 32 प्रतिशत पर पहुंची है। आज अर्थव्यवस्था में निवेश के मामले में भारी तेजी आई है। 2006–07 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन की वृद्धि दर 11 प्रतिशत को पार कर गयी है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति 2004 के 50वें स्थान की तुलना में 2006 में सुधरकर 43वें स्थान पर आ गयी है। आटोमोबाइल, टैक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निष्पादन प्रभावशाली रहा है। सरकार घरेलू उद्यमों को फिर से लाभकारी बनाने में सफल रही है। उम्मीद की जा रही है कि विकास का प्रसार देश के कुछ और क्षेत्रों तथा अर्थ व्यवस्था के कुछ और घटकों में होगा, जिससे उद्योग संचालित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

8.1.2 कर सुधार : वैट प्रणाली राज्यों में शुरू हो गयी है, और यह आशा से अधिक सफल रही है। बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर चार प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार संपन्न समिति केन्द्र सरकार के साथ मिलकर 1 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय स्तर के वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए खाका तैयार करने पर सहमत हो गयी है।

8.1.3 संस्थागत और रणनीतिक पहल : विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा से जुडे मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण कार्यान्वयन समिति के गठन के रूप में एक विशेष व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद और निवेश आयोग का गठन किया गया है और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद द्वारा तैयार की गयी राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ने उद्योग एवं रोजगार में तीव्र वृद्धि का आधार प्रदान किया है। भारत में आटोमोबाइल क्षेत्र के विकास को एक आधार प्रदान करने के लिए आटोमोटिव मिशन योजना 2006–16 तैयार की गयी है।

8.1.4 विनिर्माण क्षेत्र की बहाली : यूपीए सरकार ने बजट व्यवस्था और योजना कार्यक्रमों के जरिए भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के अनेक उपाय किए हैं। इसके फलस्वरूप पिछले 3 वर्षो में, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास का मुख्य संचालक है। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2004–05 के दौरान 8.7 प्रतिशत थी, जो तेजी से बढ़ते हुए 2005–06 के दौरान 9.2 प्रतिशत और 2006–07 में 11.3 प्रतिशत पर पहुंच गयी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यह वृद्धि आत्यन्त व्यापक है, जिसके दायरे में विनिर्माण क्षेत्र के लगभग सभी पहलू शामिल हैं। इस अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी 30 प्रतिशत को पार कर जाने का अनुमान है।

8.1.5 विनियामक व्यवस्था : 16 श्रम अधिनियमों में निर्धारित फार्मों और रजिस्टरों को सरल एवं औचित्यपूर्ण बनाने के लिए तथा निर्धारित रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक ढंग से भरने की व्यवस्था करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है। एमसीए–21 और आयकर के कम्प्यूटरीकरण, राष्ट्रीय ई–शासन प्रोजेक्ट जैसे उपायों के जरिए उद्योग एवं कराधान प्राधिकरणों और पूंजीकरण प्राधिकरणों के बीच पारदर्शी, सरल एवं बाधारहित अंतर–संबंध बनाये जा रहे हैं। मुकद्मेबाजी को कम करने और विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सभी अपराधों को एक ही स्थान पर लाने की स्कीम आरंभ की गयी है। यूपीए सरकार ने पेंटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, भौगोलिक संकेतकों और औद्योगिक डिजाइनों से संबंधित बौद्धिक संपदा कानूनों को अद्यतन एवं आधुनिक बनाया है। प्रक्रियागत पहलुओं को सुचारू बनाते हुए उपयोगताओं के अनुकूल और युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। आधुनिकीकरण, ढांचानिर्माण और बौद्धिक संपदा कार्यालयों के उन्नयन का काम शुरू किया गया है और चार महानगरों में आधुनिक समेकित बौद्धिक संपदा कार्यालयों की स्थापना की गयी हैं। परंपरागत ज्ञान से संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय पेंटेंट कार्यालयों के साथ नॉन–डिस्क्लोजर समझौता करने के लिए अधिकृत किया है। इससे परंपरागत ज्ञान संबंधी डिजिटल लाइब्रेरी को पेटेंट जांच कर्ताओं के लिए सुलभ बनाया गया है।

8.1.6 कंपनी कार्य : कंपनी अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के लिए 2007–08 के दौरान एक विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसे संसद में पेश करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे एक ऐसी कानूनी व्यवस्था की जा सकेगी, जो समझने और कार्यान्वयन की दृष्टि से आसान हो तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माहौल में हो रहे गतिशील परिवर्तनों के प्रति जवाबदेह हो। प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त नियामक व्यवस्था सुनिश्चित करने के वास्ते यूपीए सरकार ने प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया है, ताकि उन मुद्दों का समाधान किया जा सके, जो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को पूरी दृढ़ता के साथ काम करने से रोकते हैं। आयोग न केवल प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रतियों को रोकने के लिए बाजार नियामक के रूप में, बल्कि एक सलाहकार एवं सहायक कार्य करने वाले विशेषज्ञ निकाय के रूप में भी काम करेगा। वर्ष 2007 के दौरान सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम–2002 में संशोधनों की प्रक्रिया पूरी करने, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग एवं प्रतिस्पर्धा अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करने, आयोग एवं न्यायाधिकरण के कर्मचारियों की नियुक्ति करने और न्यायाधिकरण के लिए ढांचागत एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय का पुनर्गठन किया गया है। एमसीए–21 के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री संबंधी सभी कार्यों को सफलतापूर्वक ई–शासन मोड में परिवर्तित कर दिया गया है, जिससे कंपनियों और व्यवसायियों द्वारा 80 प्रतिशत दस्तावेज अपने कार्यालयों और घरों से दाखिल किए जा रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सचिवों और लागत एवं कार्य लेखाकारों जैसे व्यवसायों को उत्तरदायित्व के साथ अधिक आजादी प्रदान करने के लिए तत्संबंधी अधिनियमों में संशोधन किए गए हैं। नये भारतीय लेखा मानक विकसित एवं अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें सर्वोत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रतियों को शामिल किया गया है। सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) की व्यवस्था करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें नए तरह के व्यापारिक संगठन का प्रावधान है, जो कंपनियों के सीमित दायित्व पहलू को भागीदारी में उपलब्ध विभागीय प्रबंधन में उच्चस्तरीय लचीलेपन के साथ जोड़ेगा। इस तरह के ढांचे से विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान करने वाले लघु उद्यमियों और व्यवसायियों को महत्वपूर्ण लाभ होने की संभावना है। इससे उद्यमपूंजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग एवं व्यावसायिक संगठनों के सहयोग से कंपनी प्रशासन से संबद्ध राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना की गयी है, जो कार्पोरेट प्रशासन संबंधी मुद्दों पर विचार–विमर्श के मंच के रूप में काम करेगा। इन मुद्दों में कार्पोरेट प्रशासन के बारे में ऐसी राष्ट्र विषयक नीति अपनाने और उसे लागू करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जिसमें सभी भागीदारों का सक्रिय सहयोग एवं हिस्सेदारी, लघु और मध्यम उद्यमों को बेहतर कार्पोरेट प्रशासन प्रतियों के संप्रेषण और कंपनी के सामाजिक दायित्व संबंधी सरोकार तय किए जा सकें। सरकार नीति अनुसंधान और ज्ञान संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कंपनी कार्य संस्थान की स्थापना पर विचार कर रही है।

8.1.7 एफआईआई : एफआईआई को प्रोत्साहित करने और सट्टेबाजी में पूंजी के प्रवाह को कम करने तथा वित्तीय प्रणाली की कमियां दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) एफआईआई के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया और कार्यों को सरल और तीव्र बनाना।

(ii) एफआईआई के लिए ऋण निधियों में निवेश जुटाने की सीमा 1.75 अरब डालर करना।

(iii) घरेलू बाजार में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के समय एफआईआई को समुचित कोलैटरल प्रस्तुत करने की अनुमति देना।

सेबी/रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार एफआईआई निवेश के पिछले 12 वर्षों में 1992–93 से 2003–04 तक 25.75 अरब अमरीकी डालर का निवेश था, जबकि अगले पौने तीन वित्तीय वर्षों में यह बढ़कर 22 अरब अमरीकी डालर को पार कर गया।

8.1.8 एफडीआई : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी पूंजी में पिछले 3 वर्षों के दौरान निरंतर बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह निवेश 2003–04 में 2.6 अरब अमरीकी डॉलर से निरंतर बढ़ते हुए 2004–05 में 3.7 अरब अमरीकी डॉलर और 2005–06 में 5.5 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष के दौरान (अप्रैल–दिसंबर, 2006) एफडीआई इक्विटी निवेश 10.6 अरब अमरीकी डालर का रहा। पहली बार ऐसा हुआ है कि एफडीआई इक्विटी निवेश एफआईआई निवेश से अधिक हो गया है। सामान्य अनुमति मार्ग से एफडीआई संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। विदेशी सहयोग की वैधता की अवधि बढ़ाने के मामलों मे ढील दी गयी है। प्रेस नोट–18 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। नागर विमानन में एफडीआई सीमा को चालीस प्रतिशत से 49 प्रतिशत और दूरसंचार में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी की गयी है। उपनगरों के विकास, आवास, आधारभूत संरचना तैयार करने और निर्माण विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अधीन 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गयी है। इस नीति को औचित्यपूर्ण बनाने और अनावश्यक बाधाओं तथा प्रतिबंधों को हटाने के लिए निम्नांकित निर्णय लिए गए है :

(i) अल्कोहल के आसवन और शराब तैयार करने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर और औद्योगिक विस्फोटक एवं खतरनाक रसायन के विनिर्माण के लिए, नई हवाई अड्डा परियोजनाओं, मान्य गतिविधियों कि लिए कोयले और लिग्नाइट के खनन, काफी और रबड़ उद्योग में उनके प्रसंस्करण और वेयरहाउसिंग, विपणन से संबंधित आधारभूत संरचना, प्राकृतिक गैस या एलएनजी पाइप लाइनों, बाजार अध्ययन और फार्म्यूलेशन और पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश या वित्त पोषण; बिजली की खरीद–फरोख्त, थोक व्यापार और निर्यात के स्रोत, और हीरे तथा कीमती पत्थरों की खोज एवं खनन, पहले से निश्चित स्थानों पर विनिर्माण क्रियाकलापों पर 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।

(ii) पहले से सेबी 'टेक ओवर कोड रूट' के अंतर्गत आने वाली वित्तीय सेवाओं और क्रियाकलापों में निवासी से अनिवासियों में शेयरों के स्वतः अंतरण की अनुमति।

(iii) बी2बी–ई कामर्स क्षेत्र के संबंध में भारतीय साझेदार/पब्लिक के पक्ष में 26 प्रतिशत विदेशी इक्विटी देने की शर्त को वापस लेना।

(iv) उपनगर, आवास, तैयार आधारभूत संरचना और निर्माण विकास तथा जलजीव पालन के विकास में अनुमेय क्रियाकलापों का उल्लेख किया जाएगा और

(v) 'एकल ब्रैंड' के उत्पादों की फुटकर बिक्री में पूर्व अनुमोदन के साथ 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति।

8.1.9 बहुत छोटे, छोटे और मध्यम उद्यम : बहुत छोटे, छोटे और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के जरिए पहली बार विनिर्माण के साथ सेवाओं को कवर करने संबंधी कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। इस अधिनियम में उद्यमों की धारणा, उद्यमों का उत्तरोत्तर वर्गीकरण, वैधानिक परामर्श व्यवस्था, ऐसे उद्यमों के संवर्धन एवं विकास के लिए कोष की स्थापना, सरकारी खरीद में ऐसे उद्यमों के उत्पाद एवं सेवाओं को वरीयता देने, विलंबित भुगतान की समस्यायें कम करने के लिए कारगर व्यवस्था करने आदि प्रावधान किए गए हैं। एक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी है, जिसमें ऋण, समूह आधारित विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, बुनियादी ढांचा उन्नयन आदि क्षेत्रों से संबद्ध सरोकारों को शामिल किया गया है। ऋण गारंटी कोष की राशि मार्च, 2006 में 1132 करोड़ रुपये थी, जिसे अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2005 में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए घोषित ऋण नीति के बाद इस क्षेत्र के बकाया ऋण 2005 के 1,35,200 करोड़ रुपये से बढ़कर 2006 के अंत तक 1,73,460 करोड़ रुपये पर पहुंच गए।

8.1.10 निर्यात संबंधी उद्योग : निर्यातोन्मुखी विनिर्माण और सेवाओं के द्रुत गति से विकास के लिए अपेक्षित आधारभूत ढांचा और समुचित फ्रेमवर्क बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 बनाया गया है। इस बारे में निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है और यूपीए सरकार भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए अनेक उपायों को अंतिम रूप दे रही है।

8.1.11 दूर संचार सेवाएं : जल्दी ही 3जी नीति की घोषणा की योजना बनाई जा रही है। एनएलडी और आईएलडी लाइसेंसों के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क और प्रविष्टि शुल्क में भारी कटौती के जरिए अधिक निवेश हासिल करने और उपभोक्ताओं के लिए लागत में कमी लाने के लक्ष्य हासिल किए गए हैं। इस वर्ष रक्षा सेवाओं द्वारा अतिरिक्त 45 मेगाहट्र्ज़ स्पैक्ट्रम खाली किए जाने का लक्ष्य है, जिससे मोबाइल सेवाओं में इज़ाफा होगा। एक व्यापक स्पैक्ट्रम आबंटन नीति तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। यूपीए सरकार ने फैसला किया है कि एक समिति मौजूदा शुल्कों के ढांचे का अध्ययन करेगी और उपयुक्त सिफारिशें सरकार को देगी ताकि इस उद्योग पर लागू विविध करों, प्रभारों और शुल्कों में एकरूपता कायम की जा सके और वसूल किए गए राजस्व पर एकल लेवी की व्यवस्था की जा सके।

8.1.12 आईटी सेवाएं : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है। इसके माध्यम से ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, जिनसे विदेशी ग्राहकों को, डाटा संरक्षण कानूनों की पर्याप्तता और उन मामलों में जहां वे या तो भागीदार हों अथवा जहां वे उचित श्रम प्रदान करने में विफल रहे हों, नेटवर्क सेवा प्रदाताओं की देयता सीमा सुनिश्चित की जा सके। ई-कॉमर्स के बारे में यूरोपीय संघ द्वारा लागू और अंतर्राष्ट्रीय रूप में अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रावधानों में संशोधन किया जा रहा है। इससे नेटवर्क सेवा प्रदाताओं जैसे मध्यस्थों द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्वों और रक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकेगा। इस प्रकार आशंकाएं दूर करते हुए उन्हें जवाबदेह बनाया जाएगा और निवेश जुटाने में मदद पहुंचाई जाएगी। मानव संसाधन की आवश्यकताएं पूरी करने, विदेशी बाजारों में पहुंच बढ़ाने, आदि के लिए नेस्कॉम के साथ घनिष्ठ सहयोग करते हुए अनेक उपाय किए गए हैं।

8.1.13 इलैक्ट्रॉनिक्स, आईटी हार्डवेयर और टेलीकॉम उपस्कर निर्माण : सेमी कंडक्टर बनाने और अन्य माइक्रो और नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष और आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज अधिसूचित किया गया है। इसका व्यापक स्वागत हुआ है। सरकार की विकासोन्मुखी और समर्थक भूमिका की बदौलत प्रमुख दूरसंचार कंपनियों को देश में विनिर्माण के क्षेत्र में आकर्षित करने में मदद मिली है।

8.1.14 रसायन और पेट्रोरसायन : पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन के विकास के लिए उपयुक्त नीति बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें अपेक्षित आकार के निवेश क्षेत्रों और सुविधाओं के स्तर पर ध्यान देने और

विश्वस्तरीय विकासकों एवं निवेशकों को भागीदार बनाने के उपाय किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन परियोजनाओं, जन-सेवाओं, लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण संरक्षण, आवासीय क्षेत्र और प्रशासनिक सेवाओं की मिली-जुली व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर के निवेश को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान जैसे नए संस्थानों की स्थापना के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है और वित्तीय प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की बढ़ती जरूरतें पूरी की जा सकें। पेट्रोरसायन के बारे में नई राष्ट्रीय नीति बनाई गई है। रसायन विनिर्माण करने वाले दोनों केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान घाटे में चल रहे थे और पिछले 10-20 से वर्षों से वे बीआईएफआर सुपुर्द हैं। यूपीए सरकार ने इन प्रतिष्ठानों को फिर से लाभकारी बनाने के लिए मिशन भावना से काम किया है। हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड लिमिटेड के पुनरुत्थान पैकेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें नकद निवेश के साथ-साथ करोड़ों रुपये की बकाया राशि माफ करने के प्रावधान किए गए हैं।

8.1.15 खनन : खनन क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए यूपीए सरकार नई खनन नीति घोषित करने जा रही है। इसके बाद खान एवं खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम, 1957, खनिज (रियायत) नियम, 1960 और खनिज (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1988 में संशोधन किए जाएंगे। इससे खनन लाइसेंस प्रदान करने, विशेषकर अन्वेषण लाइसेंस को प्रत्याशित और खनन लाइसेंसों में सहज रूपांतरित करने में मदद मिलेगी। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हैलीकॉप्टर आधारित भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रणाली, समुद्र में जाने वाले अनुसंधान पोत और भू-तकनीकी जहाज खरीदे जा रहे हैं ताकि तटवर्ती क्षेत्रों में छिपे और गहरे समुद्र में पाये जाने वाले खनिज भंडारों की खोज की जा सके।

8.1.16 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विकास के बारे में समन्वित कानून की व्यवस्था करने के लिए संसद ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 बनाया है। इससे पहले खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर अलग-अलग 13 कानून लागू होते थे। समन्वित अधिनियम में खाद्य व्यापार एवं उद्योग को निर्देशित एवं नियमित करने के लिए 'सिंगल-विंडो' का प्रावधान करने और इस उद्योग के लिए दूरगामी नीति तय करने की व्यवस्था की गई है। इसमें आत्म-अनुपालन पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तत्संबंधी कानूनी दायित्व तय करने के उपाय किए गए हैं। अधिनियम में पारदर्शी एवं गतिशील ढंग से विज्ञान पर आधारित मानक तय करने का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष से हरियाणा के कुंडली शहर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) काम करने लगेगा। यह संस्थान भारत और विदेश स्थित ऐसे ही अन्य संस्थानों और उद्योग जगत के साथ सहक्रियात्मक रूप में काम करेगा। इसके चालू हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्टता केन्द्र की आवश्यकता पूरी हो गई है। फल एवं सब्जियों के संसाधन, परिरक्षण और पैकेजिंग के लिए लगाए जाने वाले नए उद्योगों को पांच वर्ष तक आयकर में छूट और अन्य रियायतें प्रदान की गई हैं।

8.1.17 वस्त्र : मल्टीफाइबर समझौता व्यवस्था के बाद के युग में वस्त्र उद्योग रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने तथा अपने निष्पादन में सुधार करने में सक्षम है। इस उद्योग के विकास के लिए करों में राहत सहित एक बड़ा पैकेज दिया गया है। वस्त्र संबंधी विभिन्न प्रकार की मशीनों और अतिरिक्त पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है, प्रोसेसिंग के लिए अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है, निर्दिष्ट वस्त्र मशीनरी मदों, कच्चे माल और अतिरिक्त पुर्जों पर शुल्क कम किया गया है, तथा पॉलिस्टर फिलामिंट यार्न पर उत्पाद शुल्क कम किया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना और कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन जैसे कार्यक्रमों का क्षेत्र और परिव्यय बढ़ाया गया है ताकि इस उद्योग का आधुनिकीकरण किया जा सके और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए समन्वित वस्त्र केन्द्रों की स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 2008 तक 13,000 करोड़ रुपये के निवेश से 30 समन्वित वस्त्र केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन

होगा और रोजगार के करीब 5 लाख नए अवसर पैदा होंगे। कपास उत्पादकों को दी गई संकेन्द्रित सहायता की बदौलत कपास उत्पादन और उत्पादकता में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है। 2004 के बाद से मल्टीफाइबर समझौता चरणबद्ध रूप में समाप्त किए जाने से वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। उम्मीद है कि 2011-2012 तक वस्त्र क्षेत्र दुगुना हो जाएगा और अमरीकी डॉलरों में इसका आकार 115 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। इस अवधि में निवेश करीब 1,50,000 करोड़ रुपये का होने की संभावना है, जिससे करीब 1.7 करोड़ श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

8.1.18 हथकरघा : बुनकरों की सहायता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। हथकरघा समूह विकास केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त अधिक संख्या में धागे के डिपो स्थापित किए गए हैं, प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता की जा रही है और बुनकरों के लिए स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा लाभ की व्यवस्था की गई है। हथकरघा उत्पादों की ब्रैंडिंग के लिए "हैंडलूम मार्क" नाम का नया ब्रांड शुरू किया गया है। 5,000 से अधिक हथकरघों के 200 हथकरघा समूहों को 2007-08 के दौरान समेकित हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

8.1.19 जूट : जूट की मांग को बढ़ावा देने और जूट उत्पादकों के हितों की संरक्षा के लिए पहली बार एक व्यापक राष्ट्रीय जूट नीति की घोषणा की गई है। भारतीय जूट निगम के पुनरुत्थान का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जूट क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 355 करोड़ रुपये की लागत से जूट प्रौद्योगिकी मिशन लागू करने के उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक 2006 संसद में पेश किया गया है। इसके उद्देश्य जूट क्षेत्र के विभिन्न संगठनों की गतिविधियों में सह-क्रियाशीलता को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना करना है। समुचित मांग सुनिश्चित करने के लिए चीनी और अनाज के लिए अनिवार्य पैकेजिंग का स्तर बढ़ा दिया गया है। अनाज और चीनी के लिए जूट के थैलों में अनिवार्य पैकेजिंग के स्तर में 2006-07 जूट वर्ष के लिए की गई शत-प्रतिशत बढ़ोतरी जारी रखी गई है।

8.1. 20 बागान फसलें : यूपीए सरकार ने चाय बागानों के सदियों पुराने स्वरूप में सुधार करने के लिए पुराने चाय के पौधों की पुनःरोपाई और पुनःपोषण के लिए विशेष प्रयोजन चाय कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। सरकार जल्दी ही इस तरह की वित्तीय व्यवस्था कॉफी, रबड़, मसालों, काजू और नारियल के लिए भी करने के उपाय कर रही है। कॉफी क्षेत्र में भी सरकार का प्रस्ताव है कि 11वीं योजना अवधि में व्यापक पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरू किया जाए जिसके अंतर्गत कॉफी के पुराने पौधों के स्थान पर ज्यादा पैदावार देनी वाली किस्मों को अपनाया जाएगा। यूपीए सरकार ने नारियल बागानों के पुनरोद्धार के लिए भी कार्यक्रम शुरू किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में अन्य बागान फसलों में सुधार के लिए भी विशेष कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। सरकार ने वर्षा के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए छोटे कॉफी उत्पादकों के लिए प्रभावकारी जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था करते हुए मौसम/वर्षा बीमा शुरू किया है, जिसके अंतर्गत प्रीमियम में 50 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा लाभ की राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही इस योजना का विस्तार स्थाई बागान उत्पादकों तक भी कर दिया गया है। यह लाभ मृत्यु अथवा स्थाई विकलांगता के मामलों में बागान उत्पादकों और उनमें काम करने वाले स्थाई श्रमिकों, दोनों पर समान रूप से लागू होगा।

8.1.21 उपयोगी वस्तु डेरिवेटिव्स : उदारीकरण और वस्तुओं के वायदा कारोबार के लिए खोले जाने के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में उपयोगी वस्तु डेरिवेटिव्स ट्रेड मूल्य में भारी इज़ाफा हुआ है। यह बढ़ोतरी 2003-04 में 5.81 प्रतिशत (1.29 लाख करोड़ रुपये) थी, जो 2005-06 के दौरान बढ़कर 66 प्रतिशत (21.55 लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गई। एफसीआर अधिनियम 1952 में संशोधन के बाद वैकल्पिक कारोबार की शुरुआत होने से बैंकों, म्यूच्युअल फंडों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के भी इस क्षेत्र में भाग लेने की संभावना है, जिससे उपयोगी वस्तु वायदा कारोबार में आने वाले वर्षों में और बढ़ोतरी होगी। इससे उद्योग का विस्तार होगा और यह मूल्य खोज एवं जोखिम प्रबंधन की परिपक्व प्रणाली में प्रवेश करेगा। उपयोगी वस्तु वायदा कारोबार में होने वाले

परिवर्तनों और विकल्पों में कारोबार की अनुमति के लिए बढ़ती मांग तथा उपयोगी वस्तु डेरिवेटिव्स की नई पीढ़ी को देखते हुए जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक विकल्प प्रदान करने के वास्ते सरकार ने वायदा बाजार आयोग को अपेक्षित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। यह स्वायत्तता सेबी की तर्ज पर दी जाएगी। विधेयक में विकल्पों में कारोबार की अनुमति देने का प्रावधान है, जबकि साथ ही आयोग को पुनर्गठन, प्रबलीकरण और अधिक संवैधानिक अधिकार प्रदान करते हुए इस बात में सक्षम बनाना है कि वह वस्तु डेरिवेटिव्स बाजार को प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम हो सके।

8.1.22 प्रतिभूति बाजार : सेबी द्वारा 19 शेयर बाजारों के कारपोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन की स्कीम अधिसूचित करने के साथ ही शेयर बाजारों के अधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसमें सभी स्टॉक एक्सचेंजों को 'लाभार्थ' संगठन बनाया गया है, और स्वामित्व, ट्रेडिंग अधिकार और प्रबंधन को अलग-अलग करके हितों के बीच टकराव को समाप्त किया गया है। विदेशी निवेशकों द्वारा राष्ट्रीय शेयर बाजार में महत्वपूर्ण इक्विटी हासिल की गई है जिससे नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। सेबी प्रतिभूति बाजार में मध्यवर्तियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और बाजार तथा पेशेवरों का सर्टिफिकेशन डाटाबेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति प्रबंधन संस्थान गठित करने की प्रक्रिया में है।

8.1.23 सरकारी विमान कंपनियां : एक दशक बाद एयर इंडिया की उड़ानों में नए विमान शामिल करने के यूपीए सरकार के फैसले से एयर इंडिया को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से सुदृढ़ किया जा सकेगा। 2006 से 2012 की अवधि में करीब 35,000 करोड़ रुपये की विशुद्ध अनुमानित लागत से 68 विमान हासिल किए जाएंगे। इंडियन एयरलाइन्स में भी 2006 से 2010 की अवधि में करीब 10,000 करोड़ रुपये की लागत से 43 एयरबस शामिल की जाएंगी। इससे एयरबस 300 और बोइंग 737 के समूचे पुराने बेड़े को बदला जा सकेगा। विमानन उद्योग के अंतर्गत विश्वभर में जारी विमान कंपनियों के विलय और सुदृढ़ीकरण तथा ग्लोबल अलाइन्स की प्रवृत्ति को देखते हुए यूपीए सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के विलय की दिशा में काम करने का फैसला सिद्धांत रूप में ले लिया है। इन गतिविधियों से विमान कंपनियों को बेड़े का अधिकतम इस्तेमाल करने, परिसंपत्ति आधार बढ़ाने, नेटवर्क का विस्तार करने और सीटों के किफायती इस्तेमाल में मदद मिलती है।

8.2 ऊर्जा

8.2.1 ऊर्जा समन्वय समिति : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऊर्जा समन्वय समिति का गठन किया गया ताकि ऊर्जा संबंधी योजना और सुरक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण एवं निर्णय करने के व्यवस्थित और समन्वित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके। इसमें कोयला, बिजली और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं।

8.2.2 बिजली : दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिजली उत्पादन क्षमता में कुल 21,000 मेगावाट की वृद्धि का आकलन किया गया है। भुगतान प्रतिभूति के रूप में केन्द्रीय वित्तीय अंतरण में अपना हिस्सा देने का प्रस्ताव करने वाले खरीददार राज्यों की शर्त को समाप्त कर दिया गया है ताकि मेगा पावर परियोजनाओं के लिए स्वतंत्र बिजली परियोजना पर सीमा शुल्क में छूट दी जा सके। निजी उद्यमों के माध्यम से प्रतियोगी बोली लगाने के आधार पर 4,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की क्षमता वाले 9 अल्ट्रा-मेगा थर्मल बिजली उत्पादन संयंत्रों की पहचान की गई है, जिनका विकास निजी उद्यम के जरिए किया जाएगा। तत्संबंधी अनुबंध प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर दिए जाएंगे, जिनमें से दो के लिए बोली को प्रक्रिया को अंजाम दिया जा चुका है। त्वरित बिजली वितरण सुधार कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि वितरण नेटवर्क में सुधार प्रोत्साहित किए जा सकें और एटीसी क्षति में कमी लाई जा सके। उन राज्यों को अतिरिक्त समय दिया गया है जो राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने के इच्छुक हैं। विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2005 संसद में पेश किया गया है जिसमें अन्य बातों के अलावा यह तय किया गया है कि ग्रामीण

क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त दायित्व है। इसमें क्रॉस सब्सिडी समाप्त करने की शर्त हटाने का भी प्रावधान है।

8.2.3 कोयला : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई है और बड़ी संख्या में कोयला ब्लॉक कोल इंडिया और निजी/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित किए गए हैं ताकि भावी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए समय पर विकास किया जा सके। पिछले तीन वर्षों में आबंटित किए गए 75 ब्लॉकों के अतिरिक्त 81 और ब्लॉकों की पहचान की गई है, जो स्वीकार्य इस्तेमालकर्ताओं को आबंटित किए जाएंगे।

8.2.4 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस : नई खोज लाइसेंस नीति (एनईएलपी-VI) के अंतर्गत बोली के छठे दौर के तहत खोज और विकास प्रयासों को देखते हुए देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन मौजूदा गैस उत्पादन के स्तर से दुगुना हो जाने की उम्मीद है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्राकृतिक गैस का उत्पादन करीब 9 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) पर पहुंच जाने की संभावना है। एनईएलपी-VI के अंतर्गत 52 ब्लॉकों में 5 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य के खोज और विकास कार्य का लक्ष्य रखा गया है जबकि अभी तक सभी 5 दौर में 110 ब्लॉकों में खोज और विकास कार्यों को अंजाम दिया गया था। एनईएलपी-VII के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उम्मीद है कि 2007-08 में भारत उन गिने-चुने देशों की पंक्ति में शामिल हो जाएगा जो कोयले की परत से मीथेन का उत्पादन करते हैं। यूपीए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को प्रोत्साहित किया है ताकि वे विदेश में तेल और गैस परिसंपत्तियों में अकेले अथवा संघ या संयुक्त उद्यमों के जरिए इक्विटी हासिल करने के जोरदार प्रयास करें। वियतनाम, क्यूबा, नाइजीरिया, ब्राजील, लीबिया, सीरिया, गबन, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और तिमोर में ब्लॉक हासिल किए गए हैं या भागीदारी हित हासिल किया गया है, परिणामस्वरूप उम्मीद है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेश स्थित खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन क्रमशः 70 लाख मीट्रिक टन वार्षिक और 2 अरब क्यूबिक घन मीटर वार्षिक पर पहुंच जाएगा। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, ढुलाई, वितरण, विपणन और बिक्री को नियमित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के गठन के लिए कानून बनाया गया है। इन प्रक्रियाओं से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को अलग रखा गया है ताकि उपभोक्ताओं और निर्दिष्ट गतिविधियों में लगी कंपनियों के हितों की रक्षा की जा सके और देश के सभी भागों में तेल की अबाधित और समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों को भी प्रोत्साहित किया जा सकेगा। नियामक संगठन का गठन जल्दी ही किए जाने की संभावना है।

8.2.5 परमाणु ऊर्जा : तारापुर स्थित 540 एमडब्ल्यूई प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्लूआर) यूनिट देश का दूसरा ऐसा रिएक्टर है जिसका निर्माण पूरी तरह देशी संसाधनों से किया गया है। इस इकाई में कामकाज को फिर से सुचारू बनाया गया है। कैगा परमाणु बिजलीघर की तीसरी इकाई में उत्पादन शुरू हो गया है। परमाणु ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता अब 3,900 एमडब्ल्यूई की हो गई है। सात परमाणु बिजली संयंत्र (चार पीएचडब्ल्यूआर, दो एलडब्ल्यूआर और एक एफबीआर) फिलहाल निर्माणाधीन हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 3,380 एमडब्ल्यूई की होगी, जिसे मिलाकर कुल स्थापित क्षमता 7,280 एमडब्ल्यूई हो जाएगी। सरकार ने चार नए स्थलों पर परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू करने की अनुमति सिद्धांत रूप में दे दी है। ये हैं, कुडानकुल्लम, राजासन, काकरापार और जैतापुर। इससे 6,800 एमडब्ल्यूई की अतिरिक्त परमाणु बिजली क्षमता हासिल की जा सकेगी। इनमें से जैतापुर एक हरित क्षेत्र है। भारत फ्यूचर जेन और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लीयर एक्पेरीमेंटल रिएक्टर इनिशिएटिव जैसे संगठनों का सदस्य है।

8.2.6 ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्त्रोत : दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्त्रोतों की स्थापित क्षमता करीब 10,000 मेगावाट पर पहुंचने का अनुमान है। यह योजना लक्ष्यों से दुगुनी है।

8.2.7 जैव ईंधन : मंत्रियों का एक समूह बायो ईंधन के बारे में राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय बायो ईंधन विकास बोर्ड की स्थापना और बायो डीजल के बारे में एक राष्ट्रीय मिशन बनाने पर विचार कर रहा है।

8.3 आधारभूत ढांचा

8.3.1 आधारभूत ढांचा समिति : विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे के सृजन हेतु किए जाने वाले प्रयासों की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आधारभूत ढांचा समिति द्वारा पुनरीक्षा एवं मार्गदर्शन किया जा रहा है। समिति गंभीरता के साथ नीति बनाने के साथ-साथ विनियामक माहौल बना रही है ताकि आधारभूत ढांचा क्षेत्र में दीर्घकालिक निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

8.3.2 सड़कें : वर्ष 2005-12 की अवधि के दौरान 2,27,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सात चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। देश के चार प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 6 से 4 लेन की स्वर्ण चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है। लगभग 7,300 किलोमीटर लम्बे उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कोरिडोर का निर्माण कार्य सौंपा जा चुका है और वर्ष 2009 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है। यूपीए सरकार ने 28,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से एनएचडीपी के चरण-3-ए के अंतर्गत 5,128 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने/इसे अपग्रेड करने के कार्य को मंजूरी प्रदान की है। इसको वर्ष 2009 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। एनएचडीपी-3बी के अंतर्गत 33,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 6,500 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने के कार्य का पता लगाया गया है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यूपीए सरकार ने चरण-5 के अंतर्गत 41,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वर्ण चतुर्भुज सहित 6,500 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन का बनाने पर बल दिया है। यह परियोजना 2012 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और यह कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा सरकार की चरण-6 के अंतर्गत 16,680 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेस-वे बनाने की भी योजना है। साथ ही चार लेन के लिए उपयुक्त न पाए गए 20,000 किलोमीटर लम्बे अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर पटरी सहित दो लेन का राजमार्ग बनाने का भी प्रस्ताव है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एसएआरडीपी-एनई) के कार्यक्रम के अंतर्गत 450 किलोमीटर लम्बी सड़क का कार्य सौंप दिया गया है तथा शेष कार्य 2007-08 में सौंपा जाएगा।

8.3.3 हवाई अड्डे : हाल के वर्षों में नागर विमानन क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। यूपीए सरकार ने देश के प्रमुख हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और तेजी से बढ़ती एयर ट्रैफिक मांग को पूरा करने के लिए हवाई सेवाओं को उदार बनाना शुरू कर दिया है। हवाई अड्डा विकास में तीव्र गति से निवेश किया जा रहा है। भारत में दिल्ली तथा मुंबई हवाई अड्डों पर निजी सार्वजनिक सहयोग से इनके आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य शुरू करने के साथ ही भारत में विश्वस्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण कार्य जोरों पर है। दिल्ली हवाई अड्डे पर क्रमशः 2008 तथा 2010 तक ए-380 किस्म के हवाई जहाजों के परिचालन के लिए नई हवाई पट्टी तथा नई इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस प्रकार इस हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ जाने से 37 मिलियन यात्रियों का आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा। मुंबई हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू यात्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जिसे 2010 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। बंगलौर तथा हैदराबाद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2008 के मध्य तक अपना काम करना शुरू कर देंगे। कोलकाता तथा चेन्नई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विकास की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। गोवा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किए जाने को सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी गई है। तिरुवनंतपुरम तथा अहमदाबाद हवाई अड्डों पर नई इंटरनेशनल टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के कार्य को मंजूरी दे दी गई है। यूपीए सरकार 35 नॉन-मेट्रो हवाई अड्डों का विश्वस्तरीय मानदंडों के अनुरूप आधुनिकीकरण करने के प्रति भी वचनबद्ध है। सरकार एयरपोर्ट इकॉनामिक

रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना किए जाने की भी इच्छुक है जो शुल्क ढांचे का अनुमोदन तथा कार्यनिष्पादन के मानदंडों की देखरेख करेगी। यह अथॉरिटी कन्सेशन अवधि के दौरान रेगुलेटरी तथा कमर्शियल स्वामित्व के बारे में निजी निवेशकों को निश्चितता प्रदान करेगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है जबकि पहले यह 74 प्रतिशत थी।

8.3.4 शिपिंग एवं अंतर्देशीय जल परिवहन : यूपीए सरकार ने बंदरगाह आधारभूत ढांचे के व्यापक क्षमता विस्तार के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु बर्थ आबंटन के कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। कोचीन बंदरगाह पर पीपीपी प्रक्रिया से 2,118 करोड़ रुपये की लागत के साथ इंटरनेशनल कंटेनर ट्रास-शिपमेंट टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। सेतु समुद्रम शिपिंग चैनल परियोजना का कार्य जुलाई 2005 में शुरू हो चुका है और इसके 2009 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस पर 2,427 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस परियोजना से 424 नॉटिकल माइल्स (785 किलोमीटर) की नेविगेशनल दूरी की बचत होगी जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30 घंटे का समय बचेगा। इससे समुद्र तट के निकट कार्गो के संचालन में तेजी आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र आर्थिक विकास होगा। मौजूदा तीन राष्ट्रीय जलमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर पांच राष्ट्रीय जलमार्ग करने, शिपिंग और नेविगेशन के लिए जलमार्गों के समान विकास और कार्गो के परिवहन के लिए अधिकतम उपयोग हेतु महानदी तथा गोदावरी-कृष्णा नदी प्रणालियों में 623 किलोमीटर और 1,095 किलोमीटर लम्बे भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया है। इससे पारादीप, धामरा तथा कोलकाता बंदरगाहों के लिए पोर्ट-हिंटरलैंड कनेक्टिविटी स्थापित होने के साथ-साथ हुबली के निकट गंगा से संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। इन दोनों से 6 से 9 वर्ष की अवधि में 2,068 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा। सरकार ने बराक नदी से सटे 121 किलोमीटर लम्बे लखीपुर-भंगा खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए संसद में विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना पर 46 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और यह 2008-09 में पूरी होने की संभावना है। इस परियोजना से बराक घाटी में हल्दिया तथा कुलकुटा के प्रमुख बंदरगाहों सहित लखीपुर, सिल्चर तथा बदरपुर जैसे प्रमुख कमर्शियल सेंटरों की पोर्ट-हिंटरलैंड कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

8.3.5 रेलवे : यूपीए सरकार ने भारतीय रेल के कायाकल्प में अपार सफलता प्राप्त की है। पिछले ढाई वर्ष से अधिक की अवधि में रेलवे ढुलाई की मात्रा में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी दुगुनी हुई है। आपूर्ति एवं मांग प्रबंधन में सुधार क्षमता के आनुपातिक उपयोग तथा बाजार संचालित मूल्य नीति के परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे एक बार फिर से पटरी पर आ गया है। सार्वजनिक निजी साझेदारी से आधारभूत ढांचा विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी कंटेनर ट्रेनों के संचालन हेतु उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। प्रस्तावित डेडिकेटिड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स का प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। कंटेनर बिजनेस के द्वार निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। एक्सल लोड में वृद्धि होने, वैगनों का टर्न अराउंड टाइम 7 दिन से घटकर 5 दिन होने से लोडिंग क्षमता में 120 मिलियन टन की वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप 7,000 करोड़ रुपये की अधिक आमदनी हुई है। श्रेणियों की संख्या को 4,000 से घटाकर 18 करके शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। मूल्य नीति को बाजार आधारित एवं सशक्त बनाया गया है, खाली सीज़न के दौरान आकर्षक छूट दी जा रही है तथा व्यस्त मौसम में व्यस्त रूटों पर सरचार्ज लिया जा रहा है। संसाधन आबंटन की पुरानी नीति को संसाधन उत्थान का रूप दिया गया है। यात्री सेवाओं में सुधार तथा विशेषकर गरीब वर्गों के किरायों में कमी का काफी प्रभाव देखने में आया है। सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाये बगैर काफी हद तक सुधार कार्य जारी हैं।

दिल्ली-मुंबई तथा दिल्ली-कोलकाता ट्रंक मार्गों पर इकॉनिमी तथा इंडस्ट्री की परिवहन मांग को पूरा करने के लिए दो कनेक्टिड डेडिकेटिड मल्टी-मॉडल फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी पर है। इसे 30,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। यह कार्य 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना से कंटेनर, कोल तथा अन्य मिनरल ट्रैफिक को आवश्यक आधारभूत सहयोग प्राप्त होगा तथा इन मार्गों पर पैसेंजर ट्रैफिक में भी सुधार होगा। यूपीए सरकार द्वारा स्वर्ण चतुर्भुज सहित फ्रेट कॉरिडोर्स हेतु पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन तथा प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं ट्रैफिक सर्वेक्षण कराए जाने का भी प्रस्ताव है।

भारतीय रेल 600 किलोमीटर की दूरी को 2 से 3 घंटों में तय करने के लिए 300 से 350 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पर रेलगाड़ियां चलाने के लिए उत्तरी-पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में एक-एक हाई-स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर निर्मित करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों का भी आयोजन कर रहा है। योजना अवधि के दौरान रोलिंग स्टॉक का उत्पादन दुगुना किया जाएगा। रेल कोचों, डीज़ल लोकोमोटिवों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिवों तथा पहिये के लिए एक-एक नई फैक्टरी स्थापित की जाएगी। स्वर्ण चतुर्भुज क्षेत्र और इसकी परिधि तथा कश्मीर के कन्याकुमारी और गुवाहाटी से अमृतसर तक की सभी दिशाओं में विद्युतीकृत नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

रेलवे भूमि और एयर स्पेस के व्यावसायिक उपयोग, सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्हें विश्वस्तरीय स्टेशनों में बदलने तथा आमदनी बढ़ाने के लिए रेलवे परिसंपत्तियों के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों का पता लगाने हेतु रेल भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। रेलवे कृषि उत्पादों के संग्रहण तथा वितरण आउटलेट्स जहां परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हों, के लिए मॉड्यूलर एग्रीकल्चरल रिटेल चेन की स्थापना हेतु भूमि प्रदान करके आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला आधारभूत ढांचे को सुग्राही बनाने की योजना बना रहा है। इससे कृषि उत्पादों की प्राप्ति और वितरण के लिए देशव्यापी नेटवर्क की स्थापना करने में सुविधा होगी।

8.3.6 दूरसंचार : वर्ष 2004 में घोषित ब्राडबैंड नीति को प्रोत्साहन देने के परिणमस्वरूप 600 से अधिक नगरों में लगभग 20 लाख ब्राडबैंड कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत 90 लाख ब्राडबैंड कनेक्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल टेलीकॉम द्वारा सबमरीन ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने की परियोजना शुरू की जा चुकी है और तूतीकोरिन से श्रीलंका तक बीएसएनएल की पहली सबमरीन केबल बिछाने की परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है जबकि पोर्टब्लेयर के रास्ते दक्षिणपूर्व एशिया तक स-बमरीन केबल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

8.3.7 आधारभूत ढांचा विकास को बढ़ावा देने संबंधी उत्प्रेरक स्कीमें : वित्तीय दृष्टि से अव्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतराल अनुदान स्कीम शुरू कर दी गई है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों, जो इस समय दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने में अक्षम हैं, द्वारा ऋण प्रदान करने के क्रम में एक विशेष प्रयोजनीय वाहक की संकल्पना की गई थी ताकि आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण दिया जा सके। आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को व्यवहार्यता अंतराल अनुदान तथा दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने वाली दोनों स्कीमों से आधारभूत ढांचे में निजी क्षेत्र के वित्त-पोषण में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर किए जाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लम्बी अवधि के कारण अव्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को दीर्घावधिक ऋण की अनुपलब्धता के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पैकेज के माध्यम से सरकार ने बड़े पैमाने पर निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए बजटीय संसाधनों को बढ़ाया है। अब तक विशेष प्रयोजनीय वाहक इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगभग 55,000 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से 47 परियोजनाओं को मंजूर किया है। 9,462 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 16 परियोजनाओं को व्यवहार्यता अंतराल कोष स्कीम के अंतर्गत सिद्धांत रूप से अनुमोदित किया गया है। यूपीए सरकार का म्यूचुअल फंड के लिए अनुमति देकर आधारभूत ढांचे क्षेत्र में निवेश के प्रवाह को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इसके लिए व्यवहार्यता अंतराल कोष स्कीम

के अंतर्गत डेडिकेटिड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे आईआईएफसीएल द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष से भी प्राप्त किया जा सकेगा, की शुरुआत करने एवं इसका परिचालन करने को सिद्धांत रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

8.3.8 अन्य आधारभूत ढांचा प्रयास : उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण नवीकरण और शहरी नवीकरण के क्षेत्र में अनेक ढांचागत उपाय भी किए गए हैं।

8.4 मुद्रास्फीति नियंत्रण

8.4.1 मुद्रास्फीति की रोकथाम : हाल के महीनों में मंहगाई की दर 6.5 प्रतिशत से ऊपर रही है। सकल घरेलू उत्पाद में उच्च वृद्धि से प्राथमिक वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी, कृषि क्षेत्र में पिछले कई वर्षो से पर्याप्त निवेश न होने के कारण कृषि की पैदावार में आए गतिरोध से आपूर्ति पक्ष पर दबाव, और गेहूं, दालें, मिल्क पाउडर, खाद्य तेल, खनिज तेल, और लौह एवं अलौह धातुओं सहित अन्य प्राथमिक वस्तुओं के अंतराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी और उपलब्धता में कठिनाई, आदि अनेक ऐसे घटक हैं, जिनका चीजों के दाम बढ़ने में योगदान रहा है। यूपीए सरकार ने पिछले वर्ष मंहगाई रोकने के लिए निम्नांकित व्यापक उपाय किए :

(क) आयात शुल्क में कमी करके और राज्यों की एजेंसियों को सरकारी खाते में आयात के निर्देश देकर आयात के जरिए उपलब्धता बढ़ाने के उपाय किए गए।

(ख) प्रतिबंध, सरणीबद्धता, या न्यूनतम निर्यात मूल्य में वृद्धि जैस उपायों के माध्यम से निर्यात पर अंकुश लगाना।

(ग) वायदा बाजार आयोग के माध्यम से नियामक उपाय और अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत स्टॉक सीमा लागू करके सट्टेबाजी और जमाखोरी रोकने के उपाय किए गए।

(घ) रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और वैधानिक नकद आरक्षी अनुपात में बढ़ोतरी करके चल निधि (लिक्विडिटी) की वृद्धि पर अंकुश लगाया गया।

(ङ) मांग अवमन्दन के लिए वाणिज्यिक भू–संपत्ति, आवास ऋणों और व्यक्तिगत ऋणों, जैसे क्षेत्रों में जोखिम भारिता (रिस्क वेटिंग) बढ़ाना और बैंकों के प्रकटीकरण के लिए व्यवस्था मानदंड लागू करना।

इन व्यापक उपायों का प्रभाव दिखाई देने लगा है और यूपीए सरकार को पूरा भरोसा है कि वह भविष्य में मंहगाई की दर को नियंत्रण में रखेगी।

9. मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण

9.1 विदेश मामले

9.1.1 एक नजर : पिछले तीन वर्ष की अवधि राष्ट्रों की सौहार्दता में भारत की उभरती भूमिका तथा स्थिति के लिए काफी महत्वपूर्ण रही है। भारत की विदेश नीति में जहां तेजी के बदलते अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अपनाया गया है, वहीं इसी दौरान भारत के भीतर भी काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। शेष विश्व समुदाय से भारत के संबंधों में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है जिसके परिणास्वरूप अंतर्राष्ट्रीय वातावरण काफी शांतिपूर्ण एवं सहयोगी होने से भारत के विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी तेजी आएगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय सहमति और सर्वोच्च राष्ट्र हितों के आधार पर भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण किया है। इस सिलसिले में सरकार भारत के पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गठजोड़ और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी है। जबकि ऐसा करते समय पारंपरिक समझौतों तथा नई साझेदारियों को मजबूत बनाने की धारणा को बनाए रखा गया है।

9.1.2 सार्क : अप्रैल, 2007 में भारत में 14वें सार्क सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क के आठवें सदस्य के रूप में चुना गया तथा पहली बार पांच आब्जर्वर देशों अर्थात चीन, जापान, यूरोपीय संघ, कोरिया गणतंत्र तथा अमरीका ने भाग लिया। दिल्ली सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के नेताओं ने नई विचारधारा तथा प्रयोजन का आह्वान किया। सम्मेलन में सार्क विकास निधि को परिचालित करने, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की स्थापना, सार्क फूड बैंक के सृजन तथा सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल के गठन पर सहमति व्यक्त की गई। सम्मेलन में दक्षिण एशिया के भीतर सामग्री सेवाओं, लोगों, प्रौद्योगिकियों, ज्ञान, पूंजी, संस्कृति और विचारों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए भौतिक, आर्थिक तथा लोगों के आपसी संबंधों की महत्ता पर बल दिया गया और अंतर-सरकारी परिवहन समूह को निदेश दिया गया कि वह सार्क रीजनल मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट स्टडी प्राथमिकता आधार पर दी गई सिफारिशों के अनुसार उप-क्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय परियोजनाओं का पता लगाकर उनका विकास करे और साथ ही इसके लिए उपयुक्त क्षेत्रीय समझौतों की भी व्यवस्था करे। सम्मेलन के दौरान संस्कृति के लिए सार्क एजेंडे की शुरुआत की गई। सम्मेलन में वार्षिक सार्क समारोहों को शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर शीघ्र व्यापक विचार-विमर्श कर उचित निर्णय लेने के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए भी किया गया।

जनवरी, 2006 से लागू साफटा विगत में प्राप्त एक अन्य सार्थक उपलब्धि थी। भारत ने अपना विशेष उत्तरदायित्व निभाते हुए कम विकसित दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों को लिए अपना बाजार खोला। .यह निर्णय लेते समय उनकी प्रतिक्रिया जाने बिना उन्हें वर्ष 2007 की समाप्ति से पहले भारत में ड्यूटी फ्री प्रवेश की अनुमति देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके अलावा, संवेदनशील मदों की सूची भी कम की गई। सम्मेलन में सेवा क्षेत्र, निवेश संवर्धन एवं संरक्षण तथा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के समन्वय टेक्निकल एवं फाइटोसैनिटरी मानदंडों मे समझौतों को अंतिम रूप

दिए जाने का भी निदेश दिया गया। सार्क स्टैंडर्ड कोआर्डिनेशन बोर्ड को पहले से ही सार्क रीजनल स्टैंडर्ड बॉडी के लिए अग्रदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सम्मेलन का आयोजन नियोजित एवं चरणबद्ध ढंग से साउथ एशियन कस्टम्स यूनियन तथा साउथ एशियन इकानामिक यूनियन के लिए विकास का मार्गप्रशस्त करने के लिए किया गया। आगामी वर्ष में सार्क में भारत की अध्यक्षता के दौरान सम्मेलन द्वारा अनुमोदित एजेंडे पर विचार किया जाएगा।

9.1.3 पाकिस्तान : पाकिस्तान के मामले में सरकार ने शांति, मैत्री एवं सहयोग संबंधों की स्थापना के लिए रचनात्मक संबंधों की नीति का अनुसरण किया गया है। 6 जनवरी, 2004 को बातचीत प्रक्रिया के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान नियंत्रित किसी भी भाग को आतंकवाद के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति न देने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त बातचीत में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ प्रगति हुई और परमाणु हथियारों से संबंधित जोखिम एवं दुर्घटनाओं को घटाने तथा संशोधित शिपिंग प्रोटोकाल के संबंध में करार पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने लोगों की आवाजाही, कैदियों तथा मछुआरों को रिहा करने, साफटा के तहत पाकिस्तान को अधिक रियायतें देने, एलओसी पर तथा सीमापार बस सेवाओं की शुरुआत तथा खोखरापार-मुनाबाओ रेल सेवा के लिए एलओसी के संबंध में 5 पाइंट्स के क्रियान्वयन की शुरुआत की पहल की। नवंबर, 2006 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत के दौरान संयुक्त आंतकवाद विरोधी तंत्र की स्थापना की गई। इस प्रकार सीमापार आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान के संकल्प और प्रतिबद्धता को परखा जाएगा। व्यापारिक गतिविधियों के लिए एलओसी के आर-पार श्रीनगर-मुजफ्फराबाद ट्रक सेवा शुरू करने के प्रयास जारी हैं। दोनों सरकारें 1974 के प्रोटोकाल के तहत तीर्थस्थलों की सूची का विस्तार करने के लिए पहले से ही सिद्धांत रूप से सहमत हो चुकी हैं। तथापि, सरकार घुसपैठ तथा सीमापार आतंकवाद से चिंतित है और समूची बातचीत प्रक्रिया इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार से अपने यहां से आतंकवाद को अनुमति न देने की अपनी वचनबद्धता को कहां तक निभाता है। अप्रैल, 2007 को हुए 14वें सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान तथा भारत के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने पड़ोसी देशों में एक-दूसरे के नागरिकों को कैद किए जाने की स्थिति की समीक्षा किए जाने पर भी सहमति व्यक्त की।

9.1.4 अन्य दक्षिण एशियाई पड़ोसी : अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। इन्हीं संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भारत और अफगानिस्तान ने नवंबर, 2006 में अफगानिस्तान पर द्वितीय क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन का संयुक्त रूप से आयोजन किया। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय इस क्षेत्र के सभी देशों के पारस्परिक लाभ के लिए क्षेत्रीय सहयोग और बेहतर अवसरों का आधार प्रदान करेंगे। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने नेपाल में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की बहाली तथा शांति प्रक्रियाओं की सफलता को पूर्ण सहयोग देने की अपनी वचनबद्धता दोहराई है। इसके तहत नेपाल को 1,000 करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता पैकेज दिया गया है। इसी तरह, यूपीए सरकार बंगलादेश को एक लोकतांत्रिक स्थिर एवं समृद्ध देश के रूप में देखना चाहती है। श्रीलंका के पुराने मुद्दे पर भारत ने श्रीलंका को सूचित किया है कि उच्च राजनीतिक स्तरों पर बातचीत एवं राजनीतिक समाधान की आवश्यकता है जो श्रीलंका के समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य हो। श्रीलंका में द्विपक्षीय व्यापार तथा भारतीय निवेश और पर्यटन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं जिन्हें मुक्त व्यापार समझौते की सफलता के आधार पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते में बातचीत के माध्यम से समेकित किया जाना है। भूटान के साथ 1949 फ्रेंडशिप ट्रीटी को अपग्रेड किया गया है। सरकार ने अपनी नवीं योजना (2002-08) में भूटान के लिए विस्तृत सहायता पैकेज की अनुमोदन किया है। इस पैकेज की कुल राशि 2,610 करोड़ रुपये है।

9.1.5 अमरीका : भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन को मौजूदा प्रयासों तथा द्विपक्षीय एजेंडे के विस्तारीकरण के क्रियान्वयन माध्यम से समेकित किया गया है। इस एजेंडे में सामरिक एवं सुरक्षा मुद्दे, रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला, विज्ञान और टेक्नोलाजी, स्वास्थ्य, व्यापार, अंतरिक्ष, ऊर्जा, समुद्री सहयोग तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दे शामिल हैं। मार्च 2006 में अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा ने इस सहयोग को आगे ले जाने में हमारी साझा वचनबद्धता को नई दिशा दी। दोनों पक्षों ने जुलाई 2005 में नागरिक परमाणु सहयोग पर आपसी समझदारी के क्रियान्वयन के संबंध

में कई कदम उठाए। भारत ने सिविलियन एवं डिफेंस न्यूक्लियर सुविधाओं के पृथक्करण के लिए अपनी योजना को अंतिम रूप दिया जबकि अमरीकी सरकार ने भारत के साथ पूर्ण सिविलियन न्यूक्लियर सहयोग की शुरुआत के लिए घरेलू कानूनों को कानूनी रूप से समर्थ बनाने के लिए इनमें संशोधन किया। दोनों पक्षों ने 18 जुलाई, 2005 तथा मार्च 2006 सेपरेशन प्लान समझौतों के क्रियान्वयन के लिए द्विपक्षीय सहमति पर बातचीत शुरू कर दी है।

9.1.6 यूरोप : अक्तूबर, 2006 में हेलसिंकी में हुआ सातवां शिखर सम्मेलन भारत-यूरोप के प्रगाढ़ संबंधों का आकर्षण था। इसमें दोनों पक्षों ने विस्तृत भारत-यूरोप व्यापार एवं निवेश सहमति पर बातचीत शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। बड़ी संख्या में यूरोपीय सदस्य देशों के साथ ठोस द्विपक्षीय प्रयास शूरू कर दिए गए हैं।

9.1.7 रूस : भारत और रूस के बीच शिखर और विदेश मंत्री स्तर की त्रिपक्षीय बैठकें क्रमशः जुलाई 2006 और फरवरी 2007 में हुई, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और इन देशों के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गयी। रूस के साथ ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। रूस के राष्ट्रपति इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि थे। रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच 2006 में एक बैठक हुई और कैबिनेट स्तर पर कई बार विचार–विमर्श किया गया।

9.1.8 चीन : भारत और चीन के संबधों का निरन्तर और व्यापक विस्तार हुआ है। नवम्बर 2006 में चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से इस प्रक्रिया को और भी बल मिला। दोनों देशों ने 10–सूत्री नीति पर सहमति व्यक्त की, जिसकी पुष्टि संयुक्त घोषणा में की गई है। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी को और बल मिला है और संबंधों के भावी विकास और उन्हें विविध आयामी बनाने के लिए एक कार्योन्मुखी ढांचा विकसित हुआ है। चीन के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार का महत्त्वपूर्ण विस्तार हुआ है और यह 25 अरब अमरीकी डालर को पार कर गया है। वर्ष के दौरान निवेश संरक्षण और प्रोत्साहन के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर होने से निवेश प्रवाह में दो तरफा बढ़ोतरी होगी। नाथू ला से भूमि मार्ग द्वारा सीमा–व्यापार खोल दिया गया है। कोलकाता और ग्वांगज़ो में नए वाणिज्य दूतवास खोले गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में विश्वास का माहौल बनाने की प्रक्रिया सुदृढ़ की गयी है। इसके लिए पूर्वी सेक्टर (यानी किबिथू–दमाई) में द्वितीय बिन्दु पर सीमा कार्मिकों की बैठकों का सिलसिला शुरू किया गया है।

9.1.9 जापान : हाल के वर्षों में भारत–जापान संबधों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से आपसी संबंधों का दर्जा वैश्विक और सामरिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ गया। दोनों देशों ने विशेष आर्थिक भागीदारी के उपाय करने पर भी सहमति व्यक्त की है। इन उपायों में मुख्य रूप से दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर, बहु–उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों/समूहों की स्थापना, मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग क्षेत्रों की व्यवस्था करना, भारत में जापान के निवेश को बढ़ावा देना और ग्रामीण व्यापार एवं औद्योगीकरण के बारे में सरकार के उपायों में जापानी सहायता हासिल करना, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, आदि शामिल हैं। दोनों देशों के उच्च स्तरीय नेताओं की यात्राओं के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में गतिशील बढ़ोतरी, द्विपक्षीय व्यापार में रचनात्मक रुख, भारत में जापानी निवेश में बढ़ोतरी, और प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा में अधिक सहयोग किए जाने के संकेत मिले। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के बारे में बातचीत प्रारंभ हो गयी है। इसे दो वर्ष के भीतर अंजाम दिए जाने को वरीयता दी जा रही है।

9.1.10 पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया से सम्बन्ध : 'पूर्वोन्मुख' (लुक ईस्ट) नीति का अनुपालन करते हुए भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड सहित दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ बहु आयामी संबंध विकसित किए हैं। प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2007 मे फिलीपींस में हुए भारत–आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत–आसियान सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई कि जुलाई 2007 तक भारत–आसियान मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। वर्ष के दौरान क्षेत्र के ज्यादातर देशों के साथ भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। भारत ने भारत–चीन और प्रशांत क्षेत्र के द्वीप समूहों में विकास सहायता जारी रखी, इंडोनेशिया और फिलीपींस को

प्राकृतिक आपदाओं के बाद मानवीय सहायता प्रदान की, और रक्षा सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान किया। सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया और अन्य देशों ने नालंदा परियोजना में गहरी रुचि प्रदर्शित की है, जिसके अंतर्गत भारत में अन्तर सभ्यता संवाद के लिए एक एशियाई केंद्र की स्थापना की जानी है।

9.1.11 पश्चिम और मध्य एशिया, अफ्रीका, लेटिन अमरीका और कैरिबियाई राष्ट्र : सरकार पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को अधिक गहन एवं विविधता पूर्ण बनाने के लिए काम कर रही है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत का पहला दौर हो चुका है। भारत ने फलीस्तीन और लेबनान को 10–10 करोड़ रुपये की आपात मानवीय सहायता प्रदान की, लेबनान में संकट को देखते हुए वहां से पड़ोसी देशों के नागरिकों सहित 1800 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की। भारत ने अनेक देशों को मानवीय आपदाओं से निपटने और दीर्घावधि की विकास परियोजनाओं के संदर्भ में प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की। बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों डालर मूल्य के रियायती ऋण प्रदान किए। भारत अफ्रीका में शांति सेना के लिए निरंतर सबसे अधिक योगदान कर रहा है। हाल ही में 9000 से अधिक भारतीय सैनिक शांति सेना में शामिल होने के लिए भेजे गए हैं। इस प्रकार पिछले दो वर्षों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत के योगदान में 3 गुणा बढ़ोतरी हो चुकी है। पैन–अफ्रीकन ई–नेटवर्क परियोजना चालू कर दी गयी है, जिससे अफ्रीका के दूरदराज के इलाकों में आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञता का लाभ पहुंचाने में मदद मिली है। इससे कम लगत पर दूरस्थ शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना आसान हो गया है। सितंबर 2006 में ब्रासिलिया में प्रथम भारत–ब्राजील–दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) शिखर सम्मेलन के दौरान और सितंबर–अक्टूबर 2006 में प्रधानमंत्री की दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सर्वोच्च स्तर पर वार्ता हुई, जब प्रधानमंत्री और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर विचार किया। आईबीएसए सम्मेलन के दौरान पांच त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने लेटिन अमरीका और कैरिबियाई देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों में बढ़ोतरी की है और उनके साथ व्यापार एवं निवेश का विस्तार किया है। भारत ने सितंबर 2006 में क्यूबा में हुए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारत ने विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

9.1.12 व्यापार और आर्थिक कूटनीति : अन्य देशों के साथ समन्वित एवं समग्र रूप में भारत के आर्थिक संबंधों का दायरा, क्षेत्र और व्यावहारिक मानदंड निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति बनायी गयी है। समिति ने मुक्त व्यापार एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों, विश्व व्यापार संगठन संबंधी वार्ताओं, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश मुद्दों, आदि की समीक्षा की है और इस बारे में मार्ग दर्शन किया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना सहित आसियान के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए हमारा फ्रेमवर्क समझौता आर्थिक सहयोग की दिशा में द्विपक्षीय और उपक्षेत्रीय प्रयासों की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इन प्रयासों में थाईलैंड और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय समझौते भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, ऊर्जा के स्रोतों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने और विशेष रूप से बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के लिए आर्थिक कूटनीति पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस तथ्य को समझते हुए कि हमारा आर्थिक विकास अन्य देशों के विकास के साथ संबद्ध है, भारत ने सार्क, आसियान, बिमस्टेक, मेकांग–गंगा सहयोग, आईबीएसए, जी–15, जी–8, हिंद महासागर की परिधि एवं पूर्वी एशियाई राष्ट्रों, जैसे आर्थिक संगठनों के साथ संस्थागत संबंध सुदृढ़ किए हैं। भारत ने विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सरकार ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों, के अंतर्गत यातायात अधिकार प्रदान करने के मामलें मे भी कुल मिलाकर उदार दृष्टिकोण अपनाया है। अमरीका और ब्रिटेन, जर्मनी, कनाड़ा, जापान, रूस, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, सिंगापुर, मारिशस, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, इटली, ताइवान, फिनलैंड, मालदीव, तंजानिया, श्रीलंका, कुवैत, स्पेन, ओमान, मिस्र, स्वीडन आदि देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर के जरिए यातायात अधिकारों

में बढ़ोतरी की गयी है। इससे न केवल इन देशों और भारत के बीच अधिक उड़ानें संभव हुई हैं और संपर्क बेहतर हुआ है, बल्कि सभी आपरेटिंग विमान कंपनियों को अधिक वाणिज्यिक अवसर उपलब्ध हुए हैं।

9.1.13 : भारत द्वारा अन्य देशों के लिए प्रस्तावित किए गए विभिन्न विकास : सहयोग कार्यक्रमों पर संकेन्द्रित एवं समयबद्ध अमल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी की स्थापना की जा रही है।

9.1.14 वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीसा सेवायें : अमृतसर, देहरादून, रायपुर शिमला, कोयम्ब्टूर और मदुरै में 2007 के दौरान नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सरल और द्रुत बनाने के लिए अनेक ठोस उपाय किए गए हैं। इनमें विकेंद्रीकरण और ऑनलाइन आवेदन, जैसे उपाय शामिल हैं। खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावासों ने भारतीय श्रमिकों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की है, ताकि श्रम संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। 35 देशों के साथ वीज़ा छूट समझौते किए गए हैं। पासपोर्ट और वीसा अनुभागों के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया लगभग सभी डिप्लोमैटिक मिशनों में पूरी कर ली गयी है।

9.2 प्रवासी भारतीय

9.2.1 विदेशी नागरिकता: विदेश में रहने वाले भारतीयों को भारत की नागरिकता देने की योजना का विस्तार उन सभी भारतीयों तक किया गया है, जो 26 जनवरी, 1950 के बाद स्वदेश छोड़कर गए हैं। विदेशी नागरिकों को आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में, कुछ अपवादों को छोड़कर, अनिवासी भारतीयों के समान सुविधायें प्रदान की गयी हैं। उन्हें जीवन भर के लिए बहु–उद्देशीय और मल्टी–एंट्री वीज़ा तथा स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण से छूट जैसी रियायतें भी दी गयी हैं। 2006 तक 78,000 ऑनलाइन आवेदन दाखिल किए गए, और 86,000 विदेशी नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए।

9.2.2 अनिवासी भारतीयों द्वारा मतदान : संसद में एक विधेयक पेश किया गया हैं, जिसमें विदेश रहने वाले भारतीय नागरिकों को यह छूट देने का प्रावधान है कि स्वदेश में उनकी अनुपस्थिति के दौरान वे अपने सामान्य निवास स्थान के निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं।

9.2.3 सामाजिक सुरक्षा : बेल्जियम के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के अल्पावधि अनुबंधों पर विदेश में रहने वाले भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान की अदायगी से छूट दी गयी है और दीर्घावधि अनुबंध पर रहने वाले व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के बाद भारत वापस आने के समय सामाजिक सुरक्षा लाभ साथ लाने की छूट दी गयी है। सरकार ने नीदरलैंड, स्वीडन और फ्रांस जैसे अन्य देशों के साथ ऐसे ही समझौते करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ कार्मिकों के बारे में एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें विदेश रहने वाले भारतीय श्रमिकों की संरक्षा और कल्याण संबंधी विविध प्रकार के मुद्दे शामिल किए गए हैं। इनके अंतर्गत दिहाड़ी का भुगतान न किया जाना या देर से किया जाना कठिन कार्य और जीवन स्थितियां, अनुबंधों का प्रतिस्थापन, पासपोर्ट जब्त करना, बिचौलियों द्वारा धोखाधड़ी, शारीरिक शोषण, आदि मुद्दे शामिल हैं। ऐसा ही एक समझौता कुवैत के साथ करने की स्वीकृति दी गयी है, जिससे कार्मिकों की भर्ती, रोजगार अनुबंध के नियमों एवं शर्तो में ऐसे परिवर्तन करने पर प्रतिबंध, जो श्रमिकों के लिए हानिकारक हों, रोजगार अनुबंध स्थल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करना और वर्क परमिट की व्यवस्था का दायित्व नियोक्ता पर डालना, और उन श्रमिकों को संरक्षा प्रदान करना, जो किसी स्थानीय श्रम कानून के अंतर्गत कवर न होते हों। बाहरीन, सउदी अरब और ओमान जैसे खाड़ी के अन्य देशों और मलेशिया के साथ भी इसी तरह के समझौते होने की उम्मीद है।

9.2.4 एनआरआई/पीआईओ विश्वविद्यालय : यूपीए सरकार ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के निवासियों के बच्चों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना के वास्ते नीतिगत सिद्धांत मंजूर किए हैं।

9.3 सीमाओं का प्रबंधन

9.3.1 सीमावर्ती ढांचा : यूपीए सरकार ने पड़ौसी देशों के साथ परिष्कृत सीमा प्रबंधन की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया है और देश के सीमावर्ती इलाकों में ढांचे के विकास पर बल दिया है। देश की सीमाओं पर प्रमुख प्रवेश द्वारों के निकट ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने भारतीय भू बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रस्तावित प्राधिकरण नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान और म्यामां के साथ देश की सीमाओं पर चुने हुए प्रवेश द्वारों के निकट समेकित जांच चौकी के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव कार्यो की देखरेख करेगा।

9.3.2 सीमा पर बाढ़ लगाना : भारत और बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और इसे प्राथमिकता दी जा रही है। करीब ढाई हजार कि.मी. लंबी सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा किया जा चुका है, जबकि कुल स्वीकृत लंबाई 3,284 कि.मी. है। सीमा पर हमारी तरफ महत्वपूर्ण संपर्क मार्गो की पहचान की गयी है, जिनका विकास किया जाएगा।

9.3.3 सीमा पार सेवायें : भारत पाक सीमा/नियंत्रण रेखा के पार श्रीनगर–मुजफ्फराबाद, रावलकोट–पुंछ, दिल्ली–लाहौर, अमृतसर–लाहौर और अमृतसर–ननकाना साहिब बस सेवायें और कोकरापार–मुनाबाओ रेल सेवा चालू कर दी गयी है। वाघा–अटारी सीमा पर बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है।

10. आपदा प्रबंधन

10.1 नीतिगत उपाय और तैयारी

10.1.1 वैधानिक और संस्थागत उपाय : आपदा प्रबंधन में अब राहत केन्द्रित दृष्टिकोण की बजाय समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आपदाओं के दुष्प्रभावों को रोकने और कम करने के उपायों सहित बहु-विषयी और बहु-क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने तता उन्हें लागू करने के लिए संस्थागत व्यवस्था कायम करने के वास्ते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया गया है। यूपीए सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इस प्राधिकरण की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन कर दिया है। अनेक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने भी इस अधिनियम के तहत राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना की है। सरकार बाढ़ आयोग की स्थापना पर भी विचार रही है।

10.1.2 दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए सहायता : सामान्यतः क्षतिग्रस्त आधारिक संरचना के दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्गठन पर होने वाले व्यय की पूर्ति राज्य सरकारें अपने योजनागत संसाधनों से करती हैं, किन्तु सुनामी, जम्मू-कश्मीर में भूकंप और भीषण बाढ़ की चपेट में आए राज्यों में स्थिति की गंभीरता और धन की आवश्यकता के अनुसार दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने भी अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान की।

10.1.3 अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता : सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता की पात्रता का विस्तार करते हुए भू-स्खलनों, हिमस्खलनों, बादल फटने और कीटों के हमलों जैसी आपदाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है।

10.1.4 आपदा तैयारी : सर्वाधिक जोखिम की आशंका वाले 169 जिलों में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जागरूकता और तैयारी क्षमता के विकास, विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई और रोकथाम उपायों के माध्यम से आपदा का जोखिम कम करना है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग भूस्खलन आपदा जोखिम प्रशमन कोड तैयार करने की प्रक्रिया में है, जिसे सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा अपनाया जाएगा। बायोलॉजिकल एजेंटों, रासायनिक हथियारों और रेडियोधर्मी हथियारों से हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ की जाने वाली मानक कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया है और इन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी के उपाय शुरू किए गए हैं। एविअन फ्लू (पक्षी ज्वर) के प्रकोप से निपटने के लिए समुचित तैयारी उपायों को अंतिम रूप दे दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में आधुनिकीकरण की बड़ी कवायद शुरू की गई है। मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए अपनायी जाने वाली न्यूमेरिकल मॉडलिंग में सुधार किया गया है ताकि अधिक सटीक अनुमान लगाए जा सकें। 2007 के मानसून के लिए मौसम पूर्वानुमान में सुधार के वास्ते द्रुतगति कम्प्यूटर खरीदे गए हैं। 'अंतरिम सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली' चालू कर दी गई है और सितम्बर 2007 तक 'पूर्ण प्रणाली' चालू करने का लक्ष्य तय किया गया है। बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क को उपग्रह आधारिक डाटा संचार प्रणाली के जरिए अद्यतन बनाया

जा रहा है ताकि पूर्वानुमान लगाने वाले केन्द्रों को वास्तविक समय आंकड़े स्वतः संग्रह करने, उनके ट्रांसमिशन में सक्षम बनाया जा सके और उपभोक्ता एजेंसियों को पूर्वानुमान संप्रेषित किए जा सकें।

10.2 कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास

10.2.1 सुनामी राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण : 9,870 करोड़ रुपये के परिव्यय से साथ लागू किए जा रहे चार वर्ष के दीर्घावधि सुनामी पुनर्निर्माण कार्यक्रम पर अमल जारी है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्निर्माण शामिल है, जैसे आजीविका, बंदरगाह और जेट्टियां, सड़क और पुल, बिजली, जल एवं सीवरेज, सामाजिक ढांचा और कल्याण, पर्यावरण और तटवर्ती संरक्षण, पर्यटन आदि।

10.2.2 बाढ़ के लिए राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण : 22 राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का अलग-अलग मात्रा में दुष्प्रभाव पड़ा है। इन आपदाओं के अंतर्गत भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटना और चक्रवाती तूफान आदि शामिल हैं। सरकार ने प्रभावित राज्यों में तत्परता के साथ और समय पर महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हुए बचाव और राहत अभियान शुरू किए। इन अभियानों के अंतर्गत राहत सामग्री, भोजन, पेयजल, अनिवार्य औषधियां, कपड़े, तम्बू और अस्थायी आवास, अनिवार्य वस्तुओं और पेट्रोलियम्म पदार्थों का अतिरिक्त भंडार की व्यवस्था की गई और जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग, दूरसंचार, बिजली, पेयजलापूर्ति और एनएचएआई तथा बीआरओ जैसे मंत्रालयों/विभागों के जरिए क्षतिग्रस्त ढांचे की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण किया गया। बड़ी संख्या में सैन्य और अर्धसैन्य कार्मिक तथा विमान, हेलिकॉप्टर, नौकाएं, ट्रक और अन्य वाहन बचाव और राहत अभियान में तैनात किए गए। वर्ष 2006-07 के दौरान आपदा राहत कोष से 2,996 करोड़ रुपये और दिसम्बर 2006 तक राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 1,962 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस राशि में बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान को असल जरूरत का विस्तृत आकलन किए बिना तत्काल बचाव और राहत कार्यों के लिए की गई 'लेखागत अदायगी' भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत 3.5 लाख मीट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया तथा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के विशेष घटक के अंतर्गत 30 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इससे पहले 2005-06 के दौरान बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित कई राज्यों को 3,151 करोड़ रुपये की 'लेखागत अदायगी' की गई; बाढ़ प्रभावित राज्यों को आपदा राहत कोष से 2,671 करोड़ रुपये जारी और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से 2,771 करोड़ रुपये जारी किए गए।

10.2.3 जम्मू-कश्मीर में भूकंप पीड़ितों के लिए राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण : राज्य सरकार और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के जरिए राज्य के भूकंप पीड़ितों के लिए कुल सहायता 542 करोड़ रुपये से अधिक की जुटाई गई। इसमें भूकंप से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री, आश्रय सामग्री और अस्थायी आवास तथा सामुदायिक हॉल बनाने के लिए सरकार द्वारा मंजूर किया गया 242.95 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी शामिल है। क्षतिग्रस्त ढांचे के निर्माण के लिए दीर्घावधि का एक पैकेज मंजूर करने की प्रक्रिया जारी है।

10.3 जमीन से बेदखल और दंगा पीड़ितों का पुनर्वास

10.3.1 जमीन से बेदखल लोगों का पुनर्वास : यूपीए सरकार प्रमुख परियोजनाओं के कारण जमीन से बेदखल हुए लोगों के लिए मुआवजा पैकेज बढ़ाने के लिए एक नई पुनर्वास नीति तैयार करने की प्रक्रिया पर अमल कर रही है। इस पैकेज का लाभ उन सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनकी आजीविका पर किसी न किसी तरह से दुष्प्रभाव पड़ा है। इस नीति के अंतर्गत आजीविका के वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नीति के अनुपालन के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उचित संशोधन किए जाएंगे और एक नए पुनर्वास अधिनियम के माध्यम से इसे वैधानिक सहायता दी जाएगी।

10.3.2 1984 और 2002 के दंगों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज : यूपीए सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों और 2002 में गुजरात में गोधरा रेल कांड के पीड़ितों तथा उससे भड़की हिंसा के पीड़ितों के लिए पैकेजों को मंजूरी दी है। मृत्यु, शारीरिक क्षति और आवासीय तथा बीमा कवर रहित वाणिज्यिक/औद्योगिक संपत्ति के नुकसान के मामलों में अतिरिक्त अनुग्रह राशि अदा की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की भर्ती में वरीयता देने की भी मंजूरी दी गई है, इसके साथ आयु में छूट, विशेष भर्ती अभियान चलाने, अनुपस्थिति के कारण खोई हुई नौकरियों के मामले में फिर से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने और सेवानिवृत्ति की आयु पार हो जाने की स्थिति में सामान्य नियमों में ढील देकर पेंशन लाभ प्रदान करने जैसे उपाय भी किए गए हैं। 548 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सहायता में से मार्च 2007 तक 389 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके थे।

11. अन्य उपाय

11.1 आंतरिक सुरक्षा के उपाय : आंतरिक सुरक्षा की स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही है। आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें पुलिस आधुनिकीकरण योजना के जरिए राज्य पुलिस बलों की क्षमता में बढ़ोतरी, सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, बाड़ लगाकर देश की सीमाओं को मजबूत करना, फ्लड लाइटिंग और इलैक्ट्रानिक निगरानी उपकरणों की स्थापना, और तटीय सुरक्षा योजना की शुरुआत, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के घटकों के रूप में ऑपरेशन स्वान और मेट्रोपॉलिटिन तथा डेज़र्ट पुलिसिंग की शुरुआत प्रमुख हैं। सरकार ने बड़े शहरों और रेगिस्तानी इलाकों की सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए इन शहरों के लिए विशेष पुलिस बल और डेज़र्ट पुलिस बल बनाने का फैसला किया। सरकार ने केन्द्र और राज्यों के स्तर पर भलीभांति समन्वित एवं सक्षम खुफिया व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों से कहा गया है कि वे अपनी विशेष शाखाओं को सुदृढ़ बनाएं और खाली पदों पर भर्ती करके तथा सक्षम अधिकारियों को नियत कार्यकाल के लिए नियुक्त करके उन्हें अतिरिक्त कार्मिक उपलब्ध कराएं। उनसे यह भी कहा गया है कि वे पुलिस बलों को प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता सुनिश्चित करें। सरकार वर्तमान पुलिस-जनसंख्या अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार लाने के उपाय कर रही है। सरकार ने आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए 79 बटालियनों की भर्ती की मंजूरी दी है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का पुनर्गठन किया गया है ताकि उनकी प्रभावकारिता, कार्रवाई क्षमता और कमान एवं नियंत्रण के ढांचे में सुधार लाया जा सके। इन दोनों बलों में करीब 20,000 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं ताकि आंतरिक सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। बेहतर अनुवर्तन और अधिक विविधतापूर्ण कार्रवाई के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में 22 बटालियन जोड़ी गई हैं। 4,185 करोड़ रुपये की लागत से केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण का काम शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत उन्हें आधुनिक हथियार, गोला-बारूद, उपकरण और वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार संघ शासित प्रदेशों के लिए नया पुलिस अधिनियम बनाने के वास्ते विधेयक पेश करने की दिशा में काम कर रही है। पोटा कानून रद्द किया जा चुका है जबकि आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा के समुचित उपाय सुनिश्चित किए गए हैं।

11.2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी : 2015 तक देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सशक्त आधार कायम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रतिभा आकर्षित करने, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को सशक्त बनाने, सक्षम महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान से संबद्ध व्यवसायों में पुनः भर्ती करने, प्रौद्योगिकी-व्यापार परस्पर संबंध प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना, अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करना, विज्ञान के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना और लोगों की वैज्ञानिक मानसिकता विकसित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। यूपीए सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वित्तीय आबंटन सकल घरेलू उत्पादक के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करने का फैसला किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विज्ञान के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड की स्थापना की गई है। अनुसंधान एवं विकास के नए क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एन.एम.आई.टी.एल.आई. कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं और निजी उद्योगों के बीच द्विपक्षीय और सामूहिक आधार

पर ज्ञान अनुबंध, इनक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। भू-विज्ञान मंत्रालय का गठन किया गया है ताकि पृथ्वी ग्रह को एक सत्ता के रूप में देखा जा सके। एक सक्षम तंत्र के रूप में पृथ्वी आयोग का भी गठन किया गया है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग के आधुनिकीकरण की एक बड़ी कवायद शुरू की गई है। मौसम पूर्वानुमान के लिए न्यूमेरिकल मॉडलिंग के पैमाने में सुधार किया गया है ताकि सटीक पूर्वानुमान व्यक्त किए जा सकें। 2007 के मानसून के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए द्रुत गति कम्प्यूटर खरीदे जा रहे हैं। भारत से पहली बार वैज्ञानिकों का एक दल आकर्टिक भेजा जाएगा।

11.3 अंतरिक्ष कार्यक्रम : अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में हाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के अंतर्गत जनवरी 2007 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी 7 का नौवां सफल प्रक्षेपण शामिल है। पीएसएलवी ने चार उपग्रहों को पूर्व निर्धारित कक्षाओं में सही ढंग से स्थापित किया। इनमें कार्टोसैट-2 भी शामिल था जिसकी सहायता से मानचित्र तैयार करने संबंधी अनुप्रयोगों और आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक एक मीटर से भी कम रिजोल्यूशन वाले विशेष चित्र लिए जा सकते हैं। इसका प्रक्षेपण स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्पीरिमेंट (एसआरई-1) के जरिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का सफल प्रदर्शन करने में भी सफल रहा है। चंद्रयान-1 मिशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2007 में डीटीएच ट्रांसपोंडरों को ले जाने वाले इनसैट-4बी का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक सफलता है। एडुसैट ने करीब 10,000 क्लासरूमों को जोड़ दिया है जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है। उपग्रह आधारित टेलीमेडिसिन नेटवर्क का विस्तार किया गया है और 182 अस्पताल इसके दायरे में जुड़ गये हैं। अत्याधुनिक रॉकेट प्रणालियों के लिए अपेक्षित सुपरसोनिक कम्बस्चन रैमजेट (स्क्रैमजेट) का सफल परीक्षण किया गया है, और भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (जीएसएलवी) के लिए देश में विकसित क्रायोजेनिक स्टेज का सफल जमीनी परीक्षण किया गया है। इटली ने इसरो को अपने उपग्रह ***एज़ीले*** के प्रक्षेपण का काम सौंपा है और यह पहला अवसर है जब भारत को किसी विदेशी उपग्रह के प्रतिबद्ध एवं पूर्ण वाणिज्यिक प्रक्षेपण का दायित्व सौंपा गया।

11.4 प्रसारण : दूरदर्शन के सभी 17 प्रमुख स्टूडियो केन्द्रों के डिज़िटलीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है। हाई डेफिनिशन टीवी (एचडीटीवी) के बारे में एक प्रायोगिक परियोजना मंजूर की गई है और दिल्ली में एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर और द्वीप क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं के विस्तार और सुधार के लिए विशेष पैकेज लागू किए जा रहे हैं। डीटीएच सेवाएं दूरदर्शन और निजी प्रसारणकर्ताओं दोनों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम का पहला चरण सफल रहा है। निजी एफएम रेडियो सेवाओं के लिए नई नीति के अंतर्गत 29 शहरों में 245 एफएम रेडियो चैनलों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए गये। इससे एफएम कवरेज कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि अभी तक 12 शहरों में केवल 21 प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस दिया गया था। 53 प्राइवेट एफएम चैनलों ने काम करना शुरू कर दिया है। 2007 के दौरान दूरसंचार विभाग 70 शहरों में और इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी) और 20 शहरों में मोबाइल टीवी शुरू करने की योजना बना रहा है। यूपीए सरकार ने सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिए लाइसेंस मंजूर करने की व्यापक नीति बनाई है, इसके अंतर्गत विकास और सामाजिक परिवर्तन संबंधी मुद्दों के बारे में नागरिक समाज संगठनों को भी ऐसे केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई है। मोबाइल टीवी के लिए एक प्रायोगिक परियोजना दिल्ली में प्रारंभ की गई है।

11.5 पर्यटन : विदेशी पर्यटकों के आगमन, विदेशी मुद्रा आय और रोजगार के अवसर पैदा करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यूपीए सरकार ने पर्यटन में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। देशभर में होटलों की कमी, विशेषकर 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हुए होटलों की कमी दूर करने के लिए नए होटल खोलने के वास्ते भूमि बैंक बनाने की एक नई योजना शुरू की गई है। पारिस्थितिकी-पर्यटन के बारे में नीति एवं दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं, ऐसा करते समय स्थानीय समुदाय को भागीदार बनाया गया ताकि पर्यटन के लिए संसाधनों के इस्तेमाल और स्थानीय समुदायों की आजीविका को लेकर संभावित संघर्ष की आशंका समाप्त की जा सके। 18 देशों के नागरिकों के लिए 5 वर्ष की अवधि के वास्ते दीर्घावधि के मल्टी-एंट्री पर्यटक वीज़ा शुरू किए गए हैं।

11.6 खेल एवं युवा कार्य : 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण के 5 स्टूडियो के नवीकरण, उन्नयन और नवनिर्माण का कार्य 1300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इसके तहत निर्माण कार्य 2007-08 में शुरू हो जाने की संभावना है। पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए एनएसएस और एनवाईके कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है।

11.7 शास्त्रीय भाषाएं : शास्त्रीय भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाई गई है और संस्कृत तथा तमिल को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। तमिल शोधार्थियों को स्कॉलरशिप देने की एक योजना शुरू की गई है।